उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008

एवं

तालिकाबद्ध दरें

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) का अधिनियमन किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 251/2003 सर्वश्री इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राज्य सरकार में दिनांक 27 जनवरी, 2004 को दिये गये अपने निर्णय में उक्त अधिनियम को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 2757-2758/2004 दायर कर दी गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2004 को उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रवर्तन पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी कि प्रवेश कर के रूप में वसूल की गई धनराशि पृथक ब्याज वाले लेखा में जमा की जायेगी। तत्पश्चात् जिन्दल स्टील लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी कि क्या अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। उच्च न्यायालय ने दिनांक 8 जनवरी, 2007 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसा ही निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य तत्समान मामले में दिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांक 8 जनवरी, 2007 के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी। चूंकि सर्वश्री इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड शीर्ष न्यायालय के दिनाँक 17 अप्रैल, 2007 के अन्तरिम आदेश के आधार पर 3022.58 करोड़ रुपये की वापसी की मांग कर रहा था, अतएव सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के उपरान्त राज्य सरकार उक्त अधिनियम को नये सिरे से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अधिनियमित करने के लिए विचार कर रही थी। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार प्रवेश कर अधिनियम को वैध मान लिया गया। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय में इंगित कमियों को दूर करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिकरात्मक कर के संबंध में किये गये संप्रेक्षण के आलोक में और बिहार प्रवेश कर अधिनियम, जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया है, के उपबन्धों के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से एक विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी, अतएव, दिनांक 24 सितम्बर, 2007 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सैयद मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

संशोधन अधिनियम सं. 8/2008

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) स्थानीय क्षेत्र में माल के उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश पर कर उद्ग्रहण और संग्रह की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कर व्यवस्था को सरल करने और कतिपय विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाए,–

(क) किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा यदि ऐसे माल पर कर का भुगतान किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर दिया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायित्व किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के पूर्व अथवा बाद में प्रोद्भूत हो उक्त अधिनियम के अधीन कर की सम्पूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 तद्नुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

....

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विघान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 **नवम्बर,** 1999 से प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

धारा 2. परिभाषाएं–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अधिनियम में :-

(क) "व्यापार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भत हो या नहीं,

---

टिप्पणी-उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (सं. 5/008) दिनांक 27.2.2008 को प्रकाशित हुआ तथा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) को राज्यपाल महोदय ने दिनांक 4.3.2008 को स्वीकृति प्रदान की, उक्त संशोधन अधिनियम में सामान्यतया शब्द तथा अंक "उ. प्र. मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" प्रयोग किए गए हैं, जिसके स्थान पर इस संकलन में पाठकों की सुविधार्थ शब्द तथा अंक "उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008" प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, यद्यपि कोई सरकारी संशोधन अभी तक निर्गत नहीं हुआ है।

* **पाठकों को परामर्श दिया जाता है कि 2001 में यथासंशोधित उ. प्र. अधिनियम सं. 12/2000 का भी अध्ययन करलें।**

(दो) किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल का प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं), और

(तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से आनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषांगिक या उसके परिणामस्वरूप हो।

(ख) **"व्यापारी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान चाहे अपने वास्ते या किसी स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :.

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसायटी,, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐसा व्यापार करता है;

(दो) कोई मध्यवणिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी, अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाये, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती (नामिनी) द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(चार) कोई सरकार जो व्यापार के दौरान या अन्यथा नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती हैं;

(पाँच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है :-

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता, या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता, या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिए प्रतिभू;

(छः) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय;

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है;

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है;

(नौ) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मँगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने के लिए हकदार है;

स्पष्टीकरण :—इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ पद 'व्यापार के दौरान' के अन्तर्गत 'व्यापार स्थापित होने या उसके प्रारम्भ होने के दौरान' भी है।

(ग) **'माल के प्रवेश'** का तात्पर्य, अपने सभी व्याकरणिक रूप-भेदों तथा सजातीय-पद प्रयोगों सहित, माल का,

(एक) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से;

(दो) स्थानीय क्षेत्र में राज्य के बाहर किसी स्थान से;

(तीन) स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश से है।

(घ) **"स्थानीय क्षेत्र"** का तात्पर्य;

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत;

(चार) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत;

(पांच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी;

(छः) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र;

(सात) औद्योगिक नगरी जो किसी भी नाम से जानी जाय;

(आठ) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये,

के अधीन आने वाले क्षेत्र से है।

(ङ) **"अनुसूची"** का तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(च) **"अनुसूचित माल"** का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित माल से है;

(छ) **'कर'** का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(ज) **'माल के मूल्य'** का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमाशुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनराशियाँ, प्रभारित की गयी किसी फीस या कर की धनराशि, परिवहन प्रभार, माल भाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियाँ भी हैं, जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय परिवहन से सम्बन्धित हों, जिसमें माल को उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाया या प्राप्त किया जा रहा हो;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई माल,.

(एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चेय न हो; या

(दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो; या

(तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वास योग्य न हो; या

(चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो; वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए या प्राप्त किये जा रहे हों,

खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरणः—इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक मूल्य को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिए थोक मूल्य के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी, किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गयी कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन देय कर भी है, कोई धनराशि नहीं होगी।

(झ) **'निधि'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो [1]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008* या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उनके लिये समनुदेशित है।

धारा 2—कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी ने माल क्रय करने के उपरान्त रू. 1,29,016.00 का भाड़ा अलग से दिया है जो उनके अनुसार इनवर्ड फ्रेट है और यह क्रय मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है। अधिकारी द्वारा इसे जोड़कर 'वैल्यू ऑफ गुड' निकाला गया है और उस पर प्रवेश कर आरोपित किया है। व्यापारी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील में अपील स्वीकर करते हुए यह लिखा गया किः-

"अपीलीय अधिकारी ने *इनवर्ड फ्रेट के बिन्दु पर आयुक्त बिक्रीकर बनाम शर्मा कोल कम्पनी (1999 एनटीएन पेज-233)* में दिये गये निर्णय एवं धारा 2(जी.जी.) की परिभाषा का अवलम्ब लेते हुए यह अवधारित किया कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि भाड़ा अलग से चार्ज किया गया हो। माननीय अधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पारित *सर्वश्री पोल्टावस्की टी.पी.एस. पॉवर सर्विसेज, हरिद्वार बनाम कमिश्नर व्यापार कर उत्तरांचल (सुप्रा)* के मामले में यह अवधारित किया गया है कि खरीद के पश्चात किये गये खर्च-कस्टम ड्यूटी, बीमा व्यय, पोर्ट क्लियरेंस क्रय मूल्य के अंश के रूप में नहीं हैं। यदि प्रवेशकर अधिनियम के अंतग्रत वैल्यू ऑफ गुड्स की परिभाषा को व्यापार कर अधिनियम की धारा 2(जीजी) के साथ पढ़ा जाये, तो यह माना जाएगा कि माल की कुल कीमत वह है, जो क्रेता ने विक्रता को माल खरीदते समय अदा की है, अन्य खर्चे इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। व्यापारी के संगत वर्ष 2002-03 के लिए उत्तर प्रदेश में माल के प्रवेश पर कर नियमावली के नियम-4(6) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 16.9.2004 द्वारा भाड़ा को वैल्यू ऑफ गुड्स में नहीं जोड़ा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में परिपत्र संख्या 478 दिनांक 24.3.2005 के आधार पर 24 मार्च की अवधि के उपरान्त भाड़ा जोड़ा गया है जिससे स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान किये गये माल के मूल्य में संगत अवधि में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

Swastik Paper Trading Company, Muskan Market, Jattiwara, Meerut City vs C.C.T., U.P., (2010) 14 VLJ 65 Tribunal

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. "व्यापारी की फर्म में दो इकाईयां हैं। दोनों इकाईयों में क्रमशः एम.जी. क्राफ्ट पेपर एवं क्राफ्ट लाईन पेपर के निर्माण व बिक्री का व्यापार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अलग-अलग मदों में दर्शित बिक्री एवं खरीद पर प्रवेश कर का दायित्व निर्धारित किया। सर्वप्रथम शतप्रतिशत निर्यातक इकाईयों को की गयी बिक्री पर प्रवेश कर लगाया गया। व्यापारी ने रू. 10 लाख से अधिक मूल्य की मशीनें एवं जनरेटिंग सेट प्रान्त से बाहर से मंगाए हैं, उनको क्रय कर प्रवेश कर का दायित्व निर्धारित किया गया। मशीन के मूल्य में भाड़े की धनराशि को वैल्यू ऑफ गुड्स की श्रेणी में माना गया और कर दायित्व निर्धारित करते हुए इस मूल्य को क्रय मूल्य में जोड़ा गया। प्रवेश कर के दायित्व पर ब्याज की देयता निर्धारित की गयी। व्यापारी के इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया गया कि दिनांक 18.2.2003 के उपरान्त निर्माता इकाई द्वारा कैपिटल इनवेस्टमेंट के तहत पूंजीगत मशीनरी पर प्रवेश कर का दायित्व समाप्त कर दिया गया है।"

व्यापारी द्वारा प्रथम अपील की गयी जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। अतः इसके विरूद्ध द्वितीय अपील दायर की गयी। जनरेटर के संबंध में अधिकरण द्वारा अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना गया कि यह मशीनरी के अंतर्गत नहीं आती है और इस पर आरोपित प्रवेश कर समाप्त किया गया। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि:-

"जनरेटिंग सेट एक प्रकार की डिवाइस है जिससे मैकेनिकल ऊर्जा को इलैक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटिंग सेट से बिजली का उत्पादन होता है और फैक्ट्री में मशीनरी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने निर्णय *नीलकमल आयल मिल्स बनाम स्टेट ऑफ उ.प्र. एण्ड अदर्स (1994 यूपीटीसी 606)* में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि जनरेटर न तो मशीनरी है और न ही मशीनरी का पार्ट। मशीनरी जनरेटर के बिना चलायी जा सकती है यदि इलैक्ट्रिक पॉवर उपलब्ध हो। पुनः *कमिश्नर आफ इनकम टैक्स बनाम मै. सरन खांडसारी उद्योग (1994-92 एसटीसी 311)* में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह व्यवस्था दी है कि जनरेटर को इलैक्ट्रिकल मशीनरी भी नहीं कजा जा सकता, क्योंकि उसमें कोई इनबिल्ट मोटर नहीं होता। जनरेटर केवल बिजली का ही उत्पादन करता है। पुनः *मै. आकाश सीमेंट प्रा.लि. बनाम सीटीटी (2000 एनटीएन वाल्यूम-16 पृ0-255)* में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनरेटर को मशीनरी से भिन्न माना।

यद्यपि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *सीएसटी बनाम मै. टेकइनवेस्ट इंडिया प्रा.लि. (1998 यूपीटीसी 128)* में फार्म सी के दुरूपयोग के मामले में एकलपीठ द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर की धारा 10बी में अर्थदण्ड को इस आधार पर उचित नहीं माना कि जनरेटर को मशीनरी मानते हुए केन्द्रीय पंजीयन में इंगित किया गया था। यह निर्णय दूसरे बिन्दु पर था, जबकि उपरोक्त वर्णित डिवीजन बेंच के निर्णय मै. नीलकमल ऑयल मिल्स में स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों की विस्तृत विवेचना की गयी है और जनरेटर को मशीनरी से भिन्न माना गया है।

उक्त दी गयी परिभाषा एवं अर्थ से यह स्पष्ट है कि बिना पॉवर अथवा फोर्स के मशीन चलायी नहीं जा सकती, जबकि जनरेटर डीजल इंजन फ्यूल से चलाया जाता है और बिजली पैदा करता है। मशीनरी द्वारा विभिन्न वस्तुओं के निर्माण होते हैं और कच्चे माल से तैयार माल बनाए जाते हैं। जबकि जनरेटर से इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है। इन परिस्थितियों में हमारे विचार से जनरेटर को मशीनरी मानना कदापि उचित नहीं है।"

दूसरे बिन्दु के संबंध में यह कहा गया था कि शत-प्रतिशत निर्यात मूलक इकाईयों को कैपिटल गुड्स, प्लांट मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, कच्चा माल एवं उपभोज्य वस्तुओं पर विज्ञप्ति संख्या 3238 दिनांक 22.10.2001 के द्वारा कोई प्रवेश कर देय नहीं है। इस विषय में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनसे स्पष्ट हुआ कि यह निर्यात मूलक इकाई है, इसलिए आरोपित प्रवेश कर समाप्त किया गया। मशीनरी के बिन्दु पर आरोपित कर का समर्थन किया गया। जहां तक क्रय मूल्य में भाड़ा व अन्य खर्चे सम्मिलित होने का प्रश्न है, इस संबंध में माना गया कि:-

"यदि भाड़ा डिलीवरी चार्जेज व इंस्टालेशन चार्जेज अलग से लगाए गए हों तब क्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे। मशीनरी की क्रय से संबंधित बिलों में मशीनरी का मूल्य है, यह अलग दर्शित किया गया है, अतः इसी मूल्य पर प्रवेश कर का दायित्व बनेगा, भाड़े पर प्रवेश कर नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों में दी गयी व्यवस्थाएं पूर्णतया अपीलकर्ता के मामले में लागू होती हैं:-

(1) *मै. अप्सरा सीजिंग मिल्स बनाम सीएसटी (2001-27 टीएलडी 98)*

(2) *मै. स्टील एथारिटी ऑफ इंडिया बनाम सीएसटी (2001-27 टीएलडी 65)*

अंतिम बिन्दु यह उठाया गया कि शासन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति सं. 927 दिनांक 18.2.2003 से छोटे, मध्यम एवं वृहत निर्माता इकाईयों द्वारा मंगाए गए कैपिटल गुड्स, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स पर कोई भी प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनेगा। हमारे द्वारा संबंधित विज्ञप्ति का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिवक्ता कथन पूर्णतया उचित है। अतः दिनांक 18.2.2003 व इसके उपरान्त क्रय की गयी प्लांट, मशीनरी व स्पेयर पार्ट्स पर कोई कर दायित्व नहीं होगा।"

Shakumbari Straw Products Ltd., Sambhal, Moradabad vs C.T.T., U.P., (2009) 9 VLJ 12 Tribunal

धारा 3. अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण–(1) इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए :-

(क) [1]*वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर, और ज्वाइन्ट कमिश्नर,* क्रमशः कमिश्नर, स्पेशनल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और ज्वाइन्ट कमिश्नर होंगे तथा वे क्रमशः कमिश्नर प्रवेश कर, स्पेशल कमिश्नर प्रवेश कर, एडीशनल कमिश्नर प्रवेश कर और ज्वाइन्ट कमिश्नर प्रवेश कर के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 'अपीलीय प्राधिकारी' और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण क्रमशः "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) [2]*वाणिज्य कर विभाग* में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर प्रवेश कर एवं असिस्टेंट कमिश्नर प्रवेश कर होंगे और उसी प्रकार [3]*वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी वाणिज्य कर अधिकारी* प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर व्यापार कर, एडीशनल कमिश्नर व्यापार कर, ज्वाइण्ट कमिश्नर व्यापार कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह "व्यापार कर विभाग में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह "व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1](घ) *राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा वाणिज्य कर सर्किल में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 45, 46 एवं 48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 49 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।*

(ङ) अध्यक्ष और सदस्य, अधिकरण के सिवाय इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारी या प्राधिकारी कमिश्नर के प्रशासकीय नियंत्र्ण के अधीन कार्य करेंगे और कमिश्नर अपीलीय अधिकारी के सिवाय अपने प्रशासकीय नियंत्र्ण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(2) इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता वही होगी जो [2]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008* के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार अथवा [3]*कमिश्नर वाणिज्य कर* द्वारा नियत या अवधारित की जाय।

धारा 4. कर उद्ग्रहण–(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिये प्रवेश पर माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें और भिन्न-भिन्न माल या माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची को उप.धारा (10) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित :

   "(घ) राज्य सरकार या कमिश्नर व्यापार कर द्वारा व्यापार कर सर्किल में तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 13 एवं धारा 13क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।"

2. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह "उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द "कमिश्नर व्यापार कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाना तब तक जारी रखा जायेगा जब तक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग हेतु बेहतर व्यवसायिक स्थिति की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में आधारभूत संरचना यथा बिजली, सड़क एवं बाजार की स्थिति आदि के सुधार हेतु अपेक्षित हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मँगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसका कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाये, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

स्पष्टीकरण :–जहाँ व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल का परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी, जिससे ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है, द्वारा ही माल स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है या मंगवाया गया है।

> [1]*(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसा माल लाता या मँगवाता है जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अन्तर्गत किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान किया जा चुका हो और ऐसा व्यापारी इस आशय के लिए विहित घोषणा-पत्र ऐसे समय के अन्दर जैसा कि विहित किया जाय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है :*
>
> *प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जमा कर की धनराशि, उस व्यापारी या किसी अनुवर्ती व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा समझी जायेगी जिसे उक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।*

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जाये, कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उक्त स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हो।

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से बढ़ाई गई।

(5) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मँगवाता है, कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान [1]*ऐसे माल का कुल मूल्य पाँच लाख रुपये* या ऐसी अधिक धनराशि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो उसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

[2]*(6) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, किसी व्यापारी से कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता या मँगवाता है, जिसे:—*

(एक) उसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग किये बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित किया गया हो;

(दो) या तो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय या पुनर्विक्रय किया गया हो।

स्पष्टीकरण—*केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 धारा 5 और धारा 6-क यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होगी कि अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं :*

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अविनिश्चित न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किए बिना माल

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह 'ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में दो लाख रुपये व अन्य व्यापारी की दशा में तीन लाख रुपये' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2. 2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित-

"(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई ऐसा माल लाता है या मँगवाता है जो उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र में ही उसके द्वारा बेच दिया जाता है और वास्तव में माल बाहर चला जाता है, कोई कर उदग्रहीत और संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्र अभिनिश्चेय न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किये बिना माल को उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्र के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और स्थानीय क्षेत्र में माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचा गया हो और माल वास्तव में बाहर चला गया हो, तो इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से व्यापारी ऐसे माल के संबंध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व माल को बेचने वाले व्यापारी पर होगा कि कोई माल किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिये उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचे गये थे और वास्तव में उक्त माल उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाये गये थे।"

उक्त उपधारा (6) भी 1.11.1999 से लागू थी।

को राज्य के बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और माल के राज्य के बाहर या निर्यात के दौरान पारेषित हो जाने या बिक्री हो जाने के पश्चात, व्यापारी कर के रूप में संदत्त ऐसी धनराशि की वापसी या समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है, जिसमें ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसा माल राज्य के बाहर अंतरित किया गया हो या अन्तर्राजीय या निर्यात के दौरान बिक्री किया गया हो।

[1]*(7) निकाल दी गई।*

(8) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और किसी अभिकर्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है, वहाँ मालिक कर संदेय का दायी नहीं होगा और इसी प्रकार जहाँ किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और मालिक के द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है वहाँ अभिकर्ता कर संदेय का दायी नहीं होगा।

(9) जहाँ

(एक) क्रय किये गये किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में-

(क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चेय न हो या यथास्थिति व्यापारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, के द्वारा यथा घोषित ऐसे माल का मूल्य, किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने के कारण अथवा प्रस्तुत न करने के कारण, सत्यापन योग्य न हो, या

(ख) क्रय मूल्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज या परिवहन प्रभार और अन्य प्रभार विश्वसनीय न हों, या

(दो) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य, जो यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा घोषित किया गया हो, युक्तियुक्त पूर्वक प्रतीत या विश्वसनीय न हो,

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से निकाली गई।

इसके पूर्व दिनांक 1.11.1999 से प्रभावी उप-धारा (7) निम्नवत थी–

"(7) जहाँ माल का पारेषण आंशिक रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में ही उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए और आंशिक रूप से उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने के लिए, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ उपभोग, उपयोग या बिक्री किये जाने के लिये माल का मूल्य अभिनिश्चेय न हो, वहाँ व्यापारी पारेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा और यथापूर्वोक्त किसी माल को बाहर अन्तरित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार अन्तरित किये गये माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व कर वापसी का दावा करने वाले व्यापारी पर होगा कि किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में लाने या प्राप्त किये जाने के बाद उसे उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग या बिक्री के बिना अन्तरित कर दिया गया है।"

तब जिस स्थानीय क्षेत्र में माल लाया जा रहा है उस स्थानीय क्षेत्र में खुले बाजार का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त पूर्वक अवधारित थोक मूल्य, यथास्थिति माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा व्यापारी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन के लिए खण्ड (1) के संदर्भ में कर निर्धारण अधिकारी यह अवधारित करेगा कि माल क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किया गया है।

(10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि तक चले, रखी जायेगी, और जब तक कि कोई बाद की तिथि निर्धारित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे उपान्तरणों या अधिशून्यनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होगी, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण परिष्कार या अधिशून्यन से सम्बद्ध इसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर इसके सिवाय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि कर या शास्ति का किसी प्रकार का अधिरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण उक्त उपान्तरण या अधिशून्यन के अध्यधीन होगा।

[नियम 6]

धारा 4—कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी का वर्ष 2006-2007 के लिए उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गयी। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भिन्न-भिन्न आदेश पारित करने के लिए वाद प्रतिप्रेषित किये जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील दायर की गयी जिसमें कहा गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था कि वे प्रवेश कर अधिनियम में पारित आदेश को पुनः पारित करने के लिए निर्देश दें, लेकिन उनकी द्वितीय अपील भी अस्वीकार कर दी गयी जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अस्वीकार करते हुए लिखा कि प्रथम एवं द्वितीय अपील सामूहिक आदेश के विरूद्ध दायर की गयी थी जिसमें दोनों ही आदेश सम्मिलित थे और अपीलीय अधिकारी ने दोनों आदेशों को पुनः पारित करने के निर्देश देकर कोई गलती नहीं की है।

Bhawani Gutkha Bhandar vs C.C.T., U.P., (TTR No. 604 of 2010 Dated 29.07.2010) (VSTI 2010 B-973)

2. व्यापारी ने इस आधार पर रिट दायर की कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 258 वर्ष 2000 में उनके मामले में जो आदेश दिया था, उसके अधीन उन्होंने वैट के संदर्भ में 10 करोड़ रूपये जमा किये थे और प्रवेश कर देयता के संबंध में बैंक गारण्टी जमा की थी तथा एडीशनल कमिश्नर ने भी दिनांक 2.7.2010 को फार्म-डी जारी करने के आदेश दिये थे, लेकिन अधिकारी ने फार्म-डी जारी नहीं किये। व्यापारी ने रिट संख्या 1532 वर्ष 2007 जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.10.2008 का भी हवाला दिया जिसमें इन्हीं परिस्थितियों में आदेश दिये गये थे कि यदि प्रवेश कर देयता के संबंध में बैंक गारण्टी जमा कर दी जाती है तब फार्म-डी का फारमेट बदल दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में लिखा है कि नियम-5(1) के अंतर्गत विक्रेता क्रेता को फार्म-ई जारी करता है जिसमें यह घोषणा होती है कि उसने प्रवेश कर दे दिया है, ताकि क्रेता पर दोबारा

प्रवेश कर न पड़े, लेकिन जिन मामलों में प्रवेश कर के विरूद्ध बैंक गारण्टी जमा कर ली जाती है, उसमें यह फार्म अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस कोर्ट ने रिट संख्या 1532 वर्ष 2007 में निर्देश दिये थे कि फार्म-ई के स्तम्भ संख्या 2(ए) में कोर्ट द्वारा निर्देशित वाक्य लिखने पर इस फार्म को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें व्यापारी सत्यापित करता है कि जब रिट का निस्तारण हो जाएगा या अंतरिम स्टे आदेश दिनांक 1.11.2007 समाप्त हो जाएगा, उस समय देय प्रवेश कर कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। व्यापारी ने वैट अधिनियम के नियम-4(6) के अंतर्गत भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रवेश कर के मामले में भी लागू होता है और वह भी अभी अनिस्तारित है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि नियम-4(6) के अधीन दिनांक 23.7.2010 को दाखिल आवेदन पत्र का निस्तारण नियमानुसार अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर कर दिया जाये और इस बीच फार्म-डी का स्तम्भ संख्या 2(ए) उसी प्रकार भरा जाएगा जैसा रिट संख्या 1532 वर्ष 2007 में निर्देशित किया गया। फार्म-ई के स्थान पर अब फार्म-डी लागू कर दिया गया है तथा रिट संख्या 258 वर्ष 2008 में दिनांक 14.2.2008 को जो आदेश जारी किये गये थे, उसके अंतर्गत व्यापारी ने प्रवेश कर के संदर्भ में जमानत जमा कर दी है जिसमें वे भविष्य में प्रवेश कर देने की जिम्मेदारी ले रहे हैं अतः इस निर्णय के आधार पर रिट का डिस्पोजल किया गया, अर्थात् व्यापारी को फार्म-डी जारी किए जाएंगे और वे रिट संख्या 1532 वर्ष 2007 के अनुसार उसे भरेंगे।

Sri Cement Ltd. by General Manager (Law) vs State of U.P., (Vividh Writ No. 8403 of 2010 Dated 27.08.2010); VSTI 2010 B-994

3. व्यापारी के वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 के कर-निर्धारण आदेश पारित करके मांग सृजित की गयी जिसके विरूद्ध प्रथम अपील से स्टे दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील दाखिल की गयी, जहां से 90 प्रतिशत स्टे मिला और उसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया। व्यापारी का कहना था कि गुणदोष के आधार पर भी उनका वाद सही है, क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाओं में वैधता के बिन्दु पर लंबित है और अनेकों याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ शत्-प्रतिशत स्टे दे रखा है कि व्यापारी देयकर के संबंध में जमानत दाखिल करेंगे। उपरोक्त पृष्ठभूमि में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसलों के आधार पर निर्णय दिया कि व्यापारी के विरूद्ध सृजित प्रवेश कर की मांग स्थगित रहेगी, बशर्ते कि व्यापारी 1 माह के अंदर उस राशि की बैंक गारण्टी प्रस्तुत कर देते हैं जो हर वर्ष नवीनीकृत की जाएगी। ऐसा न होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs C.C.T., U.P., (TTR No. 231 and 232 of 2011 Dated 29.03.2011) Dhara-9)(3-A); 2011 NTN (Vol. 45) 256

4. व्यापारी ने इस आधार पर रिट दायर की, कि विभाग उन्हें फार्म-डी जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने रिट संख्या 1385 वर्ष 2010 में प्रवेश कर अधिनियम की वैधता को चुनौती दी थी जिसमें देय प्रवेश कर के समतुल्य बैंक गारण्टी जमा करने के निर्देश दिये गये थे और वह जमा भी की गयी है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी वस्तु पर एक बार प्रान्त के अंदर प्रवेश कर जमा किया जा चुका है, तब दोबारा नहीं लग सकता है। इस न्यायालय ने रिट संख्या 1626 वर्ष 2009 में दिनांक 30.7.2009 को निर्देश दिये थे कि यदि फार्म-ई के कॉलम नंबर-2(ए) में व्यापारी न्यायालय द्वारा लिखी गयी शब्दावली अंकित करेगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा। अतः पुनः निर्देश दिया कि यदि व्यापारी फार्म-डी में वह भाषा जो न्यायालय ने रिट संख्या 1385 वर्ष 2010 में अंकित की है, लिखता है तो विभाग इन फार्मों को स्वीकार करेगा और व्यापारी समय-समय पर बैंक गारण्टी नवीनीकृत कराते रहेंगे।

Binani Cement Ltd. vs State of U.P. and Other, (Writ No. 652 of 2011 Dated 03.05.2011 Case-5(1); 2011 NTN (Vol. 46) 85

इन्ही तथ्यों के आधार पर *Gwalior Ispat Udyog Ltd. vs Government of U.P., 2011 NTN (Vol. 46) page 168* का निर्णय भी पठनीय है।

5. व्यापारी ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश कर अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए रिट संख्या 1625 वर्ष 2009 दायर की थी जिसमें दिनांक 28.7.2009 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रवेश कर की देयता को इस प्रतिबंध के साथ स्थगित किया था कि व्यापारी देय प्रवेश कर के समतुल्य बैंक गारण्टी जमा करेंगे। उस समय प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत थी। बाद में विज्ञप्ति जारी कर यह कर की दर 5 प्रतिशत कर दी गयी और शासन ने एक अन्य विज्ञप्ति संख्या 418 दिनांक 31.3.2011 भी जारी की जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस पर प्रवेश कर देयता है, वह प्रान्त के अंदर की गयी बिक्री पर दिये गये वैट का इसमें समायोजन कर सकता है। इस दूसरी विज्ञप्ति के आधार पर व्यापारी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि देय प्रवेश कर में से प्रदत्त वैट टैक्स घटाने से जो शुद्ध देयता आती है, उसके बराबर ही बैंक गारण्टी जमा करने की अनुमति दी जाये। कोर्ट ने सुनवाई के लिये वाद नियत किया और उस समय तक यह निश्चित किया कि आरोपित किये जाने वाले प्रवेश कर में से देय वैट कर को घटाने के बाद अवशेष राशि के बराबर ही बैंक गारण्टी दी जाएगी।

Rashtriya Ispat Nigam Ltd. vs State of U.P. and Other, (Writ No. 675 of 2011 Dated 12.05.2011)

6. व्यापारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस रिट में यह निवेदन किया गया कि इस न्यायालय की सम-सदस्यीय पीठों ने अनेकों निर्णयों में तथा इस पीठ ने रिट संख्या 110 (एमबी) वर्ष 2008 में यह कहा था कि विज्ञप्ति संख्या 923 दिनांक 20.5.2005 के अंतर्गत चीनी बनाने वाली शुगर मिल से शीरा खरीदने पर प्रशासनिक व्यय वसूल करने के संदर्भ में या चीनी की खरीद प्रान्तीय प्रवेश कर के संबंध में कोई उत्पीड़न कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर, बाराबंकी ने जो आदेश पारित किया है, वह इसके पूर्णतया विपरीत है। अतः यदि प्रवेश कर वसूल करने के संबंध में कठोर कार्यवाही की जाती है तो ऐसी शुगर मिल्स को करमुक्ति देने विषयक इस विज्ञप्ति का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसके विपरीत विभागीय अधिवक्ता का कहना था कि व्यापारी द्वारा जब करमुक्ति लेने संबंधी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, तभी उन्हें करमुक्ति मिलेगी, लेकिन बहस के दौरान जब स्थायी अधिवक्ता से पूछा गया कि अधिकारी ने विभिन्न याचिकाओं में जो निर्देश दिये हैं, उसके विपरीत आदेश पारित किया गया है, तब उन्होंने स्वीकार किया कि कर-निर्धारण अधिकारी को वाद प्रतिप्रेषित कर दिया जाये। अतः माननीय उच्च न्यायालय ने इस वाद को अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वे उक्त याचिका में अभिव्यक्त निर्णयों के प्रकाश में स्वयं आदेश पारित करें।

Abdul Jalil Home Sale Sugar Dealer, Barabanki and Other vs State of U.P., (Vividh Writ No. 11364 of 2011 Dated 17.11.2011)

7. इस वाद में सैकड़ों निर्माताओं, आयात कर्ताओं एवं व्यापारियों ने रिट दायर की है जिसमें उ.प्र. में स्थानीय आदेश में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उ.प्र. राज्य विधायिका इस अधिनियम को पारित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संविधान की धारा 301 के यह विरूद्ध है। यह चुनौती भी दी गयी कि इसे पूर्वकालीन तिथि 1.11.1999 से प्रभावी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम 2000 को इस उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. बनाम उ.प्र. राज्य (एआईआर 2004 इलाहाबाद 277)* के निर्णय में अवैध घोषित कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 152 प्रस्तरों का विस्तृत आदेश पारित किया है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि उ.प्र. में स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 संवैधानिक रूप से उचित है। इस प्रकार इन सभी याचिकाओं को निरस्त किया गया।

I.T.C. Ltd. vs State of U.P. and Other, (2012) 18 VLJ 1

8. इस मामले में अनेकों फर्मों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट संख्या 1484 वर्ष 2007 निर्णय दिनांक 23.12.2011 की सत्यता/प्रमाणिकता को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम 2007 को वैध माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे के संबंध में तथा अंतरिम रिलीफ के संबंध में कहा कि वे अपीकर्ता द्वारा निवेदित खाली स्टे बिना शर्त के नहीं देंगे अतः उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक मामले में जो कर देयता और बकाया धनराशि है, उसका 50 प्रतिशत नगद जमा किया जाएगा, शेष आज से 4 सप्ताह के अंदर बैंक गारण्टी के रूप में जमा किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब रिट याचिकाएं लंबित थीं, उस समय जो धनराशि देय थी या जमा की गयी थी, उसका समायोजन करने के पश्चात ही यह धनराशि जमा की जाएगी। इस अवधि में बैंक गारण्टी नियमतः एवं अनवरत रूप से नवीनीकृत करायी जाएगी। इन अपीलों के परिणाम के आधार पर ही इस बैंक गारण्टी या धनराशि का भविष्य निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि ब्याज और अर्थदण्ड मिलाते हुए व्यापारी की जो कर देयता है, या बकाया राशि है, उनका भी 50 प्रतिशत जमा किया जाएगा और शेष राशि के लिए बैंक गारण्टी दी जाएगी, ऐसा न करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। यदि राज्य सरकार अंतिम सुनवाई के समय हार जाती है तब वह अपीलकर्ता को समस्त जमा की गयी धनराशि ब्याज सहित वापस करेगी और ब्याज की दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। इसी प्रकार यदि अपीलकर्ता हार जाते हैं तब विभाग उनकी बैंक गारण्टी से धनराशि वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है और जो अवशेष ब्याज और अर्थदण्ड की धनराशि बकाया रहती है, उसके लिए भी डिमांड नोटिस जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता वर्तमान कर की दर से आगामी अवधि के लिए कर जमा करता रहेगा और इस अवधि में विभाग से आशा की जाती है कि वे कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसे व्यापारियों को 2 दिन का अवसर दिया जिन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था। याचियों की तरफ से सोलीसाईटर जनरल ने यह प्रतिवाद भी किया कि प्रतिवादियों ने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2007-2008 से 2010-2011 तक के लिए प्रवेश कर की मांग की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिये हैं, जबकि इन वर्षों के लिए कर-निर्धारण आदेश भी पारित नहीं हुए हैं। इस संदर्भ में विभाग की तरफ से उपस्थित अधिवकता ने आश्वासन दिये कि वे विभाग से इस संबंध में जानकारी लेकर शपथ पत्र दाखिल करेंगे। वाद सुनवाई हेतु नियत किया गया।

Vikram Cement vs State of U.P. and Other, S.L.P. Civil No. 33 of 2012 Dated 12.01.2012 (SC); (2012) 18 VLJ 145 (SC)

9. इस वाद में व्यापारी ने स्थानीय क्षेत्र में स्थित शुगर मिल के प्रथम क्रेता के रूप में नॉनलेवी शुगर की खरीद की थी और उस पर कोई प्रवेश कर देयता नहीं मानी थी। प्रथम एवं द्वितीय अपील में उसके कथन को मान्यता दी गयी अतः विभाग ने यह पुनरीक्षण दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि *कमिश्नर व्यापार कर बनाम रमेशचन्द संजय कुमार, शामली, मुजफ्फरनगर (2009 एनटीएन वॉल्यूम-39 पृष्ठ-70)* में इस न्यायालय ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि शामली के स्थानीय क्षेत्र में निर्मित लेवी शुगर की खरीद करने पर प्रवेश कर देयता नहीं होती है, अर्थात् जिस स्थानीय क्षेत्र में चीनी का निर्माण हो रहा है, उसी क्षेत्र का ग्राहक या क्रेता यदि मिल से नॉनलेवी शुगर खरीदता है, तब प्रवेश कर आरोपित नहीं होगा। अतः पुनरीक्षण निरस्त किया गया।

C.T.T., U.P. vs Vinod Kumar Pawan Kumar, (TTR No. 395 of 2007 Dated 12.01.2012); 2012 NTN (Vol. 48) 109

निम्नलिखित निर्णयों मे यही मत निर्धारित किया गया है :

C.C.T., U.P. vs Ramesh Chand Sanjeev Kumar, Shamli, (2009) 10 VLJ 17

C.T.T., U.P. vs Hari Prakash Ramprakash, Shamli, Muzaffarnagar, (2010) 14 VLJ 164

10. विभाग द्वारा क्रूड ऑयल के आयात पर प्रवेश कर आरोपित किया गया। व्यापारी ने प्रवेश कर अधिनियम की वैधता को शुरू में ही चुनौती दे रखी थी जिसका निस्तारण रिट संख्या 1483 वर्ष 2007 निर्णय दिनांक 23.12.2011 में करते हुए इस अधिनियम को वैध माना गया जिसके विरूद्ध यह एस.एल.पी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी, जहां पर इसी बिन्दु पर अन्य एस.एल.पी. भी थीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनके समक्ष सोलासाईटर जनरल ने कहा था कि विभाग के पास वर्ष 2007-2008 से 2010-2011 तक के लिए डिमांड नोटिस जारी करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि इन वर्षों के लिए कर-निर्धारण आदेश पारित नहीं किये जा सकते थे। इसके विपरीत विभागीय अधिवक्ता से न्यायालय ने यह अपेक्षा की, कि वे यह विभाग से ज्ञात करके बतायें कि डिमांड नोटिस का आधार क्या है? राज्य द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2007-2008 का कर-निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है और उसके अनुरूप मांगपत्र जारी किया गया है। अन्य वर्षों के लिए कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, किन्तु रूप पत्रों में व्यापारी ने विक्रय धन एवं कर देयता निकाली है, यद्यपि कर देयता मानी नहीं है। इसी आधार पर मांग पत्र जारी किये गये हैं। व्यापारी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सर्वश्री मुंगई गांव रिफाईनरी एवं पैट्रोकैमिकल लि. (अब इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.) बनाम आसाम राज्य एवं अन्य के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सृजित मांग का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देते हुए शेष मांग स्टे कर दी थी जिसे बाद में 30 प्रतिशत किया गया। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के अंतरिम आदेश उनके लिए प्रेसीडेन्ट्स नहीं हैं। व्यापारी द्वारा यह भी कहा गया कि वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 तक की अवधि में कुछ महीनों के लिए रूप पत्र दाखिल नहीं किये गये जिस पर न्यायालय ने कहा कि 4 सप्ताह के अंदर व्यापारी यह रूप पत्र दाखिल करें और तत्पश्चात अधिकारी कर-निर्धारण आदेश पारित करके मांग सृजित करेंगे। इसके बाद अगले 6 सप्ताह के अंदर व्यापारी सृजित मांग जमा करेंगे और इस संबंध में विक्रम सीमेंट बनाम उ.प्र. राज्य के वाद में दिनांक 11.1.2012 तथा गेल इंडिया लि. एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य की एस.एल.पी. में दिनांक 13.1.2012 को दिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करेंगे। व्यापारी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वर्ष 2000-2001 से 2009-2010 के बीच में सृजित मांग में से काफी धनराशि जमा की जा चुकी है और अभी भी लगभग 100 करोड़ रूपये जमा किया जाना अवशेष है। इन वर्षों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अपील दायर की गयी हैं जो अभी लंबित हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यापारी का यह कथन उचित है अतः वे सक्षम अधिकारी के समक्ष अग्रिम 4 सप्ताह के अंदर अपील दायर कर सकते हैं और तत्पश्चात वे अधिकारी अगले 4 सप्ताह में उसका निस्तारण करेंगे। इस बीच में राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया कि वे अपीलों के निस्तारण तक कोई रिकवरी नहीं करेंगे। यह निर्देश गेल अथोर्टी लि. के मामले में दिये गये। इसी प्रकार मोजर बीयर इंडिया लि. बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य की एस.एल.पी. संख्या 196 वर्ष 2012 के संबंध में भी यही एस.एल.पी. दाखिल की गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सृजित मांग इस प्रतिबंध के साथ स्थगित की, कि मांग का 50 प्रतिशत व्यापारी जमा करेंगे और शेष धनराशि के लिए बैंक गारण्टी दाखिल करेंगे। इसी के साथ जो ब्याज और अर्थदण्ड की मांग सृजित की गयी है, उसका भी 50 प्रतिशत जमा करेंगे, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएंगे। यदि सुनवाई में राज्य सरकार हार जाती है तो वह यह धनराशि ब्याज सहित वापस करेगी और ब्याज की दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। यदि व्यापारी हार जाता है तो राज्य सरकार बैंक गारण्टी को कैश करा सकती है। व्यापारी भविष्य में प्रवेश कर की मांग को जमा करते रहेंगे और विभाग कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेगा।

Moser Beer India Ltd. vs State of U.P. and Other, S.L.P. No. 196 of 2012 and S.L.P. No. 324 to 327 of 2012 Dated 17.01.2012 (SC); (2012) 18 VLJ 148 (SC)

यही निर्णय निम्नलिखित मामलों में भी दिये गये हैं :-

(क) *Aditya Birla Chemicals (India) Ltd. vs State of U.P. and Other, (Civil Appeal No. 288 and 3765 of 2012 Dated 10.02.2012)*

(ख) *Binani Cement Ltd. vs State of U.P. and Other, Dated 17.02.2012 (SC)*

(ग) *Dishnet Wireless Ltd. vs State of U.P., S.L.P. No. 9484 of 2012 Dated 20.03.2012 (SC)*

11. व्यापारी बीड़ी के निर्माता हैं। उन्होंने दिनांक 16.5.2003 से 31.3.2008 की अवधि के लिए रू. 37,72,588=00 का प्रवेश कर जमा किया था, क्योंकि उस समय शैड्यूल में क्रमांक संख्या 18 पर तेंदू की पत्ती शामिल थी। बाद में प्रवेश कर अधिनियम 2007 वैध माना गया। व्यापारी का कहना था कि आईटीसी लि. बनाम उ.प्र. राज्य की रिट में दिनांक 23.12.2011 को प्रवेश कर अधिनियम 2007 वैध माना गया है, इसलिए पूर्व अवधि के लिए जमा किया गया प्रवेश कर उन्हें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि पुराना अधिनियम अवैध घोषित किया गया था। व्यापारी का कहना था कि दिनांक 30.5.2008 से तेंदू की पत्ती को शैड्यूल से हटा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट को निरस्त किया और यह माना कि व्यापारी गलत विवेचना कर रहे हैं। जब तेंदू की पत्ती स्थानीय क्षेत्र में लायी गयी थी। उस समय प्रवेश कर देय था। यदि बाद में इसे शैड्यूल से हटा दिया गया तो उससे पहले की अवधि दिनांक 16.5.2003 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए यह देय रहेगा।

Sayyed Absar Bidi Works vs State of U.P. and Other, (Writ No. 159 of 2012 Dated 02.02.2012); 2012 NTN (Vol. 48) 221

12. इस पुनरीक्षण में विभाग ने यह प्रश्न उठाया था कि विज्ञप्ति संख्या 764 दिनांक 4.3.2008 के अधीन व्यापारी ने जो प्रवेश कर जमा किया है, उसका रिबेट देते समय उ.प्र. वैट अधिनियम के अंतर्गत देयकर में से समायोजन किया जाना क्या उचित है? माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि उचित है।

C.C.T., U.P. vs Chunar Churck Cement Pvt. Ltd., (TTR No. 779 of 2011 Dated 22.02.2012)

13. इस वाद में व्यापारी ने माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन किया था कि वे प्रवेश कर अधिनियम 2007 को अवैध घोषित करे तथा विभागीय अधिकारी को आदेशित करें कि उनसे प्रवेश कर वसूल न किया जाये। स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि *आईटीसी बनाम उ.प्र. राज्य (2012 यूपीटीसी 73)* में इस न्यायालय ने प्रवेश कर अधिनियम को वैध माना है। व्यापारी के अधिवक्ता ने पुनः कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17.1.2012 को जो अंतरिम राहत दी है, उसके आधार पर *गोविन्द शुगर मिल्स लि. बनाम उ.प्र. राज्य (एसटीआई 13-290)* के निर्णय में रिट का डिस्पोजल कुछ निर्देशों के साथ किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि इस निर्णय में एक निर्देश यह था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अंतिम निर्णय दिया जाता है, उसके तद्नुरूप जमा किये गये प्रवेश कर का व्यापारी समायोजन कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि वही निर्देश इस वाद में भी लागू माना जाएगा।

Ambuja Cement Ltd. vs State of U.P. and Other, (Writ No. 326 of 2012 Dated 15.03.2012)

टिप्पणी:-प्रवेश कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ पुराने महत्वपूर्ण निर्णय अधोलिखित है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अनवर खान महबूब कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ बोम्बे राज्य (एआईआर 1961 एससी 213)* के निर्णय में विस्तार से खपत अथवा कन्जमसन के संबंध में चर्चा की है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *डायमण्ड शुगर मिल्स लि. बनाम उ.प्र. राज्य (एआईआर 1961 एससी 652)* में प्रस्तर-25 में स्थानीय क्षेत्र के विषय में चर्चा की है और लिखा है कि स्थानीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका प्रशासन स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी द्वारा होता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *वर्मा शैल्स ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी बनाम बेलगांव बोरो म्यूनिसीपल्टी (एआईआर 1963 एससी 906)* के निर्णय में कहा है कि यदि कोई कम्पनी

किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उपभोक्ता को सीधे बिक्री करती है अथवा स्वयं द्वारा खपत करने के लिए माल लाती है अथवा ऐसे व्यापारी को बिक्री करने के लिए माल लाती है जो उसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिक्री करते हैं, भले ऐसे उपभोक्ता उस माल का स्वयं प्रयोग करें अथवा उसे उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जायें लेकिन ऐसी कम्पनी यदि कोई माल स्थानीय क्षेत्र में लाती है एवं पुनः उसका एक्सपोर्ट होता है, तब चुंगी देय नहीं होगी। ज्ञातव्य हो कि प्रवेश कर पहले चुंगी के रूप में आरोपणीय एवं देय था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुरावृत्ति *[हीरालाल ठाकोर लाल दलाल बनाम बेंच म्यूनिसीपल्टी (एआईआर 1976 एससी 1446)]* के निर्णय में की है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *एस.एम. रामलाल एण्ड कम्पनी बनाम सचिव भारत सरकार (एआईआर 1969 एन.एस.सी. 37)* के निर्णय में कहा है कि संविधान के 7वें शैड्यूल की सूची-2 की प्रविष्ठि-52 पर 'use' या 'प्रयोग' शब्द का अर्थ खपत एवं बिक्री के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इस विवेचना के आधार पर 'प्रयोग' शब्द का अर्थ है कि या तो माल के स्वामी का हक या टाईटिल किसी दूसरे को अंतरित हो गयी है अथवा वह वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं रह गयी है, अर्थात् इसकी अवस्था में रूपान्तरण हो गया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *ज्योथि टिम्बर मार्ट बनाम कालीकट कारपोरेशन (1969-2 एससीसी 348)* के निणर्य में कहा है कि नगर पालिका ऐसे टिम्बर पर कर नहीं लगा सकती है जो कि उस शहर से परिवहन के दौरान गुजर रहा हो और जिसे उस शहर के बाहर जाना है। माल उस शहर में थोड़ी देर के लिए रोककर रेल से अथवा सड़क से अथवा पानी के रास्ते यदि बाहर ले जाया जाता है तब कर नहीं लगेगा।

19. *कठियावाड़ इण्डस्ट्रीज लि. बनाम जाफराबाद म्यूनिसीपल्टी (1979 एससी 172) (निर्णय दिनांक 8.8.1979)* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनवर खान महबूब (सुप्रा) तथा वर्मा सैल (सुप्रा) के निर्णय का हवाला देते हुए खपत एवं 'प्रयोग' शब्द के अंतर को इस निर्णय में विस्तार से स्पष्ट किया है। इस वाद में साबुत नमक फैक्ट्री में आता था और उसे पिसाई करके बेचा जाता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'प्रयोग' शब्द का 'खपत' शब्द की तुलना में व्यापक क्षेत्र है, अतः यह माना जाएगा कि बिना पिसा हुआ नमक प्रयोग करके एक नया उत्पाद बनाया गया।

20. *भास्कर टैक्सटाईल मिल्स लि. बनाम झारसुगुडा म्यूनिसीपल्टी (1984-2 एससीसी 25)* इस वाद में कोटन स्पिनिंग के लिए फैक्ट्री में आती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा सैल (सुप्रा) के निर्णय का अनुपालन करते हुए माना कि कर्नाटक नगर पालिका इस पर कर आरोपित कर सकती है, क्योंकि इसमें कोटन स्पिनिंग में प्रयोग किया गया है।

21. यदि कोई वस्तुत किसी सीमित समय के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में लायी जाती है तथा बाद में बाहर भेज दी जाती है, तब प्रवेश कर नहीं लगेगा। प्रवेश कर चूंकि पहले चुंगी के रूप में लग रहा है, इसलिए अधिकांश पुराने निर्णय चुंगी से ही संबंधित हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों में यही अवधारणा व्यक्त की है।

(i) *इंडियन ऑयल कारपोरेशन बनाम म्यूनिसीपल कारापोरेशन (1993-1 एससीसी 333)*

(ii) *ई.टी.ओ. बनाम चंदनमल चम्पालाल एण्ड कम्पनी (1994-95 एसटीसी 5)*

22. व्यापारी डुपलैक्स बोर्ड का निर्माण कर रहे थे जिस पर विज्ञप्ति दिनांक 31.10.2011 के अधीन इसे कागज मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने *बिक्री कर आयुक्त बनाम राम पेपर मिल्स लि. (2004-39 एसटीआर 349)* के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें डुपलैक्स बोर्ड को पैकिंग मैटीरियल माना गया और *महावीर इण्डस्ट्रीज, सहारनपुर बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य (1986 यूपीटीसी 369)* के निर्णय का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर किसी वस्तु

की कर देयता पर विचार किया जाएगा अतः यदि हम कागज खरीदने जाते हैं तो हमें डुपलैक्स बोर्ड नहीं दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी *उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम कोर्स (इंडिया) लि. (1977 यूपीटीसी 46)* के वाद में माना था कि कागज का प्रयोग सामान्यतया लिखने में, प्रिन्टिंग में, पैकिंग में, ड्राईंग में, सजावट में अथवा दीवार को ढकने में होता है। इस विवेचना के आधार पर डुपलैक्स बोर्ड को समस्त प्रकार के कागज जिसमें न्यूज प्रिन्ट शामिल नहीं हैं, कि प्रविष्टि से भिन्न माना गया।

Cheema Papers Ltd. vs C.C.T., Lucknow, (TTR No. 35 of 2012 Dated 22.05.2012); (2012) 16 VLJ 109

23. व्यापारी ने डुपलैक्स बोर्ड की खरीद की जिसे पेपर मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया। प्रथम अपील से व्यापारी का कथन स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध विभाग ने द्वितीय अपील दायर की। अधिकरण ने माना कि *कमिश्नर, व्यापार कर, उ.प्र. बनाम रामा पेपर मिल्स लि., नजीबाबाद (2004 एसटीजे 617)* में माना है कि डुपलैक्स बोर्ड का प्रयोग कागज की तरह नहीं हो सकता है और इसका प्रयोग केवल पैकिंग मैटीरियल के रूप में होता है। अतः विभागीय अपील अस्वीकार की गयी तथा आरोपित कर समाप्त किया गया।

C.T.T., U.P. vs R.N.G. Packaging Pvt. Ltd., Noida, (2009) 9 VLJ 5 Tribunal

24. व्यापारी रेल लाईन स्क्रैप की खरीद करते थे, उससे कृषि यन्त्रों का निर्माण करते थे और अवशेष वस्तुओं की बिक्री करते थे। प्रवेश कर अधिनियम की विज्ञप्ति दिनांक 15.1.2009 के अनुसार आयरन स्क्रैप पर प्रवेश कर देय नहीं है, लेकिन आयरन, स्टील के अंतर्गत डिफेक्टिव, रिजेक्ट्स एवं कटिंग्स पर प्रवेश कर देय है। खरीद करते समय बिल पर और फार्म-31 पर रेल (डिफेक्टिव/रिजेक्टिड) लिखा होने के कारण इसे वेस्ट मैटीरियल या स्क्रैप न मानते हुए प्रवेश कर लगाया गया जिसका समर्थन द्वितीय अपील तक हुआ। पुनरीक्षण में माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकों निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु स्क्रैप हो सकती है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए कच्चा माल हो सकती है। कर केवल बिल एवं फार्म-31 की प्रविष्टियों के आधार पर लगाया गया है, जबकि फार्म भरने वाले या बिल बनाने वाले व्यक्ति तकनीकि रूप से विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया कि माल खरीदते समय इसे स्क्रैप के रूप में खरीदा गया है अथवा वेस्ट मैटीरियल/रिजेक्टिड वस्तु के रूप में। अतः यह मामला कर निर्धारण अधिकारी को इस संदर्भ में जांच हेतु प्रति प्रेषित किया गया।

Prince Industries vs C.C.T., U.P., (2012) 19 VLJ 187

25. इन याचिकाओं में उ.प्र. में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की वैधता को चुनौती दी गयी है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को अवैधानिक घोषित करने का निवेदन दिया। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने माना कि *आईटीसी लि. बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य (रिट संख्या 1484 वर्ष 2007)* में इस अधिनियम को वैध माना गया है। जहां तक कर वसूल करने का प्रश्न है, कर निर्धारण के फलस्वरूप अभी कर की गणना किया जाना अवशेष है। अतः राज्य सरकार डिमांड नोटिस जारी नहीं कर सकती है। पहले वे कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए देयकर की गणना करें, तत्पश्चात डिमांड नोटिस जारी करे। इस संबंध में व्यापारी वैकल्पिक उपचार के रूप में धारा-55 के अधीन अपील कर सकते हैं। यह भी निर्देशित किया गया कि व्यापारी देयकर का 50 प्रतिशत जमा करेंगे और शेष धनराशि के लिए 4 सप्ताह के अंदर बैंक गारण्टी देंगे। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के समय राज्य सरकार हार जाती है तो यह समस्त धनराशि व्यापारी को ब्याज के साथ वापस की जाएगी, ब्याज की दर का निर्धारण यह न्यायालय करेगा, लेकिन यदि व्यापारी हार जाता है तब विभाग बैंक गारण्टी को कैश करा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्याज अथवा अर्थदण्ड एवं अन्य बकाया वसूली जमा करा सकता है।

C.A. Cheving Fregrances Pvt. Ltd. vs State of U.P. and Other, (2012) 19 VLJ 201

26. इस मामले में अनेक व्यापारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की थी जिसमें प्रवेश कर अधिनियम-2007 की वैधता को चुनौती दी गयी है। इसके अतिरिक्त जो डिमांड नोटिस जारी की गयी है, उनको भी चुनौती दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि *आई.टी. सी. लि. बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य (2012-18 वीएलजे 1)* के निर्णय में खण्डपीठ ने इस अधिनियम को वैध माना है जिसकी पुनरावृत्ति की गयी। जहां तक डिमांड नोटिस का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि विभागीय अधिकारी पहले कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर देयता निर्धारित करेंगे, उसके बाद ही डिमांड नोटिस जारी की जाएगी।

Govind Sugar Mills Ltd., Lakhimpur Khiri and Other vs State of U.P., (2012) 18 VLJ 280

27. व्यापारी मोटर यान की बिक्री करते हैं जिस पर दिनांक 18.2.2010 तक प्रवेश कर था। दिनांक 19.2.2010 से विज्ञापित द्वारा प्रवेश कर समाप्त कर दिया गया और वैट अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य विज्ञप्ति से 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर आरोपित कर दिया गया। व्यापारी के पास दिनांक 19.2.2010 को जो मोटर वाहन स्टाक में उपलब्ध थे, उन पर प्रवेश कर दिया जा चुका था, अतः उन्होंने इस आधार पर रिट दायर की कि इसकी बिक्री पर अतिरिक्त कर देय नहीं होना चाहिए तथा जो प्रवेश कर उन्होंने इस पर दे रखा है, उसका समायोजन अतिरिक्त कर में किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने यह रिट इस आधार पर अस्वीकार की कि व्यापारी ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर सका जिसके अंतर्गत प्रवेश कर का अतिरिक्त कर में समायोजन प्राविधानित है।

Auto Mobile Sterling vs State of U.P. and Other, (2010) 13 VLJ 90

28. वादी ने भारत के बाहर विदेशों से मशीनें खरीदी और इनको खटीमा नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री में लगवाया। प्रवेश कर अधिनियम तथा उ.प्र. कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 14.9.2000 के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रवेश कर आरोपित किया जिसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी कि प्रतिवादी को निर्देशित किया जाये कि इसकी वसूली न की जाये। रिट स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि उ.प्र. माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2000 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 'शक्ति बाह्य' (Ultra-vires) घोषित किया जा चुका है और यह भी अवधारित किया जा चुका है कि प्रवेश कर एक 'प्रतिकरात्मक कर' 'compensatory tax' है, अतः रिट याचिका स्वीकृत योग्य है तथा विवादित परिपत्र दिनांक 14.9.2000 भी अपास्त किये जाने योग्य है।

Polyplex Corporation Ltd. vs State of Uttaranchal and Other, (2009) 10 VLJ 35 Uttaranchal

29. याची ने सी.टी. स्केनर एवं कलर डोपलर की रू. 1,23,00,000.00 की खरीद की थी जिसे मशीनें मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया। प्रथम अपील से इसका समर्थन हुआ, लेकिन द्वितीय अपील से आरोपित कर समाप्त किया गया, अतः यह पुनरीक्षण दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अस्वीकार करते हुए माना कि ये वस्तुएं इलैक्ट्रोनिक गुड्स है। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि *सर्वश्री एगीलैंट टैक्नोलोजिज इंडिया प्रा.लि. बनाम कमिश्नर व्यापार कर (2003 यूपीटीसी 977); बी.पी.एल. इलैक्ट्रोनिक्स बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2001 यूपीटीसी 246 एससी)* तथा *कैनन इंडिया प्रा.लि. बनाम बिक्री कर आयुक्त (2003 यूपीटीसी 10)* के निर्णयों में माना जा चुका है कि ई.सी.जी. मशीन, डैफीब्रिलेटर्स, कलर डोपलर, सिस्टम मौनीटरिंग इक्वीपमेंट, हैण्ड हैल्ड मल्टीमीटर, आर. एफ. नेटवर्क एनाराईजर, कम्यूनिकेशन परफार्मेंस, एनालाइजर, स्पेक्टस एनालाइजर एवं मिनी ओटीडियार इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं हैं। यह भी सिद्धांत इन निर्णयों पर प्रतिपादित किया गया कि ऐसी मशीनें जिसमें माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोल सर्किट्स होते हैं जो इलैक्ट्रोनिक्स सिस्टम में सिग्नल्स की परिमाप करते हैं, वे सभी मशीनें इलैक्ट्रोनिक गुड्स के अंतर्गत आती हैं। अतः आरोपित कर समाप्त करना उचित है।

C.T.T., U.P. vs Medicos Dygnostic Centre Pvt. Ltd., Deoria, (2009) 9 VLJ 61

30. व्यापारी की पल्प निर्माण की दो इकाईयां केरल और कर्नाटक में हैं। वह मध्य प्रदेश में नागदा नामक स्थान पर पल्प प्रोसेसिंग करने के लिए लाया और पुनः राज्य के बाहर ले गया। प्रश्न यह था कि क्या उस पर प्रवेश कर लगेगा या नहीं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *दि ग्वालियर रेऑन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लि. बनाम कमिश्नर बिक्री कर मध्य प्रदेश (1997-105 एसटीसी 58)* के वाद में माना कि प्रवेश कर लगेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय *मनमोहन तुली बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली (एआईआर 1981 एससी 991)* तथा *एच.एम.एम. लि. बनाम दि एडमिनिस्ट्रेटर, बैंगलोर सिटी कारपोरेशन (एआईआर 1990 एससी 47)* के वाद में दिया था जिसका अनुपालन माननीय उच्च न्यायालय ने किया था।

31. व्यापारी खनन का काम करता है और खनन क्षेत्र दो स्थानीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक स्थानीय क्षेत्र से लाईन स्टोन खनन के उपरान्त दूसरे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है। इस पर दूसरे स्थानीय क्षेत्र पर प्रवेश कर लगेगा। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह निर्णय *सतना सीमेंट वर्क्स बनाम बिक्री कर कमिश्नर (1999-116 एसटीसी 539)* में दिया है।

32. यदि कोई वस्तु भारत वर्ष के बाहर से लायी जाती है, तब क्या उस पर प्रवेश कर लगेगा या नहीं? इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने फादर विलियम फर्नांडीज बनाम केरल राज्य में माना था कि कर नहीं लगेगा। पुनः *टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य (2007-6 वीएसटी 587)* के निर्णय में झारखण्ड उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी यही माना, क्योंकि अधिनियम में यह नहीं लिखा था कि भारत के बाहर से लाने पर भी प्रवेश कर लगेगा अर्थात् राज्य के बाहर से लाने में यह निहित नही था कि भारत के बाहर से भी माना जाएगा, परन्तु माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *साईंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी इलाहाबाद बनाम बिक्री कर आयुक्त (1978 यूपीटीसी 403)* के निर्णय में माना कि राज्य के बाहर का तात्पर्य है कि इसमें भारत के बाहर से भी सम्मिलित माना जाएगा। इस विषमता को दूर करने के लिए अब अधिनियम में ही संशोधन कर दिया गया है और उ.प्र. में अधिनियम 2007 में 'राज्य के बाहर' में 'भारत के बाहर' शब्द को सम्मिलित कर लिया गया है।

33. एक व्यापारी प्रवेश करदेयता से मुक्त है, उससे माल खरीदकर दूसरा व्यापारी भिन्न स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है, तब उस पर प्रवेश करदेयता निर्धारित होगी, क्योंकि प्रवेश करदेयता का संबंध विक्रेता से नहीं, अपितु क्रेता से होता है। यह निर्णय माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *कल्याणी मिनिरल्स प्रा.लि. बनाम एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, जबलपुर एवं अन्य (2012-49 वीएसटी 261)* के वाद में दिया है।

34. कोयला खदानों से निकाला गया, फिर दूसरे स्थानीय क्षेत्र में लाकर उसकी तुलाई हुई, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे वैगन में लादा गया और वहां से कोयला अन्य स्थानों में या अन्य स्थानीय क्षेत्र में चला गया। चूंकि वह मध्यस्थ स्थानीय क्षेत्र में न तो बिका, न खपत हुई और न ही उसका प्रयोग हुआ, अर्थात् सीमित समय के लिए केवल उसका वजन कराया या ट्रांसपोर्ट के लिए बुक किया गया। ऐसी स्थिति में उस पर प्रवेश कर नहीं लगेगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने *साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लि. एवं अन्य बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कामर्शियल टैक्सस, बिलासपुर एवं अन्य (2009-24 वीएसटी 348)* में दिया है। इन्हीं परिस्थितियों में यही निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लि. बनाम आयुक्त बिक्री कर मध्य प्रदेश (2009-19 वीएसटी 459)* के वाद में दिया है।

35. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने व्यापारी को चेसिस की सप्लाई की। व्यापारी ने उस पर बॉडी फिट की और बस के रूप में उसे परिवहन निगम को वापस कर दिया। व्यापारी पर प्रवेश कर आरोपित किया गया। उसका कहना था कि वह स्वयं उस वस्तु को लेकर अंदर नहीं आया था, अपितु

उसे चेसिस सप्लाई की गयी थी और निगम बस के रूप में उसे उससे लेकर चले गया। उसने केवल अपने व्यापार स्थल पर चेसिस में बॉडी लगायी है, वह खुद स्थानीय क्षेत्र में माल लेकर नहीं आया है। इन परिस्थितियों में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *हरशा व्हील मूवर्स प्रा.लि. बनाम डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, एसेसमेंट-3, बैंगलोर (2009-20 वीएसटी 27)* के निर्णय में माना कि प्रवेश कर आरोपित नहीं होगा।

36. इस वाद में व्यापारी ने टैक्सपेड चेसिस तमिलनाडु राज्य में खरीदा और उसे प्रान्त के बाहर भेजा। जहां पर उस पर टैंकर लगाया गया। जब टैंकरयुक्त चेसिस तमिलनाडु राज्य में आयी, तब उसके सम्पूर्ण मूल्य पर प्रवेश करदेयता निर्धारित की गयी। व्यापारी का कहना था कि चेसिस पर पूर्व में ही कर दिया जा चुका था। तमिलनाडु के विशेष प्राविधानों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि यह टैंकर एक एसेसिरी के रूप में है और उसके मूल्य को शामिल करते हुए ही इस वस्तु की कीमत निकाली जाएगी, इसलिए पूर्ण धनराशि पर ही प्रवेश कर लगाना उचित है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह निर्णय *मद्रास रिफाईनरीज लि. बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2009-26 वीएसटी 556)* के वाद में दिया।

37. रेलवे को प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत व्यापारी माना जा सकता है, यह मत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2002 एनटीएन वाल्यूम-21-54)* में दिया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *डिस्ट्रिक कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स नॉरदर्न रेलवे, जोधपुर बनाम असिस्टेंट कामर्शियल टैक्स ऑफिसर (1976-37 एसटीसी 423)* में माना था कि रेलवे द्वारा किया गया कार्य व्यापारी की श्रेणी में आता है। इस निर्णय के आधार पर ही प्रश्नगत निर्णय दिया गया।

38. इस महत्वपूर्ण वाद में यह प्रश्न निहित था कि कर्नाटक राज्य के अंदर रेलवे के इंजन में डीजल भरा जाता है, उसका कुछ अंश कर्नाटक राज्य के अंदर खपत हो जाता है और जब ट्रेन कर्नाटक राज्य की सीमा से निकल कर आगे अन्य राज्यों में चली जाती है, तब कर्नाटक राज्य में भरे गये डीजल का बाकी अंश वहां पर खपत होता है, कर्नाटक राज्य में कर अधिकारी ने ऐसे समस्त डीजल पर प्रवेश कर लगाया, क्योंकि वह प्रयोग या खपत करने के लिए भरा गया था। इस वाद में व्यापारी द्वारा जो रेलवे विभाग है, यह भी प्रश्न उठाया गया कि कोई भी राज्य सरकार संघीय सरकार पर अर्थात् केन्द्रीय सरकार पर कर आरोपित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त रेलवे व्यापारी की श्रेणी में भी नहीं आता है और उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *डिस्ट्रिक कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स नारदन रेलवे, जोधपुर बनाम असिस्टेंट कामर्शियल टैक्स ऑफिसर (1976-37 एसटीसी 423)* के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि रेलवे एक व्यापारी है और वह व्यापार भी करता है। लाभ अर्जित करने या न करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा कर न लगाने का प्रश्न है, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधशों द्वारा री.सी. कस्टम एक्ट (एआईआर 1963 एससी 1760) के निर्णय का संदर्भ दिया जिसमें माना गया है कि यह सिद्धान्त केवल प्रत्यक्ष कर के मामले में लागू होता है, जबकि प्रवेश कर अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए रेलवे विभाग पर प्रवेश कर लगाया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिन्दु प्रयोग या खपत का था। माननीय उच्च न्यायालय ने विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा कि प्रवेश कर अधिनियम में 'खपत' शब्द के साथ 'प्रयोग' अथवा 'उपयोग' शब्द भी प्रयोग किया गया है। इस संबंध में उन्होंने *वर्मा शैल ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लि. बनाम बेलगांव बोरो म्यूनिसिपल्टी (एआईआर 1963 एससी 906)* के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें इन दो शब्दों के विषय में विस्तार से चर्चा की गयी है। कुछ मामलों में कोई वस्तु प्रयोग के लिए आती है, लेकिन वह समाप्त नहीं होती, जैसे कि कोई मोटर गाड़ी प्रयोग के लिए आती है, लेकिन वह उस प्रकार से "used up" नहीं होती, जैसे कि भोजन। दोनों अलग-अलग गतिविधियों से

संबंधित हैं। कुछ वस्तुएं केवल कन्ज्यूम हो जाती हैं, कुछ का केवल 'यूज' ही हो पाता है। ऐसे दोनों ही मामलों में प्रवेश कर लगेगा। उदाहरण के लिए पैट्रोल को फ्यूल के रूप में प्रयोग करने के लिए जलाया जाता है, इस प्रकार वह कन्ज्यूम हो जाता है, जबकि ड्राईक्लीनर कपड़े साफ करने के लिए उसका 'यूज' करता है, इसलिए जहां तक एच.एस.डी. का मामला है, केवल उस डीजल पर कर लग सकता है जो उस क्षेत्र में कन्ज्यूम भी हो रहा हो। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि केवल उस डीजल पर ही प्रवेश कर लगेगा जो उस स्थानीय क्षेत्र में कन्ज्यूम होता हो। उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य के बाहर से डीजल खरीदा जाता है, उसे बड़े-बड़े टैंकों में स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद वह डीजल या डीजल का वह अंश जो उस राज्य के बाहर स्टाक ट्रांसफर के रूप में या अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के रूप में राज्य से बाहर भेज दिया जाता है और जिसका प्रयोग या खपत उस राज्य के अंदर नहीं होती है, उस पर प्रवेश कर नहीं लग सकता है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा शैल वाले वाद में ही दिया है। स्टोरेज करने पर कोई प्रवेश करदेयता नहीं है। यही स्थिति डीजल इंजन की भी है। उसके टैंक में जो डीजल भरा जाता है, यह माना जाएगा कि उसका स्टोरेज हो गया। उसमें से जब वह इंजन कर्नाटक राज्य के अंदर से गुजरता हुआ इस राज्य के बाहर चला जाता है, तब कर्नाटक राज्य के अंदर जितनी डीजल की खपत होगी, केवल उतने ही भाग पर प्रवेश कर आरोपित किया जा सकता है, शेष भाग पर नहीं जिसकी खपत कर्नाटक राज्य के बाहर की जा रही है। यह निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2002 एनटीएन वाल्यूम-21 पृष्ठ-543)* पर दिया है।

39. क्या निर्माता द्वारा ग्राहक से प्रवेश कर वसूल करना वैध है अथवा नहीं? क्या उन पर कर निर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है अथवा नहीं? इन सभी विवादित बिन्दुओं पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *वेस्ट यू.पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य (2001 एनटीएन वाल्यूम-19 पृष्ठ-585)* में चर्चा की है, जहां पर चीनी निर्माताओं द्वारा यह रिट दायर की गयी थी। प्रवेश कर अधिनियम 2000 की धारा 4ए में निर्माताओं के संबंध में जो प्राविधान थे, वही प्राविधान अब प्रवेश कर अधिनियम 2007 में धारा-12 में प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं। अतः यह निर्णय वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है। इस निर्णय में दो महत्वपूर्ण अंश निम्नवत् हैं जिससे इस प्रश्न का यथोचित उत्तर मिल जाता है:-

> *प्रस्तर 14:- "A perusal of Section 4-A shows that the stand of the Government appears to be correct. Section 4-A appears to be only a convenient device for collecting the Entry Tax which continues to be imposed on the dealer and not on the manufacturer. What Section 4-A has done is to provide for payment of the Entry Tax by the dealer to the manufacturer. The legislature in its wisdom may have thought that this could facilitate the collection of the Entry Tax regarding which the authorities may be having some difficulties. It is settled law that the motive of legislation can not be seen. The doctrine of colourable legislation only relates to legislative competence and not to the motive of the law. Moreover, merely because of some hardship which the sugar manufacturer has to face, this does not mean that the Act is beyond legislative competence."*

> *प्रस्तर 15:- "Sri Sudhir Chandra learned Senior Counsel for the petitioner submitted that Section 4-A puts the entire liability on the manufacturer and even makes him liable to penalty. We do not agree. In our opinion the liability continues to be of the dealer, but Section 4-A was inserted since the legislature in its wisdom thought there was some difficulty in collection/realisation of the tax. Under Section 4-A the manufacturer is in the position of a middle man between the dealer and the Government and this concept is not unknown to Tax*

law. For instance under the Income Tax Act the Employer is also in a position of the middle man when he deducts tax from the salary of the Employee, or Representative Assessees. The penalty is imposed only if the manufacturer refuses to receive or fails to deposit the tax. If he does not want to suffer the penalty, the manufacturer should not fail to receive or deposit the Tax."

40. व्यापारी डेकोरेटिव थर्मोनेटिड सीट का निर्माण करते हैं जो रेलवे कोचिस में प्रयोग होता है। इसके लिए वे ओब्जरवेंट क्राफ्ट पेपर की खरीद करते हैं। व्यापारी का कहना है कि यह पेपर लिखने, प्रिन्ट करने और पैकिंग करने के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः यह पेपर की श्रेणी में नहीं आता है। अधिकारी द्वारा माना गया कि यह क्राफ्ट पेपर के रूप में आंतरिक पैकिंग के रूप में काम आता है। इसका समर्थन प्रथम अपील से भी हुआ। व्यापारी द्वारा दायर द्वितीय अपील में केन्द्रीय पल्प एण्ड पेपर रिसर्च सेंटर, सहारनपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह लिखा था कि यह लिखने, प्रिन्ट करने और पैकिंग करने के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। अधिकरण ने माना कि इस संबंध में कमिश्नर ने धारा-59 के अंतर्गत अवध प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, गुप्ताजी हाथा, दूसरी गली, मोतीनगर, लखनऊ के निर्णय में दिनांक 9.12.2010 को निर्णय दिया है कि ये पेपर पैकिंग पेपर है। इसकी पुष्टि वाणिज्य कर, अधिकरण, उ.प्र. लखनऊ की पूर्णपीठ ने अपील संख्या 7 वर्ष 2011 दिनांक 5.8.2011 में की है। प्रवेश कर के लिए नवीनतम विज्ञप्ति संख्या 104 दिनांक 15.1.2009 है जिसमें लिखा है कि "न्यूज प्रिन्ट को छोड़कर लिखने, प्रिन्ट करने और पैकिंग के प्रयोग के लिए प्रयुक्त पेपर"। अतः उन्होंने माना कि यह पेपर के रूप में करयोग्य है जिसका उपयोग प्रिन्टिंग में होता है।

Capital Laminators Pvt. Ltd., M-23, Sector-60, Noida vs C.C.T., U.P., (2012) 19 VLJ 50 Tribunal

41. व्यापारी ने टिम्बर का आयात गुजरात से किया है, लेकिन गुजरात के व्यापारी ने उस टिम्बर का आयात देश के बाहर से किया है। अधिकारी ने विज्ञप्ति दिनांक 9.5.2003 के अंतर्गत इसे भारत के बाहर से आयातित टिम्बर मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। द्वितीय अपील में इसे स्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर इस आधार पर समाप्त किया गया कि व्यापारी ने स्वयं भारतवर्ष के बाहर से आयात नहीं किया है, अपितु इसे गुजरात से खरीदा गया है। अतः प्रवेश कर आरोपित नहीं होगा।

Bankey Bihari Timber (Pvt.) Ltd. Khadri Sitapur Road, Lucknow vs C.C.T., U.P., (2012) 18 VLJ 51 Tribunal

42. व्यापारी एक निर्माता है। उन्होंने जनरेटर के लिए वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में डीजल खरीदा लेकिन टैक्सपेड प्रमाण पत्र फार्म-ई में दाखिल नहीं कर सके, क्योंकि ये उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। उन पर प्रवेश कर आरोपित किया गया और 6 माह का समय फार्म दाखिल करने के लिए दिया गया। उन्होंने केवल 6 फार्म-एफ दाखिल किये तथा शेष फार्म-ई धारा 12ख के आवेदन पत्र के साथ अपील स्तर पर दाखिल किये गये। अपील में इस आधार पर छूट अस्वीकार की गयी कि ये फार्म निर्धारित समय-सीमा दो वर्ष के उपरान्त जारी किये गये थे। अपीलीय अधिकारी का कहना था कि व्यापार कर अधिनियम के नियम 12क उपनियम (4) के अंतर्गत ये फार्म अस्वीकार किये जाते हैं और यह भी माना कि प्रवेश कर नियमावली के नियम-5(3) में यह व्यवस्था है कि नियम 12क के प्राविधान प्रवेश कर नियम में भी लागू होंगे। प्रथम अपील अस्वीकार होने के बाद द्वितीय अपील दायर की गयी। वहां पर अधिवक्ता ने कहा कि प्रवेश कर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि प्रान्त अंदर के एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में प्रवेश कर प्रदत्त माल लाया जाता है तो उस पर प्रवेश कर नहीं पड़ेगा और इसके लिए निर्धारित रीति का पालन कर फार्म-ई देना है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा कर अदा है, यह सिद्ध है तो व्यापार कर अधिनियम की धारा 12क के होते हुए भी केवल इस आधार पर फार्म अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह निर्धारित अवधि के बाद जारी हुआ है। अधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए यह लिखा कि:-

"एक्ट में लिखी भाषा के अनुसार कर प्रदत्त होना पर्याप्त है और किसी ऐसी स्थिति में जब फार्म-ई दाखिल है और नीचे के अधिकारियों को अथवा विद्वान राज्य प्रतिनिधि के कर प्रदत्त नहीं होने की आपत्ति नहीं है, तब नियम की अपेक्षा एक्ट की लिखी भाषा अधिक मानने योग्य है और यही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है। अतः फाई-ई दिये गये हैं, इनमें अन्यथा कोई त्रुटि नहीं है, केवल तकनीकी त्रुटि दो वर्ष के बाद की है, वह भी इसलिए कि विभाग द्वारा ही फार्म दो वर्ष बाद जारी किया गया है और कर उपग्रहण का प्रवेश कर जो सेक्शन 4(4) पूर्व का था, उसमें स्पष्ट रूप से यही भाषा थी कि धारा 4(1) एवं 4(2) के होते हुए भी किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल जिसके संबंध में उक्त उपधारा के अधीन किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो, लाता है या मंगवाता है, कर का उदग्रहण और संग्रहण नहीं किया जायेगा। एक्ट की इस भाषा को देखते हुए स्पष्ट है कि प्रवेश कर प्रदत्त होना पर्याप्त है।"

Asian Fertilizer Ltd., Sardarnagar, Gorakhpur Vs C.C.T., U.P., (2011) 15 VLJ 9 Tribunal

43. व्यापारी ने प्रान्त के बाहर से पेपर की खरीद की और उससे रेपर का निर्माण करके बिक्री की है जो पेपर की श्रेणी में ही आता है। पेपर की खरीद पर प्रवेश कर आरोपित किया गया। व्यापारी ने कहा कि धारा-6 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति में यह व्यवस्था है कि वैट अधिनियम के अंतर्गत देय वैट की धनराशि के बराबर प्रवेश कर की धनराशि में से रिबेट दिया जाएगा, लेकिन यह इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह रिबेट केवल स्थानीय क्षेत्र में कागज को लाये जाने से पूर्व व्यापारी पर आरोपणीय वैट की धनराशि के संबंध में देय है और इस कागज को स्थानीय क्षेत्र में लाये जाने से पूर्व व्यापारी पर कोई वैट आरोपणीय नहीं है, क्योंकि यह आयात किया गया था, इसलिए व्यापारी को प्रवेश में कोई छूट देय नहीं है। इसका समर्थन प्रथम अपील से किया गया जिसके विरूद्ध व्यापारी ने द्वितीय अपील दायर की। अधिकरण ने लिखा कि व्यापारी ने प्रान्त के बाहर से पेपर का आयात किया है और उसका प्रवेश स्थानीय क्षेत्र में हुआ है जिस पर व्यापारी के स्तर पर प्रवेश कर की देयता है। इसी प्रकार इससे जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, वह भी पेपर की श्रेणी में आती हैं और उसकी बिक्री पर वैट की देयता है। इस पर कोई विवाद नहीं है। धारा-6 के प्राविधानों से ऐसा आभाषित होता है कि व्यापारी को प्रवेश कर में रिबेट केवल उसी धनराशि पर देय है जो धनराशि लोकल एरिये में प्रवेश के पूर्व व्यापारी पर वैट के रूप में आरोपणीय है, लेकिन लोकल एरिया में प्रवेश के पूर्व वैट की आरोपणीय धनराशि का होना स्पष्ट नहीं है तथा किसी भी परिस्थिति में प्रवेश कर में रिबेट देने के उद्देश्य पूर्ण नहीं होते हैं। इस संबंध में अधिकरण ने निम्न प्रकार लिखा है:-

"उक्त धारा-6 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम-2009 (अधिनियम सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 के द्वारा संशोधित कर दिया गया है और सम्पूर्ण धारा-6 को संशोधन के उपरान्त दिनांक 1.1.2008 से ही प्रभावी करते हुए निम्न प्रकार स्थापित किया गया:-

*"**Rebate-**Where in respect of any scheduled goods notified under subsection (1) of Section 4, tax is payable in respect of a sale or purchase of such goods under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 by a dealer registered under the said Act, the State Government, be notification and subject to cuch conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a rebate upto the full amount of tax leviable this Act."*

"उक्त संशोधित धारा-6 के प्राविधानों के अनुसार जिस वस्तु पर उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रवेश कर देय है, उसी वस्तु पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत खरीद/बिक्री पर देय वैट की धनराशि के बराबर देय प्रवेश कर में छूट दिये जाने का प्राविधान है, जिसे शासन द्वाराजारी विज्ञप्ति सं.-766 दिनांक 4.3.2008 द्वारा अनुमन्य किया गया है। व्यापारी द्वारा प्रान्त के बाहर से रू. 10,03,811.56

के पेपर को स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है जिस पर 5 प्रतिशत की दर से व्यापारी की देयता बनती है तथा इस समस्त पेपर से निर्मित रेपर जो 'आल काइन्ड ऑफ पेपर' की श्रेणी में आता है और उस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रतिशत की दर से वैट की देयता भी व्यापारी की बनती है, इसलिए व्यापारी को प्रवेश कर में 4 प्रतिशत की दर से देय धनराशि की छूट अनुमन्य है।"

Siddhumal Paper Conversion Pvt. Ltd. 20 Loni Road, Mohan Nagar, Ghaziabad vs C.C.T., U.P., (2011) 15 VLJ 75 Tribunal

44. व्यापारी एक सैल्यूलर सेवा कम्पनी है। प्रान्त के बाहर से उसने मोबाईल कम्यूनिकेशन के इक्वीपमेंट एवं प्लान्ट आयात किये। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि व्यापारी ने 10 लाख रूपये या उससे अधिक धनराशि की मशीनरी का आयात किया है जिसका कुल योग रू. 16,19,80,049.70 आता है और उस पर रू. 32,39,601.00 प्रवेश कर आरोपित किया गया, लेकिन इस आदेश में उन्होंने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण में उल्लिखित इलैक्ट्रोनिक गुड्स जिसे अपीलकर्ता द्वारा मशीनरी होना अस्वीकार किया है, को किस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी मशीनरी की परिभाषा में रखते हैं? प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि मशीन एक अत्यन्त व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत छोटी-बड़ी इलैक्ट्रोनिक, पशु चालित, मानव-चालित अथवा अन्य साधनों से चलने वाली समस्त प्रकार की मशीनों को सम्मिलित माना जाना न्यायोचित होगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता के इस कथन को उचित नहीं माना कि राज्य सरकार द्वारा इलैक्ट्रोनिक गुड्स के अंतर्गत केवल रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीश्नर, टी.वी. एवं वाशिंग मशीन को ही प्रवेश कर के शैड्यूल क्रमांक-9 पर रखा है। द्वितीय अपील में अधिकरण ने अपील स्वीकार की तथा अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए यह लिखा कि कर निर्धारण स्तर पर यह वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है कि आयात किये गये मोबाईल कम्यूनिकेशन उपकरण एवं संयन्त्र को किस प्रकार मशीनरी की श्रेणी में माना गया है। अतः न्याय के हित में वाद पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया गया।

Idea Mobile Communications Ltd., Vidhya Laxmi Complex, 182 Abu Len, Meerut vs C.C.T., U.P., (2011) 15 VLJ 103 Tribunal

45. व्यापारी भारतवर्ष के बाहर इंग्लैण्ड से विलो क्लैफ्ट का आयात करते हैं जिसे उन्होंने टिम्बर प्रोडक्ट मानते हुए प्रवेश कर देयता नहीं मानी। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार करते हुए इस वस्तु को टिम्बर प्रोडक्ट माना और प्रवेश कर लगाया। द्वितीय अपील स्वीकार की गयी। अधिकरण ने माना कि:-

"इस केस में आयातित वस्तु विलो क्लेफ्ट है, जो बैट का रफ ब्लेड है तथा उक्त रफ ब्लेड का कामर्शियल नाम 'विलो क्लेफ्ट' है जो विश्व में अधिकतर जगहों में उक्त विलो लकड़ी का आयात इंग्लैण्ड से होता है तथा उक्त बैट ब्लेड से ही फिनिशिंग करके बैट का रूप विभिन्न देशों में किया जाता है। आयातित वस्तु विलो क्लेफ्ट टिम्बर की प्रोसेसिंग से निर्मित धातु है तथा इनवायस में अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विलो क्लेफ्ट के दोनों छोर (किनारों) पर मोम (वैक्स) लगा होता है, वे सीजन्ड होती है तथा उन्हें बैट के शेप में करके प्रोसेसिंग के उपरान्त उनको विभिन्न गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न ग्रेड में विलो क्लेफ्ट को कामर्शियल वस्तु की श्रेणी में बनाया गया है तथा यही व्यापारी ने देश के अंदर आयात किया है। अतः हमारे विचार से कर निर्धारण व प्रथम अपीलीय अधिकारी ने विलो क्लेफ्ट के फिनिश न होने के आधार पर तथा उसमें हैण्डिल न लगा होने के आधार पर एवं पॉलिश न होने के आधार पर उसे साधारण टिम्बर/लकड़ी की श्रेणी में मानने की त्रुटि की है। हमारे विचार से आयातित वस्तु विलो क्लेफ्ट टिम्बर प्रोडक्ट की श्रेणी में आती है, जिस पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत कोई करदेयता नहीं है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है तथा आरोपित विवादित कर समाप्त किये जाने योग्य है।"

Sareen Sports Industries, Victoria Park, Meerut vs C.E.T., U.P., (2010) 13 VLJ 84 Tribunal

46. व्यापारी ने BMD-Lunar prodigy (with all accessories) CIF, GE Radiography & Flouroscopy Model-Lehend CRF-CIF,GE Make mammography System model-stenograph 800T (with all accessories) CIF, C am steno plus with accessories, Color Doppler & Ultra Sound Scanner की खरीद की है जिसे मशीनरी मानते हुए अधिकारी ने प्रवेश कर लगाया। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर और जनरेट को भी मशीनरी मानते हुए प्रवेश कर लगाया। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। व्यापारी द्वारा दायर द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिकरण ने यह माना कि:-

> *"BMD-Lunar prodigy (with all accessories) CIF, GE Radiography & Flouroscopy Model-Lehend CRF-CIF,GE Make mammography System model-stenograph 800T (with all accessories) CIF, C am steno plus with accessories, Color Doppler & Ultra Sound Scanner मेडिकल इक्यूपमेंट/हास्पिटल इक्यूपमेंट हैं और कमिश्नर ट्रेड टैक्स यू.पी. बनाम मेडीकोज डाइग्नोस्टिक्स सेंटर (प्रा.) लि. (2008 एनटीएन वाल्यूम-38 पृष्ठ-182) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को देखते हुए इन पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। कम्प्यूटर भी इलैक्ट्रोनिक गुड्स की श्रेणी में आता है और कम्प्यूटर पर दिनांक 30.9.2008 के पूर्व प्रवेश कर लगाये जाने का प्राविधान नहीं था। ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर पर भी प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता है।"*
>
> *"सीएसटी बनाम सर्वश्री टेक, इनवेस्ट (इंडिया) प्रा.लि. 1998 एसटीआई पृष्ठ-134 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर आयकर बनाम सर्वश्री मीर मौहम्मद अली 53 आईटीआर 165 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जनरेटर मशीनरी ही है। इन परिस्थितियों में जनरेटर को मशीनरी मानकर प्रवेश कर का निर्धारण अनुचित नहीं है।"* *(प्रस्तर 6)*

Max Health Care Institute Pvt. Ltd., A-364, Sector-19, Noida vs C.T.T., U.P.,(2009) 10 VLJ 49 (Tribunal)

47. कोक को कोयला मानते हुए प्रवेश कर देयता निर्धारित की गई थी, जिसे अधिकरण द्वारा कोयले से भिनन वस्तु मानते हुए आरोपित कर समाप्त किया गया। इसके विरूद्ध विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण इस आधार पर समाप्त किया गया कि खण्डपीठ ने इससे पहले *Carbon Crafts Private Limited Varanasi vs. State of U.P. and another* **[2006-29 NTN 157]** के वाद के निर्णय में कोयला एवं कोक को भिन्न वस्तु माना है।

Commissioner, Commercial Tax vs. Mangat Singh Coal Depot [2015 NTN Vol-57-352]

48. अधिकरण ने बिटुमिन पर आरोपित प्रवेश कर इस आधार पर समाप्त किया कि यह वस्तु हैवी पेट्रोलियम स्टाक एवं इसके वैरियन्टस के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2004 में नहीं आती है। विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण सं.-2152/2007 *M/s. Valecha Engineering Ltd.* के निर्णय दिनांक 11.07.2014 में यह निर्धारित कर दिया था कि बिटुमिन विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2004 के अंतर्गत heavy petroleum stocks and all its variants के अंतर्गत नहीं आती है।

Commissioner Commercial Tax, U.P. vs Centradoor Stray, Allahabad (2015) 28 VLJ 115; [2015 NTN VOL.58-16]

49. अधिकरण ने यह माना था कि Bitumen, Heavy Petroleum Stocks and all its variants के अंतर्गत नहीं आता है जिसके विरूद्ध विभागीय पुनरीक्षण इस आधार पर अस्वीकार किया

गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने *Commissioner Trade Tax, U.P. Lucknow vs. Valecha Engineering Ltd. [Sales/Trade Revision No. 2152 of 2007]* निर्णय दिनांक 11.07.2014 में बिटुमिन को Heavy Petroleum Stocks and all its variants के अन्तर्गत नहीं माना था।

Commissioner, Commercial Tax, U.P. Lko. vs Dhanaram Engineering And Contractor, Paricha Jhansi.[2015 NTN Vol.58 Page-425]

50. व्यापारी ने प्रांत के बाहर से कार्य संविदा में प्रयोग हेतु JCB EXCAVATOR की खरीद की थी, जिसे मशीनरी मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया एवं इसका समर्थन प्रथम अपील से भी हुआ। व्यापारी ने द्वितीय अपील दायर की जिसे स्वीकार करते हुए इसको मोटर व्हीकल माना गया जिस पर कोई प्रवेश कर नहीं है। विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि स्वंय माननीय उच्च न्यायालय ने *Commissioner Commercial Tax, Lucknow vs. S/S Anand Tyres, Jhokhan Bag, Jhansi [2015-57 NTN 133]* निर्णय दिनांक 05.02.2015 में Hydraulic Excavator को मोटर व्हीकल माना है न कि मशीन तथा Hydraulic Excavator तथा JCB EXCAVATOR में कार्य एवं प्रयोग के सम्बन्ध में कोई अंतर नहीं है।

Commissioner Commercial Tax, Uttar Pradesh vs. Uttam Singh Thekedar, (2015) 28 VLJ 2; [2015 NTN Vol. 58-219]

51. वाद में तथ्य यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी को 2004-05 से वर्षों के लिए नोटिस दिया कि वे Carbon Black Feed Stock ["CBFS"] की बिक्री करते हुए जो स्थानीय क्षेत्र में बाहर से लाया जाता है इसलिये इस पर प्रवेश करदेयता है। व्यापारी ने विरोध करते हुए उत्तर दिया यह विज्ञापित वस्तु नहीं है तथा प्रवेश कर अधिनियम 2007 की संवैधानिकता के विरूद्ध रिट भी दायर की जिसमें यह भी निवेदन किया कि वे अधिकारी को इन वर्षों में प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के निर्देश दें। रिट का निस्तारण दिनांक 15.05.2008 को करते हुए व्यापारी को निर्देशित किया गया कि अधिकारी के संतोषानुसार वे नकद एवं बैंक गारन्टी से भिन्न जमानत इस अवधि में देय प्रवेश कर के बराबर दाखिल करें। व्यापारी ने वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007ध708 के लिए सिक्योरिटी ब्राण्ड/बैंक गारंटी जमा की। अधिकारी ने इन दोनों वर्षों के लिए कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 30.06.2010 एवं दिनांक 12.08.2010 को पारित करते हुए Carbon Black Feed Stock जिसे आगे से CBFS कहा जायेगा पर प्रवेश कर आरोपित किया लेकिन माननीय उच्च न्यायाल द्वारा रिट में दिये गये निर्देशों के क्रम में वसूली नहीं की। यह रिट माननीय न्यायालय द्वारा बाद में अन्य रिटों के साथ निरस्त कर दी गई, जिसमें लीडिंग मामला *ITC Limited vs. State of U.P. and others, [2012 NTN VOL.48 PAGE-1]* का था, जिसमें प्रवेश कर अधिनियम 2007 को वैध माना गया। इसके विरूद्ध व्यापारी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दाखिल की जिस पर दिनांक 10.01. 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिये गये कि इस निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा बशर्ते कि व्यापारी कर दायित्व/एरियर का 50 प्रतिशत नकद जमा कर दे और शेष राशि की बैंक गारन्टी जमा कर दें। इसके पश्चात् माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 31.10.2012 को यह आदेश संशोधित करते हुए लिखा कि यदि किसी कारणवश अपीलकर्ता अन्य वैकल्पिक आधार अपनाना चाहते है अर्थात कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहते हैं, तब ऐसे अपीलीय अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। इस आदेश के पश्चात इन दोनों वर्षों के लिए व्यापारी ने 50 प्रतिशत नकद जमानत एवं 50 प्रतिशत बैंक गारन्टी जमा कर दी एवं दोनों कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील दायर की जो दिनांक 31.01.2013 को अस्वीकार की गई। अतः व्यापारी ने अधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील दायर की, जिसे दिनांक 21.09.2013 को स्वीकार करते हुए अधि करण ने माना कि सी.बी. एफ.एस. पर प्रवेश करदेयता नहीं है और व्यापारी द्वारा जमा किये गये प्रवेशकर के वापसी के आदेश दिय। इसके विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायरा किया जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए अधिकरण के आदेश को उचित माना। इस आदेश के विरूद्ध

विभाग ने कोई अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं की थी। अतः यह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हो गया था। व्यापारी ने दिनांक 05.05.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दाखिल करते हुए रू. 116856591.00 का रिफण्ड 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मांगा गया। डिप्टी कमिश्नर ने दिनांक 07.05.2014 को कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर से बजट आवंटित करने के लिए निवेदन किया। इसके बाद एडीशनल कमिश्नर के निर्देश के क्रम में डिप्टी कमिश्नर ने दिनांक 16.07.2014 को रिफण्ड का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि व्यापारी ने इसे स्वीकृत कर के रूप में रूपपत्रों में घोषित किया था एवं धारा-29(3) के अंतर्गत (व्यापार कर अधिनियम) यह वापसी योग्य नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध व्यापारी द्वारा यह रिट दायर की गई है। रिट में याची का कहना था कि अधिकरण का विशिष्ट आदेश उपलबध था कि ब्याज सहित रिफण्ड दिया जाये, जिसका समर्थन माननीय उच्च न्यायालय ने भी किया था। अतः इस आधार पर कि रूपपत्रों में घोषित यह व्यापारी की स्वीकृत कर है, आवेदन पत्र को अस्वीकार करना गलत तथा तथ्यों के विपरीत है। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह धनराशि व्यापारी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश दिनांक 10.01.2012 के निर्देशों के क्रम में जमा करी थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार अपील में हार जाती है तब इस धनराशि को ब्याज सहित वापस करेगी जिसमें ब्याज की दर माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। विभागीय अधिवक्ता का यह कहना था कि यह स्वीकृत कर है, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में निस्तारण हेतु अभी लम्बित है एवं रूपपत्रों में भी व्यापारी ने इसे स्वीकार किया था। इन समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 29 की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया कि सी.बी. एफ.एस. प्रवेश कर अधिनियम में नोटिफाईड वस्तु नहीं है। इसलिए इस पर कोई कर नहीं होता है। अधिकरण के आदेश जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय ने भी की है उसके अनुसार व्यापारी को रिफण्ड देय है। व्यापारी ने यह कर अण्डर प्रोटेस्ट जमा किया था एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश दिनांक 10.01.2012 के आधार पर जमा किया है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित ओदश दिनांक 16.07.2014 को निरस्त किया एवं आदेश दिये कि व्यापारी द्वारा जमा की गई राशि दिनांक 31.12.2007 तक वापस की जाये एवं अधिकरण द्वारा जिस दिनांक को रिफण्ड का आदेश दिया गया था उससे रिफण्ड की वास्तविक दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जायेगा।

SKI Carbon Black (India) Private Limited vs. State of U.P. and others; (2015) 28 VLJ 10; [2015 NTN VOL. 57 PAGE-95]

52. इस वाद में यह विवाद था कि प्रवेश करदेयता के संदर्भ में Hydraulic Excavator प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत मोटर व्हीकल है अथवा प्रविष्टि संख्या 2 के अंतर्गत मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस के रूप में करयोग्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकानेक निर्णयों का हवाला देते हुए, जिनमें मशीनरी को परिभाषित किया गया है इसे मोटर व्हीकल माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि समय-समय पर मशीनरी की परिभाषा में परिवर्तन होते रहते हैं।

इस इलेक्ट्रोनिक युग में मशीन की परिभाषा निम्न प्रकार बताई गई है:–

"With the advent of electronics and computerization, more sophisticated machines have come into existence. In simple way one can explain that electronics is the branch of physics, engineering and technology dealing with electrical circuits that involve active electrical components such as vacuum tubes, transistors, diodes and integrated circuits, and associated passive interconnection technologies. The nonlinear behavior of active components and their ability to control electron flows, makes amplification of weak signals possible and is usually applied to information and signal processing. The ability of electronic devices to act as switches, makes digital

information processing possible. Interconnection technologies such as circuit boards, electronic packaging technology, and other varied forms of communication infrastructure, complete circuit functionality, and transform the mixed components into a working system. Similarly, "computing machines" are another advanced form of machines of modern day. The Computers store and manipulate flow of electrons, with patterns in this storage, and flow being interpreted as information manipulation."

M/s. D.B. Bhandari vs. State of Mysore [1967-205 STC 25] के निर्णय में मशीन के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्याख्या की गयी है:–

"In simple language 'machinery' is a contrivance whereby several things are put together to work in such a way that force may by applied at a most convenient point in a most convenient way to get a particular work or an item of work done or to produce a specific article or manufactured goods.

If this is the essential feature of a machinery which distinguishes it from other things, the mode or the manner in which power is fed into it or force is applied need not and should not make any difference. It is conceded, for example, that a machinery would be a machinery whether it is fed by electrical power or other form of power applied by steam or generated by burning combustible oils. If the mode or the manner in which the power is applied makes no difference in these specific cases, it should make no difference either if the source of specific cases, it should make no difference either if the source of power is either human or animal."

अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि मशीनरी के वृहद आयाम में हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर को मशीन माना जायेगा अन्यथा यह मोटर व्हीकल ही है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित अवधारणा व्यक्त की है:–

"It thus cannot be doubted that "Hydraulic Excavator" would satisfy the meaning of term "machinery" in wider sense and, therefore, it would be a machinery by all means. However, if the entry would have been only about a machinery, the situation would have been different but if the legislature in its wisdom has used or classified some more items which though in wider sense, are within the ambit of term "machinery" but have been mentioned separately then it is to be seen, whether a particular item, even if machinery, if is governed by the separate narrower entry, then that specific separate entry shall prevail.

In other words "machinery" here is a general term and when some kinds of machineries are separately mentioned, they would become "special entry" and shall prevail over the general one."

Commissioner, Commercial Tax, Lko. vs. Anand Tyers, Jhokhan Bag, Jhansi, (2015) 27 VLJ 138; [2015 NTN Vol.57-133]

53. प्रश्नगत व्यापारी ने टिम्बर की खरीद गुजरात से की थी। गुजरात के व्यापारी ने स्वीकृत रूप से उस टिम्बर को भारत के बाहर से खरीदा था। अधिकारी ने ऐसे टिम्बर पर भारत के बाहर से आयातित मानते हुए कर आरोपित किया जिसे प्रथम एवं द्वितीय अपील से इस आधार पर समाप्त किया गया कि प्रश्नगत व्यापारी ने इसे गुजरात से खरीदा था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभाग का पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए यह लिखा कि भारत के बाहर से यह टिम्बर लाई गई है एवं इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि यह खरीद भारत के बाहर से गुजरात के व्यापारी ने की अथवा उत्तर प्रदेश के व्यापारी ने की।

Commissioner, Trade Tax vs Sanjeev Kumar Ved Prakash [2015 NTN Vol-58-432]

54. व्यापारी ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की एक इकाई है जिसमें सीमेन्ट के निर्माण एवं बिक्री का कार्य किया जाता है। इसके निर्माण में कोयला, जिप्सम तथा बाक्साइट का प्रयोग होता है, जिसकी खरीद स्थानीय क्षेत्र के बाहर से की जाती थी एवं इन पर व्यापारी क्रमशः 2.5%, 2% एवं 10% की दर से प्रवेश कर जमा कर रहे थे। राज्य सरकार ने दिनांक 04.05.1999 को एक विज्ञप्ति निर्गत की जिसके अनुसार दिनांक 01.05.1997 से दिनांक 30.09.1997 की अवधि के लिए इन वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत कर दी गयी थी अर्थात दिनांक 01.05.1997 से पहले एवं दिनांक 30.09.1997 के बाद प्रवेश कर की दर क्रमशः 2.5%, 2% एवं 10% ही थी। इस विज्ञप्ति में एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया था, जिसमें लिखा था कि इस आधार पर यदि व्यापारी ने अधिक कर की दर से प्रवेश कर जमा किया है तो अधिक जमा कर का रिफण्ड नहीं दिया जायेगा। चूँकि यह विज्ञप्ति बहुत बाद में आई थी जबकि व्यापारी ने पहले ही अधिक दर से कर जमा कर रखा था, इसलिये उन्होंने इस स्पष्टीकरण के विरूद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर करते हुए निवेदन किया कि यह स्पष्टीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 265 का अतिक्रमण कर रहा है, इसलिये असंवैधानिक है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट अस्वीकार कर दी, जिसे विरूद्ध व्यापारी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नगत सिविल अपील दायर की। अनुच्छेद 14 के सम्बन्ध में बल देते हुए कहा गया कि यदि किसी व्यापारी ने इस अवधि में प्रवेश कर जमा नहीं किया गया था तथा अब जमा करना है तो वह एक प्रतिशत की दर से कर जमा करेगा जबकि उस अवधि में बोनाफाइड डीलर अधिक दर से कर जमा कर चुके हैं। इसलिये इस प्राविधान में दो प्रकार के व्यापारियों की श्रेणी बना दी गयी है। अनुच्छेद 265 के अनुसार यह विज्ञप्ति पूर्णतः अनुचित एवं अविधिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तार से चर्चा करते हुए इस प्राविधान को अनुचित माना गया तथा विज्ञप्ति दिनांक 04.05.1998 से सम्बद्ध स्पष्टीकरण एवं उस क्रम में जारी शासनादेश दिनांक 05.07.1999 को अवैध घोषित किया गया। विभाग द्वारा यह कहा गया था कि अनजस्ट इनरिचमेन्ट के सिद्धान्त के आधार पर रिफण्ड देय नहीं होता है, जिसे अस्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुचित लाभार्जन का सिद्धान्त प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर विचारणीय होता है।

Vikram Cement and Anr. vs State of Madhya Pradesh and Ors., (2015) 28 VLJ 49 (SC); [2015 NTN Vol-58-29]

55. व्यापारी ने प्रांत के बाहर से जनरेटर की खरीद की थी, जिसे मशीनरी मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया एवं अधिकारी ने ब्याज देयता भी निर्धारित की। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी, लेकिन द्वितीय अपील में अधिकरण ने आरोपित ब्याज सहित समाप्त कर दिया, जिसके विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायर किया एवं निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया जिसमें ब्याज आरोपित करना उचित माना गया है:—

1. Pepsico India Holding Ltd. vs. CTT 2011 NTN (VOL 45)-275 HC; (2011) 16 VLJ 49 (SC)
2. Deputy Narcotics Commissioner Vs. Trade Tax Tribunal (2013) 21 VLJ 134; 2013 U.P.T.C.-138 Lucknow Bench;
3. M/s. U.P. Cooperative Federation Ltd. vs. Trade Tax Tribunal (2013 U.P.T.C.-30) Lucknow Bench
4. M/s. Indian Oil Corporation Ltd. Vs. CTT TTR 782 of 2002 Allahabad High Court.

इसके विरूद्ध व्यापारी ने सर्वश्री *Sumsung India electronics Pvt.Ltd vs. CCT (TTR 496 of 2009)* के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें प्रवेश कर दिनांक 01.11.1999 से आरोपित करना उचित माना गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना कि उक्त जनरेटर

मशीनरी के अंतर्गत ही है। इसलिए इस पर कर आरोपित करना उचित है। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के तीन निर्णयों का उल्लेख करते हुए अवधारित किया कि किसी वस्तु पर कर आरोपित करने के पश्चात ब्याज देयता स्वतः निर्धारित हो जाती है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी शिथिल नहीं कर सकता है। इस प्रकार विभाग का पुनरीक्षण स्वीकार किया गया। इस निर्णय का प्रस्तर 6 एवं 7 महत्वपूर्ण है एवं अधोलिखित हैः—

"6. Heard both the parties at length and gone through the material available on record from which it appears that the assessee has imported the generator. The same was not exempted from any tax, so the entry tax is leviable like machinery. It may be mentioned that in the case of M/s. Siemens Ltd. Vs. Commercial Tax Officer, Bangalore, 1999 (15) NTN 571, it is defined that the computer and electronic equipments for the purpose of communication are the machinery. The machinery is a very wide term which includes the electronic gazettes, computer etc. In the list of the entry tax, there is no mention for electronic goods. So, it will have to be covered by the general word 'machinery and its parts'. So, the entry tax was rightly levied on the generator in question as the same comes under word "Machinery".

"7. Further the charging of the interest is mandatory and Courts have no power to waive or restrict it, as per the ratio laid down in the following cases :--

(i) CIT Vs. Santram Mangatram Jewellers, 264 ITR 564 (SC)

(ii) CIT Vs. Arjun M. H. Ghashwala, 252 ITR 1 (SC)

(iii) CIT Vs. INSIL Company Ltd. 278 ITR 1 (SC)

Commissioner, Trade Tax, U.P. Lucknow Vs Vekamat Packaging India Ltd. [2014-26 VLJ 18]

56. अधिकरण ने यह माना था कि विटुमिन हैवी पेट्रोलियम स्टाक के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिये इस पर प्रवेश कर देय नहीं है। इसके विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायर किया जिसे इस आधार पर निरस्त किया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश बनाम सेन्ट डूर स्ट्रे {((2015) 28 वी.एल.जे. 115); एन.वो. 58 पृष्ठ 16} के निर्णय में इस पर प्रवेश कर देयता नहीं मानी है।

CCT Vs. Adhishashi Abhyanta, P.W.D. [2015 NTN Vol-58-371]

57. अधिकरण ने यह माना था कि स्पेशल स्मोकलेस फ्यूल (SSF) कोयले के प्रवेश पर प्रवेश कर देयता नहीं है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अधिकरण के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

CCT Vs. Balaji Builders. [2015 NTN Vol-58-372]

58. अधिकारी ने चार कोल प्रवेशर कर आरोपित किया था जिसे अधिकरण ने इस आधार पर छोड़ा कि वर्ष 1973 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-14 में कोयले को चारकोल की प्रविष्टी से अलग कर दिया गया है। विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि दोनों वस्तुयें अलग है।

Commissioner, Commercial Tax vs. Universal Chemicals and Minerals, (2015) 29 VLJ 238; [2015 NTN Vol.59-40]

59. अधिकरण ने विज्ञप्ति संख्या 766 दिनांक 04.03.2008 के क्रम में पेपर की प्रवेश कर देयता पर रिबेट दिया था। विभाग के अनुसार यह रिबेट विज्ञप्ति संख्या 761 दिनांक 04.03.2008 के अनुसार मिलना था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभाग का पुनरीक्षण निरस्त किया।

Commissioner, Commercial Tax, U.P. vs. Bilt Graphic Paper Product Ltd. [2015 NTN VOL.59-257]

60. व्यापारी ने 3 मशीनों का आयात किया था जो गेहूं की छटाई, सफाई एवं ग्रेडिंग का कार्य करती थी। तीनों की संयुक्त कीमत 10 लाख रू. से अधिक थी इसलिए अधिकारी ने प्रवेश कर आरोपित किया जिसे प्रथम एवं द्वितीय अपील से इस आधार पर समाप्त किया गया कि प्रत्येक मशीन पृथक है तथा अलग-अलग कार्य करती है एवं इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति सं.-1620 दिनांक 16.02. 2000 का हवाला दिया जिसमें मशीन एवं उसके पार्टस पर प्रवेश कर आरोपित करने की व्यवस्था है यदि उनका मूल्य 10 लाख रू. से अधिक है। विभागीय पुनरीक्षण इस आधार पर समाप्त किया गया कि अधिकरण का निर्णय उचित है।

Commissioner, Commercial Tax, U.P. vs R.C.S Roller Flour Mill Ltd., (2015) 27 VLJ 42

61. Vibratory Compactor को मोटर विहिकल मानते हुए प्रवेश कर देयता स्वीकार नहीं की गयी। व्यापारी की प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। अधिकरण ने अपील स्वीकार करते हुए उसे मशीन न मानकर मोटर वाहन माना जिसके विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायर किया। विभाग का कहना था कि *L&T Case Equipments Pvt. Ltd. vs Commissioner of Commercial Taxes, (2014-71 VST-533)* के वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय नें तथा *Ingersoll Rand (India) Ltd., vs Commissioner of Commercial Taxes, (2013-64 VST-362)* कर्नाटक) के निर्णय में Vibratory Compactor को अर्थमूविंग मशीन माना गया है। माननीय हाईकोर्ट ने माना कि उक्त दोनों निर्णय कर्नाटक बिक्री अधिनियम में अर्थमूवर्स की करदेयता की प्रविष्टी से सम्बन्धित है। अतः प्रभेदनीय है। मोटर विहिकल एक्ट 1988 के प्राविधानों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने इनको मोटरयान ही माना है।

State of Karnataka vs R. Venkatareddy, (2015) 27 VLJ 196

इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय वैट अधिनियम की धाराओं में भी दिये गये है जिसमें इस श्रेणी की वस्तुओं को पैकिंग मैटिरियल माना गया है।

1. इस वाद में व्यापारी प्रान्त के बाहर से सीमेंट रेलवे हैड मुजफ्फरनगर पर लाते हैं। उनका हैड ऑफिस सहारनपुर है तथा डिपो उत्तरांचल में रूड़की में है। मुजफ्फरनगर से वे ट्रकों के द्वारा सीमेंट रूड़की डिपो ले जाते हैं। उन्होंने अंडर प्रोटेस्ट मुजफ्फरनगर में प्रवेश कर जमा किया। उसके बाद व्यापार कर अधिनियम की धारा-22 के अधीन एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी लेखा पुस्तकों के अनुसार वे दूसरे राज्य में रूड़की स्टाक ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए सीमेंट पर मुजफ्फरनगर में प्रवेश करदेयता नहीं होती है। धारा-22 के आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये। मूल कर निर्धारण आदेश तथा धारा-22 के आदेश दोनों के विरूद्ध अपील दायर की गयी। अपीलीय अधिकारी ने व्यापारी के कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध दाखिल अपील स्वीकार की तथा धारा-22 के अधीन पारित आदेश की अपील निष्प्रयोज्य होने के कारण अस्वीकार कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध विभाग ने द्वितीय अपील दायर की। विभाग का कहना था कि मूल वाद की सूनवाई के समय प्रवेश कर के दायित्व के संबंध में व्यापारी ने कोई आपत्ति नहीं उठायी है। यह भी कहा गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, उ. प्र. शासन द्वारा सर्वश्री आईटीसी लि. के संबंध में आयुक्त वाणिज्य कर को लिखे परिपत्र का हवाला देते हुए व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है, जबकि इस परिपत्र में निहित तथ्य प्रस्तुत मामले से भिन्न हैं। यह भी कहा गया कि व्यापारी द्वारा स्वयं कोई चालान स्टाक ट्रांसफर के रूप में जारी नहीं किया गया है, अपितु रूड़की स्थित शाखा के चालान से माल का ट्रांसफर हुआ है। अधिकरण ने इस संबंध में पाया कि वास्तव में व्यापारी की प्रवेश करदेयता नहीं बनती है। स्वयं आयुक्त, वाणिज्य कर द्वारा परिपत्र संख्या क.नि.-11-819/x1/01, दिनांक 21.3.2001 जारी करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि किसी माल का प्रवेश प्रान्त में प्रदेश बाहर से किया गया है, किन्तु उसकी बिक्री, प्रयोग अथवा खपत प्रान्त में नहीं हुआ है, तो उस पर प्रवेश कर आकर्षित नहीं होता है।

C.S.T., U.P. vs R.R. Enterprises, Court Road, Saharanpur, (2009) 9 VLJ 91 Tribunal

2. डीजल ग्राम पंचायत पचेन्द्रा के स्थानीय क्षेत्र में लाया गया। अतः उस पर इस आधार पर प्रवेश करदेयता निर्धारित की गयी कि व्यापारी ने प्रवेश कर प्रदत्त होने पर प्रमाण पत्र फार्म-ई निर्धारित समय के बाद जमा किया था। यद्यपि अन्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित किया गया था कि प्रवेश कर दिया जा चुका है। प्रथम अपील से पारित आदेश का समर्थन हुआ। द्वितीय अपील में यह माना गया कि डीजल की जो खरीद व्यापारी द्वारा की गयी है, वह उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रवेश कर प्रदत्त खरीद होना प्रमाणित है। व्यापारी द्वारा फार्म-ई प्रस्तुत किया गया। अतः विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर प्रवेश कर प्रदत्त खरीद पर पुनः प्रवेश कर आरोपित किया जाना उचित नहीं है। इस आधार पर अधिकरण ने अपील स्वीकार की।

Nanuram Gopal and Company Thekedar, Grater Noida vs C.T.T., U.P., (2008) 8 VLJ 1 Tribunal

3. व्यापारी ने मोम की कर प्रदत्त खरीद घोषित की थी, लेकिन फार्म-ई दाखिल नहीं कर सके थे। उन्हें दाखिल करने के लिए दिनांक 31.5.2006 तक का समय दिया गया। व्यापारी ने इस दिनांक को फार्म दाखिल किये, लेकिन वे इस आधार पर अस्वीकार किये गये कि तब तक व्यापार कर नियमावली के नियम 12-क(5) में संशोधन किया जा चुका था, अर्थात् कर निर्धारण वर्ष के दो वर्ष पूर्व के या दो वर्ष बाद के बाद जारी किये गये फार्म स्वीकार नहीं किये जा सकते थे। अतः अधिकारी ने प्रवेश कर आरोपित किया। प्रथम अपील से आदेश का समर्थन किया गया। व्यापारी ने द्वितीय अपील दायर की जिसे स्वीकार किया गया। अधिकरण ने यह अवधारित किया कि:-

"इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि जिस वस्तु की खरीद पर एक बार प्रवेश कर की अदायगी हो चुकी है उस संव्यवहार पर पुनः प्रवेशकर नहीं लगाया जा सकता। प्रश्नगत मामले में करदाता व्यापारी पर दोबारा प्रवेश कर केवल इसी आधार पर आरोपित किया गया है कि प्रवेशकर प्रदत्त होने के प्रमाण उसने विधिनुसार निर्धारित समय सीमा में नहीं दाखिल किया है। निर्धारित समय सीमा में प्रवेश कर प्रदत्त खरीद का प्रमाण पत्र, विक्रेता व्यापारी द्वारा फार्म-ई समय से न दिये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, लेकिन इस वस्तु की खरीद पर एक बार प्रवेश कर दिया जा चुका है तथा प्रवेश कर दिये जाने की पुष्टि फार्म-ई से होती है और निश्चित ही उस पर पुनः प्रवेश कर आरोपित किया जाना विधि संगत नहीं है। (प्रस्तर 8)

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं व्यापारी की ओर से प्रस्तुत फामई-ई से यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी द्वारा जो मोम की खरीद घोषित की गयी है वह प्रवेश कर प्रदत्त है। अतः फार्म-ई मात्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर प्रवेश कर प्रदत्त खरीद पर पुनः प्रवेश कर नहीं आरोपित किया जा सकता है। (प्रस्तर 12)

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर यह मत अवधारित किया जा चुका है कि वर्तमान मामले में मोम की खरीद पर अपीलकर्ता की कोई प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है, क्योंकि उक्त मोम की खरीद के लिए प्रवेश कर आरोपित ही नहीं किया जाना है तो मोम के खरीद के मूल्य का निधारित भाड़ा जोड़ करके उस पर प्रवेश कर का आंकलन औचित्यहीन हो जाता है। वैसे भी मेरे द्वारा उक्त संदर्भित वाद (2007) 5 वीएलजे 97) में यह मत अवधारित किया जा चुका है कि दिनांक 24.3.2005 के पूर्व संव्यवहार में माल के मूल्य में भाड़ा नहीं जोड़ा जायेगा। वर्तमान वाद भी वर्ष 2003-04 से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में माल के मूल्य में भाड़ा नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उक्त संव्यवहार निश्चित रूप से दिनांक 24.3.2005 के पूर्व का ही है।" (प्रस्तर 13)

M.K. Gramodyog Sansthan, 381 Krishanpuri, Muzaffarnagar vs C.T.T., U.P., (2008) 8 VLJ 107 Tribunal

4. व्यापारी प्रान्त के बाहर से तथा देश के बाहर से दोनों स्थानों से निजी खाते में तथा कमीशन पर टिम्बर की खरीद करते हैं । भारतवर्ष के बाहर से की गयी खरीद पर उन्होंने प्रवेश कर दिया है, लेकिन जो खरीद प्रदेश के बाहर से की गयी है, उस पर प्रवेश करदेयता नहीं मानी है, जबकि अधिकारी ने ऐसी आयातित टिम्बर जो प्रान्त के बाहर से खरीदी गयी है, उस पर कर लगाया है । प्रथम अपील स्वीकार की गयी । विभाग द्वारा दायर द्वितीय अपील अस्वीकार करते हुए यह माना गया कि जो खरीद भारतवर्ष के बाहर से की गयी है, केवल उसी पर करदेयता होती है, लेकिन जो खरीद निजी खाते एवं कमीशन खाते में गुंजरात से की गयी है, भले ही गुजरात के व्यापारी ने उसे भारतवर्ष के बाहर से खरीदा है, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि व्यापारी ने उसे सीधे विदेश से आयात किया है । अतः उस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं होगा ।

C.T.T., U.P. vs Sanjeev Kumar Chetan Prakash, Garh Road, Hapur, (2009) 10 VLJ 85 Tribunal

5. व्यापारी पर मिक्स्ड फ्यूल ऑयल (एम.एफ.ओ.) मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया । प्रथम अपील में कहा गया कि एम.एफ.ओ. विज्ञप्ति संख्या 160 दिनांक 15.1.2004 में शामिल नहीं है, जब विभिन्न प्रकार के पोलीमर्स का निर्माण किया जाता है तो यह बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और यह गैल इंडिया लि. द्वारा कच्चे माल के रूप में निर्माण में प्रयोग हेतु बेचा जाता है, जबकि आर. एफ.ओ. एक रेजीड्यू है जिसकी पुनः प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है । प्रथम अपील स्वीकार की गयी । अतः विभाग ने द्वितीय अपील दायर की । अधिकरण ने इसे अस्वीकार करते हुए माना कि प्रथम अपीलीय निर्णय उचित है "क्योंकि एम.एफ.ओ. कच्चे माल की तरह से आगे प्रोसेस किया जाता है, जबकि आर. एफ.ओ. प्रोसेस के बाद निकला हुआ अवशेष या गाद है, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट है । एम.एफ.ओ. का प्रयोग इण्डस्ट्रीज में किया जाता है, क्योंकि आर.एफ.ओ. गाद के रूप में जलाने के काम आता है । एम. एफ.ओ. डायलूट तरल कच्चा माल है, जबकि आर.एफ.ओ. संतृप्त विलयन है । गेल इंडिया द्वारा एम. एफ.ओ. मैन्यूफैक्चरिंग करने के प्रयोजन के लिए दिया जाता है, जबकि आर.एफ.ओ. किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग के प्रयोजन के लिए उद्योगों में सप्लाई नहीं किया जाता है ।"

C.C.T., U.P. vs Utkarsh Enterprises, Udyogpuram, Partapur, Meerut, (2009) 11 VLJ 53 Tribunal

6. व्यापारी देश में तथा विदेशों में वायर लाईन लोगिंग, परफोरेशन एवं संबंधित सेवाओं का कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में ओएनजीसी ऑयल इंडिया लि. तथा रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि. आदि के लिए भारत एवं बांग्लादेश में मुख्य रूप से आदेशों के विरूद्ध कार्य कर रहे थे । उत्तर प्रदेश में उनका कोई भी व्यापार नहीं होता है । व्यापारी ने आसाम, राजस्थान, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में काम लिया था । व्यापारी ने मशीन, इक्वीपमेंट एवं इन्स्ट्रूमेंट भारत के बाहर से नोएडा में मंगाये थे, जहां से उसे अनपैक किया गया, चैक किया गया, टैस्टिंग की और कैलीब्रेशन किया और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के बाहर इन कम्पनियों से किये गये अनुबंध के तहत अन्य राज्यों में डिस्पेच कर दिया । विभाग द्वारा प्रवेश कर आरोपित किया गया जिसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी । व्यापारी ने *एंट्रीटैक्स ऑफिसर बनाम चन्दनमल चम्पालाल एण्ड कम्पनी (1994 एससीसी (4) 463 एससी)* के निर्णय का हवाला दिया कि यदि स्थानीय क्षेत्र में कोई वस्तु बिक्री, प्रयोग या खपत के लिए नहीं लायी जाती है, तब प्रवेश कर नहीं लगेगा । अतः माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि ये वस्तुएं प्रान्त के अंदर प्रयोग या उपभोग के लिए नहीं लायी गयी हैं और पुनः उत्तर प्रदेश के बाहर भेज दी गयी हैं, इसलिए प्रवेश कर आरोपित नहीं होगा ।

HLS Asia Limited vs. State of U.P. & Ors. (2013) 21 VLJ 172

7. व्यापारी ने दिनांक 21.1.2004 से दिनांक 31.3.2004 तक राजकीय ऑयल रिफाईनरी से रू. 62,77,714=00 का डीजल खरीदा और एक फार्म-ई प्रस्तुत किया जो विभाग ने दिनांक 1.1.2007

को जारी किया था । इसे इस आधार पर अस्वीकार करते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया कि कर निर्धारण वर्ष के दो वर्ष व्यतीत होने के बाद यह फार्म जारी किया गया है । प्रथम अपील अस्वीकार की गयी । द्वितीय अपील में अधिकरण की खण्डपीठ का यह कहना था कि फार्म-ई के अवलोकन से स्पष्ट है कि डीजल पहले ही प्रवेश कर प्रदत्त था । विधायिका की मंशा स्पष्ट है कि यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में बाहर से कोई माल लाया जाता है तो उस पर प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा, लेकिन यह भी मंशा है कि यदि पहले ही उस वस्तु पर प्रवेश कर निर्धारित हो चुका है, तब दोबारा निर्धारित नहीं होना चाहिए । दो वर्ष के बाद फार्म-ई प्राप्त करके दाखिल किया गया है और यह एक तकनीकी कमी है जिससे ऐसी कोई शंका उत्पन्न नहीं होती कि प्रवेश पहले नहीं दिया गया था । गौरखपुर अधिकरण की खण्डपीठ ने *सर्वश्री एशियन फर्टिलाईजर्स लि. बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर (2011 एनटीएन वाल्यूम-45 अधिकरण 1)* के निर्णय में माना है कि यदि फार्म-ई दो वर्ष बाद जारी होता है तो इस आधार पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जाएगा । इस प्रकार अधिकरण ने अपील स्वीकार की तथा आरोपित प्रवेश कर समाप्त किया ।

Auto Aid, Bypass Road, Mathura vs. Commissioner, Commercial Tax, U.P. Lucknow (2013) 21 VLJ 30 (Trib)

8. व्यापारी ने अपनी निर्माण इकाई के विस्तारीकरण (एक्सटेंसन) के लिए प्लान्ट एवं मशीनरी खरीदी थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर, मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 1976 के अधीन प्रवेश कर आरोपित किया । इसके विरूद्ध व्यापारी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि व्यापारी की न तो कोई करदेयता है और न ही प्रवेश करदेयता है । यदि कोई "मैटीरियल Expansion of Business"के लिए खरीदा जाता है तो इसे "In the course of business" के अधीन 'activity' नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *Perfect Pottery Co. Ltd., Ratlam vs. Commissioner of Sales Tax, Madhya Pradesh (1990-76 STC 475)* के निर्णय में यह माना था कि यदि मकान के repairs, renewal and maintenance के लिए बिल्डिंग मैटीरियल खरीदा जाता है तो उसे 'Activity in the course of business' नहीं माना जाएगा । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न मत निर्धारित किया:-

"........for determining the question of liability of purchase tax, it would make no difference whether the activity of construction is undertaken to make the building available for starting the business or for expansion of business or for maintenance or continuance of business. The activity of construction is a condition precedent not only for starting business of manufacture or its expansion but also for continuance of the business of manufacture and such activity of construction cannot be said to be the business of assessee so as to make him liable to pay tax on the purchase of building material used in such building activity."

इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने एक दूसरे निर्णय का भी अनुपालन किया जो माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने *Commissioner of Sales Tax, Madhya Pradesh vs. Satna Cement works, Satna (1984) 17 VKN 260* में निम्न प्रकार दिया था:-

"That the building is expanded, it would only mean the building activity precedes the expansion of the business for which purpose the building is required. Therefore, the building materials, which were purchased for the construction of the building, cannot be said to be in the course of business of the assessee and the levy of purchase tax on the purchase of building materials was not justified."

Surya Roshani Ltd. vs. State of M.P. (2013) 60 VST (MP) D.B.

9. व्यापारी पेपर के निर्माता और विक्रेता हैं। विज्ञप्ति संख्या KA.NI-2-732/XI-9(37)/97-U.P. Act-15-48-Order-(15)-2005 Dated March 7, 2005 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत जारी की गयी है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2000 के अंतर्गत व्यापारी द्वारा जो प्रवेश कर दिया गया है, उस सीमा तक इस पेपर की बिक्री पर देय व्यापार कर की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि छूट की धनराशि दी गयी व्यापार कर की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा छूट तभी मिलेगी, जबकि ऐसे पेपर पर सैंट्रल एक्साईज ड्यूटी दी गयी हो। इस विज्ञप्ति के बाद उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 3एच(4)(डी) के अधीन विज्ञप्ति संख्या KA.NI-2-1307/XI-9(81)/91-U.P. Act-15-48-Order-(23)-2005 Dated April 28, 2005 जारी की गयी जिसमें यह कहा गया कि उन वस्तुओं पर राज्य विकास कर आरोपित नहीं होगा जिन पर पूर्ण सीमा तक व्यापार कर की छूट दी गयी है। चूंकि पेपर की बिक्री पर प्रवेश कर और व्यापार कर दोनों की ही दर 5 प्रतिशत है, अतः व्यापारी का यह कहना था कि उन्हें विज्ञप्ति दिनांक 07.03.2005 के अंतर्गत देय व्यापार कर की पूर्ण छूट उनके द्वारा जमा किये गये प्रवेश कर के बराबर मिली हुई थी और व्यापार कर की उन्हें पूरी छूट उपलब्ध थी, इसलिए विज्ञप्ति दिनांक 28.04.2005 के अनुसार उन पर राज्य विकास कर नहीं लगना चाहिए। इस बिन्दु पर यह रिट दायर की गयी है। इस संबंध में व्यापारी द्वारा *Dayalji Industries vs. Commissioner, Commercial Tax (2012) 49 VST 270 (All) & (2012) UPTC 216)* के निर्णय का हवाला दिया गया जिसमें माननीय एकल पीठ ने यह निर्धारित किया कि:-

"Having examined the notification I find that the conclusion drawn by the Tribunal is completely misplaced. Each and every clause of the notification refers to a separate category of commodity and can stand on its own. The Tribunal has wrongly come to the conclusion that one condition is connected to the other, that cannot be the case because every clause refers to specific benefits under specific sections and gives specific relief. The case of the assessee is covered under clause (iii) of the said notification, as his case was a payment of rebate being allowed to the full extent at the rate of five per cent. This was allowed to him for having paid entry tax at the rate of five per cent he was given the benefit of not having to pay the State development tax. The other clauses are not connected with the rebate factor at all."

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Bhai Jaspal Singh vs. Assistant Commissioner of Commercial Taxes (2011-10 SCC 39)* के निर्णय का हवाला दिया जिसके प्रस्तर-21 से 26 तक में इस बिन्दु पर विचार किया गया है कि कर संबंधी अधिनियम में करमुक्ति विषयक अथवा कर से रियायत के संबंध में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व पारित कई निर्णयों का हवाला दिया है। इस संबंध में *Novopan India Ltd., Hyderabad vs. Collector of Central Excise and Customs, Hyderabad (1994) Supp 3 SCC 606)* के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न मन्तव्य दिया है:-

"The principle that in case of ambiguity, a taxing statute should be construed in favour of the assessee-assuming that the said principle is good and sound-does not apply to the construction of an exception or an exempting provision; they have to be construed strictly. A person invoking an exception or an exemption provision to relieve him of the tax liability must establish clearly that he is covered by the said provision. In case of doubt or ambiguity, benefit of it must go the the State. This is for the reason explained in Mangalore Chemicals (1991) 83 STC 234 (SC); (1992) Supp 1 SCC 21 and other decisions, viz., each such exception/exemption increases the tax burden on other members of the community correspondingly. Once, of course, the provision is found applicable to him, full effect must be given to it."

पुनः इस निर्णय का समर्थन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Tata Iron & Steel Co. Ltd. vs. State of Jharkhand (2005) 140 STC 284 (SC)* के वाद में किया है और यह कहा कि:-

"Eligibility clause, it is well-settled, in relation to exemption notification must be given a strict meaning."

इसी निर्णय में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत अवधारित किया:-

"The principle that in the event a provision of fiscal statute is obscure, such construction which favours the assessee may be adopted, but it would have no application to construction of an exemption notification, as in such a case it is for the assessee to show that he comes within the purview of exemption."

इसी मत की पुष्टि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *G.P. Ceramics Pvt. Ltd. vs. Commissioner, Trade Tax, U.P. (2009) 19 VST 284 (SC); (2009) 2 SCC 90* के वाद में निम्न प्रकार की है:-

"It is now a well established principle of law that whereas eligibility criteria laid down in an exemption notification are required to be construed strictly, once it is found that the applicant satisfies the same, the exemption notification should be construed liberally."

इस संबंध में पुनः *Commissioner of Central Excise, Trichy vs. Rukmani Pakkwell Traders (2004) 3 RC 119; (2004) 11 SCC 801* के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधोलिखित मत स्थापित किया है:-

"Exemption notifications have to be strictly construed. They must be interpreted on their own wording. Wordings of some other notification are of no benefit in construing a particular notification. To be entitled to the benefits of a notification, a person has to strictly comply with the conditions of that notification. If on a plain reading of the notification the benefit is not available then merely on the basis of principles applied in infringement cases, benefit cannot be claimed."

उपरोक्त निर्णयों पर विवेचना करने के उपरान्त माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने निम्न मत निर्धारित किया:-

"We are thus of the view that notification dated April 28, 2005, cannot be interpreted in the manner, that where the rate of entry tax and trade tax is at five per cent, and consequently rebate has to be given on the trade tax, in view of notification dated March 7, 2005, the exemption will be applicable for State development tax.

For the aforesaid reasons, we do not find that the claim of the petitioner that since in the assessment proceedings, they have been given rebate on the trade tax to the extent of five per cent on the ground that the has paid the entry tax, they are also entitled for exemption from State development tax."

इस प्रकार राज्य विकास कर आरोपित करना उचित माना गया।

Rana Papers Limited vs. State of U.P. and others, (2013) 19 VLJ 8 (All) D.B.

10. इस निर्णय में यह माना गया है कि बिटुमिन (asphalt) तथा बिटुमिन emulsion दोनों का प्रयोग एक ही है। बिटुमिन (asphalt) प्रवेश करदेयता के लिए भी विज्ञापित वस्तु है। इसके अंतर्गत बिटुमिन emulsion को बिटूमिन मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा। बिटुमिन emulsion का प्रयोग सड़क, उसके निर्माण, उसके रख-रखाव, वाटर प्रूफिंग, मिट्टी को स्टीप्लग करने में होता है,

जबकि बिटुमिन (asphalt) सड़क के निर्माण, रखा-रखाव, बाईन्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः दोनों का प्रयोग एक ही जैसा है।

Essar Project Ltd. vs. Commissioner of Commercial Taxes, Gandhinagar, Bangalore (2013) 63 VST 49 (Kam) D.B.

11. इस वाद में व्यापारी ने प्रवेश कर अधिनियम 2000 की वैधता को चुनौती दी है जिसका निस्तारण अन्य याचिकाओं के साथ किया गया। प्रवेश कर अधिनियम खण्डपीठ द्वारा निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लिव पिटीशन लंबित है। इसके पश्चात राज्य विधायिका ने प्रवेश कर अधिनियम 2007 बनाया इसकी वैधता को खण्डपीठ द्वारा स्वीकार किया गया। इसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दाखिल की गयी जिसमें अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों का क्रियान्वयन इस शर्त के साथ स्थगित किया गया कि व्यापारी का जो करदायित्व है, उसका 50 प्रतिशत नगद और 50 प्रतिशत की बैंक गारण्टी देंगे। इसके पश्चात *Gobind Sugar Mills Ltd. and Others vs. State of U.P. (2012) 18 VLJ 280* के वाद में खण्डपीठ ने रिट का निस्तारण करते हुए अनेक निर्देश जारी किये थे और अनेकानेक निर्णयों में इसी निर्णय के आधार पर आदेश भी जारी किये गये।

Anwar Hussain v. State of U.P. & Others (2013) 22 VLJ 175

12. व्यापारी चीनी के निर्माता हैं। उन्होंने उसी स्थानीय क्षेत्र में चीनी के व्यापारियों को नोन लेवी शुगर की बिक्री के लिए उनसे प्रवेश कर वसूल नहीं किया जिसके कारण प्रवेश कर अधिनियम 2007 की धारा 12(5) के अंतर्गत संबंधित दो महीने के लिए अर्थदण्ड नोटिस जारी की गयी जिसके विरूद्ध यह रिट दाखिल की गयी। रिट स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अवधारित किया कि यदि उसी स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी जहां पर चीनी मिल स्थित है, नान लेवी शुगर की खरीद करते हैं, तब प्रवेश करदेयता नहीं होती है, इसलिए अर्थदण्ड आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है।

Mawana Sugars Ltd. vs. Deputy Commissioner, Commercial tax and Others (2013) 22 VLJ 189

13. व्यापारी तम्बाकूयुक्त पान मसाले के निर्माता हैं। उनके ऊपर प्रवेश कर आरोपित करने के साथ-साथ धारा-12(5) में अर्थदण्ड इस आधार पर लगाया गया कि उन्होंने इस वस्तु की बिक्री करते समय प्रवेश कर वसूल नहीं किया था। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। अधिकरण द्वारा आरोपित अर्थदण्ड एवं कर समाप्त किया गया जिसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी। व्यापारी का कहना था कि उन्होंने स्थानीय क्षेत्र के क्रेता फर्म को बिक्री की है, अतः उन पर कोई प्रवेश कर वसूल करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। रिट स्वीकार की गयी और कहा गया कि प्रवेश करदेयता स्थानीय क्षेत्र में बिक्री करने पर प्रासंगिक नहीं होती है।

Ajay Kumar Agarwal vs. State of U.P. and Another (2013) 22 VLJ 271

14. इस वाद में उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 की वैधता को चुनौती दी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि *ITC Ltd. vs. State of U.P. (2012) 18 VLJ 1* के निर्णय में इसे वैध माना गया है। जहां तक कर जमा करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में *Gobind Sugar Mills Ltd. and others vs. State of U.P. (2012) 18 VLJ 297* के वाद में जो निर्णय दिया गया है, उसके अनुरूप ही कर जमा करने के निर्देश दिये गये।

Centrodorstroy vs. State of U.P. & Another 2013 NTN (Vol. 51) 88

15. JCB excavator, Loader को मशीनरी मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया गया था, लेकिन अधिकरण द्वारा इसे इस आधार पर समाप्त किया गया कि ये मोटर व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। इसके विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायर किया जिसे अस्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Bose Abraham Etc. vs. State of Kerala and another*

(2001 UPTC 437) के निर्णय में माना है कि excavator तथा रोड रोलर मोटर व्हीकल के अंतर्गत आते हैं, अतः इन वस्तुओं पर प्रवेश करदेयता नहीं है।

C.C.T., U.P. vs. Pateshwari Prasad & Company 2013 NTN (Vol. 51) 105

डुप्लैक्स बोर्ड, कार्ड बोर्ड एवं पेपर बोर्ड समस्त प्रकार के कागज की श्रेणी में नहीं आते हैं।

पेपर बोर्ड, कार्ड-बोर्ड, डूप्लैक्स बोर्ड, ग्रे-बोर्ड, क्राफ्ट बोर्ड एवं स्ट्रा बोर्ड पर प्रवेश कर देयता के संबंध में निर्णय।

1. व्यापारी प्रान्त के बाहर से प्रान्त के अंदर स्थानीय क्षेत्र में डुप्लैक्स बोर्ड ला रहे थे, कर निर्धारण अधिकारी ने इसे 'all kinds of paper' and 'paper of all kinds excluding news print' के अंतर्गत पेपर मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया जिसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी। खण्डपीठ ने कहा कि अनेकों निर्णयों में यह पूर्व में ही स्थापित हो चुका है कि डुप्लैक्स बोर्ड समस्त प्रकार के पेपर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस सम्बन्ध में *Cheema Paper Ltd. vs. Commissioner, Trade tax, U.P. (2012-19 VLJ 109; 2012 NTN 49-139), Commissioner of Sales Tax vs. Ram Paper Mills Ltd. (STI 2004 All. H.C. 617) and Wimco Limited vs. State of UP and others Writ No. 821 of 2006, 2207 of 2008, and 1963 of 2009 decided on 11.4.2013* के निर्णयों का हवाला दिया गया जिसमें यही माना गया है। विमको लि. के वाद में यह कहा गया है कि पेपर बोर्ड तथा कार्ड बोर्ड इस प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार डुप्लैक्स बोर्ड एवं कार्ड बोर्ड समस्त प्रकार के पेपर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः उन पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक उपचार के सम्बन्ध में कहा कि जब यह रिट में स्पष्टतः निर्धारित हो चुका है, तब आल्टरनेट रेमेडी के आधार पर अपीलदायर करने का कोई लाभ नहीं है।

M. Graphics Pvt. Ltd. vs. State of U.P. and others (2013) 23 VLJ 285

2. व्यापारी माचिस का निर्माण करते हैं जिसके लिए वे कार्ड बोर्ड (जिसे मिल बोर्ड एवं डुप्लैक्स बोर्ड भी कहा जाता है) प्रदेश के बाहर से आयात करते हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2003-04, 2005-06 एवं 2006-07 के लिए "समस्त प्रकार के कागज, न्यूज प्रिन्ट को छोड़कर" की प्रविष्टि के अंतर्गत इस पर प्रवेश कर आरोपित किया गया जिसके विरूद्ध सीधे रिट दायर की गयी। विभाग की आपत्ति थी कि सीधे रिट दायर न करके अपील दायर की जानी चाहिए थी जिसे अस्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि एक दिन पहले ही उन्होंने *Savio Texcone Pvt. Ltd. vs. State of U.P. & others (Writ Petition No. 1024 of 2008)* के वाद में इस विषय में निर्णय दिया है, अतः सैद्धांतिक न्याय के आधार पर रिट अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इससे पहले अनेक निर्णयों में यही मत स्थापित किया है। पेपर बोर्ड, कार्डबोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड आदि समस्त प्रकार के कागजात की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रवेश करदेयता निर्धारित नहीं हो सकती है। इस संबंध में *Cheema Paper Ltd. vs. Commissioner Trade Tax U.P. (2012 19 VLJ 109)* में भी इससे पहले यही निर्धारित किया गया था।

Wimco Limited vs. State of U.P. & Others 2013 NTN (Vol. 51)-346

3. व्यापार पेपर बोर्ड एवं पेपर डुप्लैक्स बोर्ड के निर्माण का है। ये प्राप्त के बाहर से craft board, grey board, duplex board and straw board कच्चे माल के रूप में खरीदते हैं। मूल कर निर्धारण के समय प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया। बाद में पुनः कर निर्धारण इस आधार पर प्रारम्भ किया गया कि वे पेपर बोर्ड का आयात कर रहे थे, लेकिन इसे समस्त प्रकार के पेपर में नहीं घोषित किया गया था। इस आधार पर धारा-21 (2) के अंतर्गत कार्यवाही करने की अनुमति दी गयी। इसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी। इस संबंध में कमिश्नर ने दिनांक 28.02.2007 को एक परिपत्र जारी किया था

जिसमें कर आरोपित करने की धारण व्यक्त थी और यह कहा गया कि पेपर बोर्ड को कागज की श्रेणी में माना जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि इस न्यायालय की खण्डपीठ ने *M/s Mahabir Industries vs. State of U.P. and another (1986 UPTC 369)* के वाद में कॉमन पार्लेन्स के सिद्धान्त पर यह माना था कि सामान्य डुप्लेक्स बोर्ड यद्यपि कागज से बनाया जाता है, लेकिन यह पैकिंग मैटीरियल के रूप में जाना जाता है। इस निर्णय के आधार पर एक न्यायाधीश ने यही मत *Cheema Paper Ltd. vs. Commissioner Trade Tax* के वाद में माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Uttar Pradesh and another vs. Kores (India) Ltd. (1977 UPTC 46)* में पेपर के सम्बन्ध में जो मत दिया था, उसके आधार पर एकल पीठ ने यह मत व्यक्त किया था। जहां तक कमिश्नर के परिपत्र का प्रश्न है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए इसके आधार पर दी गयी अनुमति अवैध है, अतः पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए जारी नोटिस निरस्त की गयी।

Savio Texcone Pvt. Ltd. Thru M.D. Ashok Chharia vs. State of U.P. & Others 2013 NTN (Vol. 52)-8

4. व्यापारी भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है जो उपभोक्ताओं को टेलीफोन सर्विस प्रदान करता है। इन्होंने आयात घोषणा पत्र के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण हेतु अनेक वस्तुएं खरीदी हैं जैसे कि Scratch cards, Telecom parts, C-Dot, Telephone material, S.M.P.S., S.B.M., Tower parts, Antenna, B.T.S. आदि। विज्ञप्ति संख्या 2283 दिनांक 31.10.99 की प्रविष्टि संख्या 5 के अनुसार मशीन एवं उसके पुर्जे जिनका मूल्य 10 लाख रूपये या उससे अधिक है, पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश करदेयता होती है। आयात किये गये समस्त पार्ट्स का कुल मूल्य रू. 1,09,05,482=00 होता है, इस पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया जिसका समर्थन अधिकरण के स्तर तक किया गया, अतः व्यापारी ने यह पुनरीक्षण दायर किया। इसमें मुख्य रूप से व्यापारी का कहना था कि वे कोई निर्माता या व्यापारी नहीं हैं, अपितु विभिन्न उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवाएं प्रदान करते हैं और जो वस्तुएं खरीदी गयी हैं, वे मशीनरी अथवा उसके पुर्जे के अंतर्गत नहीं आती हैं। अधिकांश आईटम की कीमत 10 लाख रूपये से कम है, अतः उन पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अस्वीकार करते हुए माना कि *M/s. Siemens Ltd. vs. Commercial Tax Officer, Bangalore 1999 NTN (Vo,. 15) 571* के निर्णय में माना गया है, "it is defined that the computer and electronic equipments for the purpose of communication are the machinery. The machinery is a very wide term which includes the electronic gazettes, computer etc. In the list of the entry tax, there is no entry for electronic goods. So, it will have to be covered by the general word, machinery and its part." उन्होंने यह भी माना कि टेलीफोन एक्सचेंज समस्त पार्ट्स को मिलाकर तैयार होती है और उसी की उपयोगिता है, अतः मूल्य निर्धारण के द्वारा कुल कीमत मानी जाएगी। न्यायालय के शब्दों में "In the instant case, the value of the telephone exchange and other equipments is more than a crore, where a individual machinery can not function independently. So, the value of entire goods will have to be taken for the purpose as all the equipments and machinery will have to work together. Individual item has no separate utility. Hence, the value of the goods during the assessment year under consideration is more than ten lacs and is subject to entry tax."

Door Sanchar Maha Prabandhak, Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs. Commissioner Commercial Taxes U.P. Lucknow [2013 NTN (Vol. 51) Part 3 Page 139]

5. अधिकरण ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा *Carbon Crafts Pvt. Ltd. Varanasi vs. State of U.P. and another (2006-29 NTN 157)* के वाद में दिये गये निर्णय के आधार पर यह माना कि चारकोल भी प्रवेश कर अधिनियम 2007 के अंतर्गत कोयले के रूप में करयोग्य है जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया। इसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च

न्यायालय की एकल पीठ ने यह माना कि उस निर्णय पर विवाद कोक और कोयले के संबंध में था, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Commissioner of Sales Tax, Madhya Pradesh, Indore vs. Jaswant Singh Charan Singh (AIR 1967 SC 1454)* के निर्णय में पहले ही माना है कि चारकोल और कोयला एक ही वस्तु है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के वाद में दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है। यह भी लिखा कि खण्डपीठ के उस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर हवाला देते हुए यह कहा गया था कि उनके मामले में विवादित बिन्दु कोक एवं कोयला है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय चारकोल और कोयले से संबंधित है।

C.C.T., U.P. vs. Harsh Traders, (2014) 24 VLJ 93

6. व्यापारी ने इस वर्ष ब्राजील से रॉ शुगर का आयात किया और इसे प्रोसेसिंग करके व्हाईट शुगर बनाया और उसे पुनः विदेशों में निर्यात किया। अधिकारी द्वारा आयातित शुगर पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश करदेयता आरोपित की गयी। इसे अधिकरण द्वारा समाप्त करते समय यह आधार लिया गया कि आयातित रॉ शुगर चीनी के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है और यह चीनी से भिन्न हैं, अतः रॉ शुगर विज्ञप्ति दिनांक 23.08.2000 के अंतर्गत नहीं आती है। इसके विरूद्ध कमिश्नर ने पुनरीक्षण दायर किया जिसे इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि इसमें कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है और यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि रॉ शुगर शुगर की ही भांति है।

C.C.T., U.P. vs. Uppar Gangaje Sugar Industries Ltd. (2014) 24 VLJ 183

7. व्यापारी ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. से सुपीरियर कैरोसीन ऑयल की खरीद की थी तथा इसकी बिक्री पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए की थी। उनका कहना था कि विज्ञप्ति संख्या 160 दिनांक 15.01.2004 के अंतर्गत इस पर प्रवेश करदेयता आकर्षित नहीं होती है। इस प्रविष्टि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल को प्रवेश कर दायरे से अलग किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि विज्ञप्ति में केवल मिट्टी के तेल का उल्लेख है। इसमें सुपीरियर या इनफीरियर का उल्लेख नहीं है और इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार के तेल हो सकते हैं, बशर्ते कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री हेतु है। अतः विभाग द्वारा प्रविष्टि उस उद्देश्य या आशय से पढ़ी जा रही है जो अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि प्रविष्टि में सुपीरियर शब्द का उल्लेख नहीं है।

Joharmal Jwala Prasad vs. Commissioner, Commercial Taxes 2014 NTN (Vol. 54)-66

8. व्यापारी व्यावसायिक रूप से नर्सिंग होम चला रहे हैं जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए बीमारियों का पता लगाने के लिए वे Cath Machine, Gastro Machine, Chiller Machine, Imaging Machine etc. आदि की खरीद करते हैं जिससे मरीजों की बीमारी का ज्ञान होता है। उनका कहना है कि यह प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत खपत, प्रयोग अथवा बिक्री के अधीन नहीं आएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने व्यापारी का पुनरीक्षण अस्वीकार करते हुए माना कि मशीन की परिभाषा अत्यन्त व्यापक है। इसमें ऐसी सभी मशीन, चाहे बिजली से चले अथवा अन्यथा प्रयोग की जाये, आती हैं और इस प्रकार उक्त मशीन भी मशीनरी के अंतर्गत आती हैं। अतः इस पर प्रवेश कर देयता निर्धारित होती है, क्योंकि ये प्रयोग के अंतर्गत मानी जाएगी।

Noida Medicare Centre Ltd. vs. Commissioner of Trade Tax/Entry Tax Act Lucknow 2014 NTN (Vol. 54)-68

9. व्यापारी कृषि यन्त्रों का निर्माण और बिक्री का कार्य करते थे। उन्होंने रेलवे से रेल लाईन स्क्रेप खरीद कर उक्त निर्माण किया जो करमुक्त है। विभाग ने इस खरीद पर इस आधार पर प्रवेश कर आरोपित किया कि व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के बाहर से रेल लाईन स्क्रेप खरीदकर स्थानीय क्षेत्र में जो प्रवेश कराया गया था, वह वास्तव में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14(4)(XVI) के अंतर्गत

रिजेक्टिड/डिफेक्टिड वस्तु के रूप में करयोग्य है न कि वेस्ट मैटीरियल, क्योंकि इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हुए कृषि यंत्र बनाये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त फार्म-31 और टैक्स इनवायस पर भी इसे रेल (डिफेक्टिड/रिजेक्टिड) लिखा हुआ था न कि वेस्ट मेटीरियल। अपील स्तर से असफल होने के बाद उन्होंने पुनरीक्षण दायर किया जिसे स्वीकार करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिखा कि टैक्स इनवायस बनाने वाले या फार्म 38 भरने वाले व्यक्ति इतने टैक्नीकल नहीं होते कि वे स्क्रेप और डिफेक्टिड/रिजेक्टिड मैटीरियल के अंतर को समझ सकें और गलत लिखने पर आभास हो सके। अतः मात्र फार्म-38 या टैक्स इनवायस पर रेल (डिफेक्टि/रिजेक्टिड) लिखने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि बेचे जाने वाली वस्तु वेस्ट या स्क्रेप मैटीरियल है। कुछ स्क्रेप या वेस्ट मैटीटिरियल भी नयी वस्तु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वेस्ट मैटीरियल एक व्यक्ति के लिए वेस्ट हो सकता है तो दूसरे के लिए कच्चा माल हो सकता है। इस दृष्टिकोण से नहीं विचार किया गया। उन्होंने बताया कि इसका उचित परीक्षण यह होता कि रेलवे द्वारा इसे किस रूप में बेचा गया है और व्यापारी द्वारा इसे किस रूप में खरीदा गया है। रेलवे ने इसे स्क्रेप के रूप में बेचा है या रिजेक्टिड वस्तु के रूप में बेचा है। अतः इस दृष्टिकोण से जांच हेतु वाद कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया।

Prince Industries vs. Commissioner, Commercial Tax (2014) 69 VST 59 (All)

10. व्यापारी ने भारत वर्ष के बाहर से मशीनरी का आयात किया था जिसका मथुरा रिफाईनरी में निर्माण और स्थापना में प्रयोग किया गया था। उनके अनुसार इसका उपयोग बिक्री अथवा खपत नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर से ही क्रूड ऑयल का आयात किया गया था। उनके अनुसार *Father William Fernandez 115 STC 951* के वाद में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए प्रवेश कर आरोपित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पूछा कि भारत के बाहर से खरीद करते समय प्रवेश कर निर्धारण हेतु केवल वही धनराशि जिसका भुगतान विदेशी विक्रेता को किया गया था, उस पर प्रवेश कर लगना चाहिए। यह भी पूछा गया कि अधिकरण ने क्या यह गलत नहीं माना है कि व्यापारी के हैड ऑफिस में कस्टम ड्यूटी पोर्ट चार्जेज एवं अन्य का जो भुगतान किया गया है और उसे मथुरा रिफाईनरी इकाई से चार्ज किया गया है जो यद्यपि इस इकाई की कोस्ट एलोकेशन एवं एकाउंटिंग उद्देश्य के लिए था, को विक्रय धन में जोड़ा जाएगा या नहीं। यह भी पूछा गया कि विदेशी क्रेता से क्रूड ऑयल आयात किया गया, उसके बाद वाडीनार पोर्ट से विशेष पाईप लाईन के द्वारा लाया गया और इसके लिए अलग से पोर्ट चार्जेज फ्रेट तथा इंश्योरेंस का भुगतान किया गया था, तब क्या इन्हें वैल्यू ऑफ गुड्स में जोड़ा जाएगा या नहीं। इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय का मत था कि प्रवेश कर अधिनियम 2007 की धारा-2(1)(सी)(डी) एवं 18(ए) एवं 18(2) के अनुसार आयात की गयी मशीनरी क्रूड ऑयल पर प्रवेश कर देयता स्थापित होगी तथा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किये जाने पर जो भी खर्चे आएंगे वे सभी प्रवेश कर निर्धारित करते समय संबंधित विक्रय धन में जोड़े जाएंगे। इस संबंध में *M/s Gas Authority of India Ltd. vs. The CCT, U.P.* पुनरीक्षण संख्या 158/2011 निर्णय दिनांक 13.01.2014 के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किये जाने तक समस्त खरीदें विक्रय धन का अंश होगी, लेकिन प्रवेश होने के पश्चात जो खर्चा किया जाता है, वह इसमें नहीं आएगा अर्थात उपभोक्ताओं को जिस मूल्य पर बिक्री की जाती है, वह प्रवेश कर के संबंध में वैल्यू ऑफ गुड्स से भिन्न होगा।

Indian Oil Corporation Ltd. vs. C.T.T.,, U.P., 2014 NTN (Vol. 54)-286

11. व्यापारी फोटोग्राफिक कलर पेपर का व्यापार करते हैं। उन्होंने इसका आयात किया और इसे समस्त प्रकार के कागज के अंतर्गत मानते हुए प्रवेश कर स्वतः रूपपत्रों के साथ जमा किया। स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने भी उन्हें प्रवेश कर जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। कर निर्धारण करते समय अधिकारी ने उन्हें प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत इस आधार पर करमुक्त किया कि यह वस्तुत समस्त प्रकार के कागज के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन उन्होंने व्यापार कर अधिनियम की धारा-29(3) के अंतर्गत जमा किया गया कर जब्त कर लिया और प्रान्तीय कर अधिनियम के अंतर्गत कर आरोपित

किया, जबकि व्यापारी ने उस अधिनियम में कोई करदेयता स्वीकार नहीं की थी। व्यापारी ने धारा-29(3) में जब्त किये जाने वाले आदेश के विरूद्ध रिट दायर की जिसमें यह निवेदन किया गया कि उन्होंने कोई भी प्रवेश कर उपभोक्ता से वसूल नहीं किया है, अपितु क्रय मूल्य के लोडिंग अनलोडिंग, भाड़ा, इंश्योरेंस एवं अन्य लाभ तथा विभिन्न प्रकार के खर्चों को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि पर ही स्वयं अपने पास से प्रवेश कर जमा किया है। विभाग द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में किसी भी बिन्दु पर विरोध नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिशपथ पत्र पर नाराजगी दिखायी कि यह प्रवेश कर वैधता के संबंध में लिखा गया है, जबकि यह बिन्दु निहित ही नहीं था। विभागीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विभाग को पुनः विचारोपरान्त आदेश पारित करने का आदेश दिया जाये। अतः पारित आदेश निरस्त करते हुए एवं रिट स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये गये कि पुनः यह जांच करते हुए कि प्रवेश कर वसूल किया गया है अथवा नहीं एवं तद्नुसार आदेश पारित करें। यदि प्रवेश कर वसूल नहीं किया गया है तो जमा धनराशि को जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है, अपितु प्रान्तीय वाद में सृजित मांग के विरूद्ध उसका समायोजन किया जाना चाहिए था।

Shanky Films vs. State of U.P. and another, 2014 NTN (Vol. 54)-331

12. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कमिश्नर ने इस बिन्दु पर पुनरीक्षण दायर किया कि प्रवेश कर अधिनियम 2007 के अंतर्गत JCB ED Hydrolic Excavator Loader को मशीन मानकर आरोपित कर को अधिकरण ने इस आधार पर समाप्त कर दिया है कि यह मोटर व्हीकल के अंतर्गत आता है। पुनरीक्षण निरस्त करते हुए अधिकरण के आदेश का समर्थन इस आधार पर किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Bose Abraham vs. State of Kerala, 2001, UPTC 437 SC* के निर्णय में इस वस्तु को मोटर व्हीकल ही माना है।

C.C.T., U.P. vs S.X. Construction Pvt. Ltd., Jhansi (2014) 24 VLJ 9

13. यह फर्म चीनी की ट्रेडिंग का व्यापार करती है और श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल इसके स्वामी हैं। राज्य सरकार ने चीनी इण्डस्ट्रीज प्रमोशन पॉलिसी 2004, 20 मई, 2005 को निर्गत की और इसमें स्थापित किया कि ऐसी चीनी की निर्माण इकाई जो नयी इकाई के रूप में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं और इस पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, उनके द्वारा निर्मित चीनी बेचे जाने पर और उनसे क्रेता फर्म द्वारा नॉन लेवी शुगर खरीदने पर कोई भी प्रवेश कर, क्रय कर, वैट या प्रशासनिक चार्जेज नहीं वसूला जाएगा। बलराम चीनी मिल को यह सुविधा प्राप्त थी। इस इकाई से प्रश्नगत व्यापारी ने चीनी खरीदी। इस खरीदी गयी चीनी को एवं अन्य व्यापारियों की चीनी को इस आधार पर अभिग्रहीत किया गया कि वे या तो निर्माता इकाई को अथवा राज्य सरकार को प्रवेश कर दें। इस आधार पर इस फर्म ने रिट दायर की कि विक्रेता निर्माण इकाई बलरामपुर चीनी मिल इस पॉलिसी के अंतर्गत स्थापित है। वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने यह पॉलिसी वापस ले ली थी जिसके विरूद्ध बलरामपुर ग्रुप ऑफ कम्पनी ने रिट संख्या 2686 (एम.बी.) वर्ष 2008 दायर की थी और उस पर 9 मई, 2008 को यह अंतरिम आदेश युगल पीठ द्वारा जारी किया गया था कि इस रिट के निस्तारण तक इस कम्पनी के विरूद्ध कोई प्रवेश कर वसूल करने संबंधी कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस विज्ञप्ति का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि शुगर इण्डस्ट्रीज पॉलिसी 2004 के अंतर्गत निर्माता कम्पनी को प्रवेश कर की छूट प्राप्त थी। जब यह छूट वापस ली गयी, तब सम-सदस्यीय पीठ ने रिट संख्या 2686 में अंतिम आदेश पारित किया था, अतः उस आदेश को देखते हुए जिसका ऊपर हवाला दिया गया है, पुनः यह निर्देश दिये गये कि उस रिट के निस्तारण तक प्रश्नगत फर्म से प्रवेश कर वसूली के लिए कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

Tirupati Enterprises Through Pradeep Kumar Agrawal & Anr. vs. State of U.P. & Ors. 2013 NTN (Vol. 52)-72

धारा 5. कर उदग्रहण की वापसी–[1]*जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो या ऐसा माल खरीदा हो जिस पर प्रवेश कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, ऐसा कर ऐसे व्यापारी को वापस या समायोजित कर दिया जायेगा, जिसके द्वारा ऐसा माल उस स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित कर दिया गया हो अथवा या तो अन्तर्राजीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय कर दिया गया हो।*

[नियम 5]

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित–

"(1) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मँगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो वहाँ ऐसा कर उद्ग्रहण वापस हुआ माना जाएगा और उपधारा (3) के अधीन रहते हुए कर के रूप में व्यापारी द्वारा सदत्त धनराशि ऐसे व्यापारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस कर दिया जायेगा:

(क) जहाँ क्रय किये गये माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना क्रय की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर विक्रेता व्यापारी को वापस कर दिये गये हों;

(ख) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना राज्य के बाहर किसी स्थान पर परेषित किये गये हों;

(ग) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के किसी स्थान पर उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिए परेषित किये गये हों;

(घ) जहाँ माल का पुनर्विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के प्रक्रम में किया गया हो;

(ङ) जहाँ कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिये बेचे गये हों और वास्तव में बाहर ले जाये गये हों।

स्पष्टीकरण :–केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 5 यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगी कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान व्यापारी द्वारा कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल की बिक्री की गयी है अथवा नहीं।

(2) जहाँ किसी व्यापारी ने किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया हो किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो गया हो, तो वहां कर के रूप में भुगतान की गई ऐसी धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, व्यापारी को वापस कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी को वापसी योग्य पायी गयी धनराशि पहले व्यापारी के विरूद्ध बकाया धनराशि से समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां माल के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या बिक्री के बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्वयं को प्राप्त करने के लिए भेजा गया हो, वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।"

उक्त धारा 5 भी दिनांक 1.11.1999 से लागू थी।

धारा 6. छूट–[1]*जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर देय हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।*[*]

धारा 7. करमुक्ति–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण से या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।[$]

धारा 7–कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी की शत-प्रतिशत निर्यात मूलक निर्माण इकाई है। उनका मुख्य कार्यालय हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में है तथा निर्माण कार्य मेरठ में होता है। वे मेरठ के स्थानीय क्षेत्र में खाल एवं चमड़ा एवं लैदर स्क्रेप, लैदर कार्पेट के निर्माण के लिए खरीदते हैं। इसके बाद सेमीफिनिस्ड कार्पेट तैयार करके हैड कार्यालय भेजते हैं, जहां से उनकी फिनिसिंग होती है और वे निर्यात की जाती है। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या सं.क.नि.-2-3840/x1-9-(81)/91-यू.पी. एक्ट-12-2000-आर्डर-2(27)-2003 दिनांक 14.8.2003 द्वारा दिनांक 16.8.2003 से प्रभावी फिनिस्ड लैदर पर प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी है, लेकिन उसी के साथ विज्ञप्ति संख्या सं.क.नि.-2-3842/x1-9-(81)/91-यू.पी. एक्ट-12-2000 आर्डर-2(29)-2003 दिनांक 14.8.2003 द्वारा लैदर गुड्स की निर्यात मूलक निर्माताओं को प्रवेश कर की देयता से दिनांक 16.8.2003 से करमुक्ति प्रदान की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह छूट इस आधार पर नहीं दी कि निर्मित वस्तु लैदर गुड्स की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त निर्मित वस्तु हैड कार्यालय ट्रांसफर की जाती है, जहां से उनका निर्यात होता है। अतः छूट नहीं दी गई, क्योंकि विज्ञप्ति संख्या 3842 दिनांक 14.8.2003 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जारी की है। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण ने माना कि लैदर कार्पेट लैदर गुड्स की श्रेणी में आते हैं। लैदर गुड्स एक विस्तृत शब्द है और इससे बनने वाली सभी वस्तुएं चाहे वह लैदर कार्पेट हो अथवा अन्य कोई सामान हो, लैदर गुड्स ही कहलाएंगे। दोनों राज्यों के कर निर्धारण

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2. 2009 द्वारा दिनांक 1.1.2008 से निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित–

"जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उस ऐक्ट के अन्तर्गत माल देय हो, और किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश करने के पूर्व कर के भुगतान का दायित्व हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा और ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।"

उक्त धारा 6 में शब्द समूह 'उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008' उ.प्र. माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) दिनांक 1.1.2008 द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह 'उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम, 1948' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

* विज्ञप्ति सं. 765 दिनांक 4.3.2008, सं. 766 दिनांक 4.3.2008, सं. 767 दिनांक 4.3.2008, सं. 418 दिनांक 31.3.2011, सं. 1718 दिनांक 12,12,2014 तथा सं. 320 दिनांक 3.3.2016 देखें।

$ विज्ञप्ति सं. 2064 दिनांक 30.6.2008 देखें।

अधिकारियों द्वारा और व्यापारियों द्वारा विचाराधीन वर्षों में समस्त लैदर कारप्रेट की भारत के बाहर निर्यात किये जाने को मान्यता दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि व्यापारी लैदर कार्पेट निर्यात मूलक निर्माता व्यापारी हैं। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 3842 दिनांक 14.8.2003 में लैदर पर प्रवेश कर से करमुक्ति देते समय केवल उत्तर प्रदेश से सीधे भारत के बाहर निर्यात किये जाने जैसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि शासन की विज्ञप्ति का स्पष्ट उद्देश्य निर्यात मूलक इकाई से है। अतः व्यापारी पर फिनिस्ड लैदर पर प्रवेश कर की कोई देयता नहीं बनती है।

Sharda Exporters Gangol Road, Meerut vs C.C.T., U.P., (2011) 15 VLJ 94 Tribunal

धारा 8. रजिस्ट्रीकरण–(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यापारी जो कर के लिए दायी है, इस अध्यादेश के अन्तर्गत जब से कर का दायी हो जाता है उस तिथि से तीस दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकरण शुल्क के जमा किये जाने के साक्ष्य के साथ निर्धारित रीति से रजिस्ट्रीकरण पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो [1]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008* के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का धारक है, यदि उपरोक्त समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र के निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना प्रस्तुत कर देता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी पंजीकृत व्यापारी समझा जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा सरकारी विभाग नियमित व्यापार में संलिप्त नहीं है।

(2) जहाँ किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश राज्य क अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में [2]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 17 के प्रावधान* यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जैसे उस ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लागू है।

[नियम 3]

धारा 9. विवरण पत्रों को प्रस्तुत करना और कर निर्धारण–(1) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरण पत्रें में दिखायी गयी देय कर की धनराशि के जमा होने के साक्ष्य के साथ अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र ऐसी रीति से, ऐसे कर अवधि और ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाय :

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं.7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह तथा अंक 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द समूह तथा अंक -उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 8-क की उप-धारा (1-क), (1-ख), (1-ग), (2), (3) तथा (4) के प्रावधान' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, निर्धारित समय के बाद विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट व्यापारी के अलावा कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी स्वतः निर्धारित कर का वार्षिक विवरण पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष ऐसे रीति एवं ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कर निर्धारण अधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, नब्बे दिन की अवधि तक विवरण प्रस्तुत करने का समय बढ़ा सकेगा।

(3) जहाँ–

(क) किसी व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट सभी कर अवधियों के विवरण पत्र और उपधारा (2) में अभिदिष्ट स्वतः निर्धारित कर का विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) प्रथमदृष्टया विश्वास करने का कोई कारण न हो कि व्यापारी ने अनुसूचित माल के मूल्य को छिपाया है या अन्यथा कर के भुगतान से अपवंचन किया है; और,

(ग) व्यापारी ने न तो किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में जमा की गयी किसी धनराशि की वापसी का दावा किया हो, न ही धारा 5 के अन्तर्गत कर की धनराशि के प्रतिफल का दावा किया हो,

कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी की उपस्थिति की अपेक्षा किये बिना, स्वतः निर्धारित कर के विवरण पत्र को स्वीकार कर लेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का विचार हो कि,-

(एक) देय कर की दर पर विवरण पत्रों में देय दिखाये गये कर की गणना नहीं की गयी है; या

(दो) कर संगणना में गणितीय त्रुटि है; या

(तीन) किसी प्रमाण-पत्र या किसी विहित प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र के आधार पर किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत का दावा किया गया है किन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है,

वहाँ वह व्यापारी को स्वतः कर निर्धारण का संशोधित वार्षिक विवरण पत्र नोटिस की तामीली के पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः कर निर्धारण के संशोधित विवरण पत्र से संतुष्ट है तो वह स्वतः कर निर्धारण का संशोधित विवरण पत्र स्वीकार करेगा।

(4) जिस व्यापारी के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण स्वीकार किया जाना है, उससे भिन्न व्यापारी के मामले में कर

निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, और व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिए लाये गये अथवा मँगवाये गये अनुसूचित माल के मूल्य को निर्धारित करेगा और व्यापारी द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी को अनुसूचित माल के मूल्य और व्यापारी के द्वारा देय कर के निर्धारण को अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अवधारित करने से वहाँ कोई रोक नहीं होगी जहाँ :

(क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा लेखा बही नहीं रखी गयी है; या

(ख) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; या

(ग) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेज कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय नहीं पाये जाते हैं; या

(घ) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेजों से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा मँगवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य सत्यापित नहीं पाये जाते हैं।

[नियम 4]

धारा 9—कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अर्ध सरकार-सहकारी संस्था है जिसके प्रशासक जिला अधिकारी, बिजनौर हैं और उन्हीं के नियन्त्रण एवं निर्देशन में अपीलकर्ता व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने रू. 2,97,83,097.00 की नोनलेवी चीनी की बिक्री प्रान्त के बाहर के व्यापारियों को घोषित की थी। उसे कर निर्धारण अधिकारी ने प्रान्तीय मानते हुए प्रवेश कर आरोपित किया। व्यापारी का कहना था कि वे प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2(1)(बी) के अंतर्गत व्यापारी की परिभाषा में नहीं आते हैं और धारा 4(3) के अंतर्गत उन पर प्रवेश कर की देयता अनुचित निर्धारित की गयी है। धारा-12 के अंतर्गत निर्माता के माध्यम से कर वसूली का प्राविधान किया गया है जिसके अनुसार निर्माता व्यापारी क्रेता व्यापारी से कर वसूल किये बिना माल की डिलेवरी क्रेता व्यापारी को नहीं देगा, लेकिन अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर प्रवेश कर लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी। द्वितीय अपील में व्यापारी द्वारा समस्त तर्क प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर माननीय अधिकरण की खण्डपीठ ने निम्न अवधारणा व्यक्त की है:-

"प्रस्तर 5. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया। प्रवेशकर अधिनियम की धारा 2(बी) में व्यापारी की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में व्यापारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान चाहे अपने वास्ते या किसी स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है या मंगाता है एवं किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है। अपीलकर्ता द्वारा कोई माल स्थानीय क्षेत्र में नहीं लाया गया है और न ही मंगवाया गया है और न ही माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त किया गया है और न ही परिदान प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलकर्ता प्रवेशकर अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित व्यापारी की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहित कर ऐसे व्यापारी द्वारा जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने

मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा । इस उपधारा में ऐसे व्यापारी पर ही प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी है । प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9(1) में भी ऐसे व्यापारी का रूपपत्र तथा कर जमा करने का दायित्व निर्धारित किया गया है । चूंकि अपीलकर्ता प्रवेशकर अधिनियम की धारा 2(बी) के अंतर्गत परिभाषित व्यापारी की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 व 9 के अंतर्गत रूपपत्र तथा कर जमा करने का अपीलकर्ता का कोई दायित्व नहीं बनता है । प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निर्माता व्यापारी के माध्यम से प्रवेश कर वसूलने का प्राविधान किया गया है । इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देयकर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा । क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा । विर्निर्माता कर निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदान किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथा विहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा । धारा-12 की उपधारा (3) में यह प्राविधान किया गया है कि जहां कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, यह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ती, यदि कोई हो, सहित जमा करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा । धारा-12 में यह प्राविधान भी किया गया है कि क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा । उत्तर प्रदेश आर्डिनेंस संख्या 35/2007 दिनांक 24.9.2007 द्वारा प्रथम बार लाया गया है । इससे पूर्व उत्तर प्रदेश एक्ट सं. 12/2000 द्वारा धारा-4ए में क्रेता द्वारा निर्माता व्यापारियों को कर अदा करने पर निर्माता द्वारा उसे प्राप्त करने का प्राविधान किया गया था । एक्ट सं. 12/2000 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया था कि निर्माता व्यापारी क्रेता व्यापारी से बिना प्रवेश कर प्राप्त किये माल की डिलेवरी नहीं देगा, बल्कि क्रेता का दायित्व निर्माता को कर अदा करने का था । स्वयं विभाग द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण मुरादाबाद की युगल पीठ के समक्ष दि.अ.सं. 400/2005, 579/2009 तथा 965/2005 सर्वश्री चड्ढा शुगर प्रा.लि. धनौरा में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.7.2009 की सुनवाई के समय यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निर्माता व्यापारी पर प्रवेश कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है । निर्माता व्यापारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 का उल्लंघन किये जाने के आधार पर निर्माता व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड तथा कर वसूली की कार्यवाही किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निर्माता व्यापारी के विरूद्ध कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री वेस्ट यू.पी. शुगर मिल एसोसिएशन एवं अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (2001 एनटीएन वाल्यूम-19 पृष्ठ-585) तथा व्यापार कर अधिकरण, मेरठ की खण्डपीठ द्वारा सर्वश्री वीनस शुगर इण्ड. लि. बनाम सीटीसी (2004 एनटीन वाल्यूम-28 ट्रिब्युनल पृष्ठ 284) तथा व्यापार कर अधिकरण, मुरादाबाद की खण्डपीठ द्वारा व्यापारी की ओर से प्रस्तुत दि.अ.सं. 05/05 एवं 6/2005 सर्वश्री चड्ढा शुगर प्रा.लि., धनौरा (व्यापारी द्वारा) तथा दि.अ.सं. 269/05 व 270/2005 (विभाग द्वारा) में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.11.2005 तथा व्यापार कर अधिकरण, मुरादाबाद की खण्डपीठ द्वारा दि.अ. सं. 400/2005 व दि.अ.सं. 579/2008 (विभाग द्वारा) तथा दि.अ.सं. 965/2005 (व्यापारी

द्वारा) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.7.2009 में दिये गये निर्णयों के प्रकाश में भी निर्माता व्यापारी के विरूद्ध आरोपित प्रवेश कर का समर्थन किया जाना संभव नहीं है । अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो अपीलकर्ता के विरूद्ध स्वनिर्मित चीनी की मिल पर की गयी बिक्री पर प्रवेश कर आरोपित किया गया है, वह विधि संगत नहीं है और उसका समर्थन किया जाना संभव नहीं है, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी धारा 12(3) के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र हैं ।"

"प्रस्तर 6. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा घोषित चीनी की केन्द्रीय बिक्री को प्रान्तीय बिक्री निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें कुछ बल हैं, परन्तु चूंकि अपीलकर्ता पर प्रवेश कर की देयता नहीं जाती है । अतः केन्द्रीय बिक्री को प्रान्तीय बिक्री निर्धारित करने पर भी अपीलकर्ता के विरूद्ध कोई कर आरोपित नहीं नहीं जा सकता है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है । कर निर्धारण अधिकारी प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(3) के प्राविधानों के अंतर्गत यदि अपीलकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहें तो अपीलकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।"

-Kisan Sahakari Chini Mill Limited, Najibabad vs C.C.T., U.P., (2010) 12 VLJ 27 Trib.

2. व्यापारी चीनी के निर्माण एवं बिक्री का कार्य करते हैं । प्रान्त के बाहर के क्रेता व्यापारी से वे ड्राफ्ट प्राप्त करके चीनी की बिक्री करके डिलेवरी मिल गेट पर देते हैं । इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने चीनी की बिक्री प्रान्त के अंदर मानते हुए उस पर प्रवेश कर आरोपित किया । प्रथम अपील अस्वीकार की गयी । व्यापारी ने द्वितीय अपील दायर की । विभाग का कहना था कि व्यापारी ने रू. 3,48,000.00 की चीनी की बिक्री एस.आर. ट्रेडर्स निरंकार कालोनी, दिल्ली को की है, जबकि जांच पर यह फर्म अस्तित्व में नहीं पायी गयी । अतः चीनी की बिक्री प्रान्त के अंदर मानी गयी । इसी प्रकार दूसरे मामले में अपीलकर्ता द्वारा रू. 28,45,316.00 की चीनी की बिक्री शिव कुमार पवन कुमार न्यू कुंडली, दिल्ली को घोषित की गयी है, लेकिन यह माल दिल्ली में न ले जाकर प्रान्त के अंदर बेचा गया । अधिकरण ने माना कि इस संबंध में व्यापार कर निर्धारण, मुरादाबाद पीठ ने द्वितीय अपील संख्या 1015 वर्ष 2003 में दिनांक 23.11.2009 को विस्तृत आदेश पारित किया है और यह माना है कि प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निर्माता व्यापारी पर कोई करदेयता निर्धारित नहीं हो सकती है । चूंकि निर्माता व्यापारी द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में चीनी का कोई प्रवेश नहीं कराया गया है । अतः उन्हें प्रवेश कर से मुक्त किया गया ।

Dwarikesh Sugar Industries, Najibabad vs C.C.T., U.P., (2010) 13 VLJ 113 Trib.

3. इस वाद में दिनांक 1.4.2007 से 31.13.2007 तक की अवधि के लिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9(4) के अंतर्गत चारकोल की खरीद मय भाड़ा रू. 31,32,903.00 पर 2 प्रतिशत की दर से रू. 82,658.00 प्रवेश कर आरोपित किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि चारकोल प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में कोल की प्रविष्टि के अंतर्गत है । व्यापारी की प्रथम अपील अस्वीकार कर दी गयी । व्यापारी ने द्वितीय अपील में निवेदन किया कि कोल की प्रविष्टि के अंतर्गत चारकोल नहीं आता है तथा भिन्न वस्तु है । इस संबंध में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया गया । अधिकरण ने *कार्बन क्राफ्ट प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य (2006 एनटीएन वाल्यूम-29 पृष्ठ-157)* के निर्णय का हवाला दिया जिसमें कोयला तथा कोक को अलग-अलग वस्तु माना गया है । इस आधार पर आरोपित प्रवेश कर समाप्त किया गया ।

G.M. Traders Pipelsana, Moradabad vs C.C.T., U.P., 2011 NTN (Vol.47) 107 Trib.

धारा 10. अनन्तिम कर निर्धारण–(1) जहाँ कोई व्यापारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) लागू होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर और अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र उस धारा में निर्धारित या बढ़ाई गयी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरण पत्र में दिखायी गयी देय कर के जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या दाखिल विवरण पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के विचार से, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो या उसमें गलत विवरण दिये गये हों, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा 9 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुसूचित माल के मूल्य और उस पर देय कर का अनन्तिम कर निर्धारण कर सकेगा।

[नियम 4]

(2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण किया जा चुका है, इस कर निर्धारण के कारण पूरे वर्ष के लिए अनुसूचित माल के मूल्य का अवधारण करने और कर निर्धारण करने से रोक नहीं होगी।

धारा 10–कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी drums, buckets, barrels, cans, tubes etc. के निर्माण तथा निर्यात का कार्य करते हैं। उनकी निर्माण इकाई औद्योगिक क्षेत्र कानपुर के अलावा गुजरात और मुम्बई (महाराष्ट्र) में है। वे क‍ ा माल केवल प्रान्त बाहर स्थित अंकलेश्वर गुजरात से ही नहीं मंगाते हैं, अपितु विदेश से भी मंगाते हैं। जो माल विदेश से मंगाया जाता है उससे निर्मित वस्तुओं का केवल निर्यात किया जाता है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-6, कानपुर ने अस्थायी कर निर्धारण हेतु नोटिस दिया जिसके विरूद्ध यह रिट दायर की गयी और कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद-226(1)(बी) के अंतर्गत इस निर्यात पर कर आरोपित नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त धारा-4(6)(ii) का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि यदि एक्सपोर्ट करने के लिए माल लाया जाता है, तब प्रवेश कर नहीं लगेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट अस्वीकार करते हुए मत व्यक्त किया कि केवल रूपपत्रों की जांच के लिए अथवा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया है जो कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि उसमें कर लगाने जैसी कोई बात नहीं कही गयी है, अतः उन्होंने इस केस की मैरिट पर विचार न करते हुए केवल यह निर्देशित किया कि अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित करते समय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

Mercury Industries Ltd. vs. State of U.P. and Others (2013) 23 VLJ 56

धारा 11. कर का प्रशमन (Composition)–(1) जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का देनदार है किन्तु '[1]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अन्तर्गत,* यथापरिभाषित व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, वहाँ वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द, अंक तथा अक्षर 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत यथापरिभाषित' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान न रखने वाला प्रत्येक व्यापारी, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट कोई व्यापारी या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर के भुगतान का विकल्प अपना लेता है तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं होगा।

(5) कोई व्यापारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कर भुगतान करता है, धारा 9 में अभिदिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं होगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में कर भुगतान कर दिया गया है, धारा 9 के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध उन सभी माल पर लागू होंगे जिनके स्थानीय क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना है।

धारा 12. विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली–(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय*, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता [1]*ऐसा माल क्रेता को परिदत्त नहीं करेगा।*

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारण प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथा विहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहाँ कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा, जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

---

* विज्ञप्ति सं. 2815 दिनांक 29.9.2008 देखें।

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से शब्द समूह 'ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा' के स्थान पर प्रतिस्थापित, पूर्ववर्ती शब्द समूह भी 1.11.1999 से लागू था।

(4) जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा प्रदाय के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहाँ वह यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने की तिथि से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) [1]*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 34* के अन्तर्गत कर की धनराशि की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने विषयक उपबन्ध और इस अधिनियम की [2]*धारा 33 की उपधारा (1)* के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अन्तर्गत विनिर्माता द्वारा क्रेता से कर की धनराशि की वसूली पर लागू होंगे।

[नियम 7]

[3]*(6) इस धारा में जमा कर की धनराशि उस व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा की गयी समझी जायेगी जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया हो। निर्माता ऐसे कर को क्रेता व्यापारी के लिए जारी टैक्स इनवाईस या बिक्री इनवाईस, जैसी भी स्थिति हो, में पृथक से दर्शायेगा। इसे कर के भुगतान का साक्ष्य समझा जायेगा, जब तक कि टैक्स इनवाईस या सेल इनवाईस, जैसी भी स्थिति हो, कूटरचित या मिथ्या या फर्जी न पायी जाय या वैधानिक रूप से जारी न की गयी हो या कपटपूर्वक प्राप्त न की गयी हो।*

धारा 12—कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय

1. व्यापारी/अपीलकर्ता चीनी का निर्माण करते हैं जिसके साथ-साथ शीरा व बैगास भी बनता है। उनका कहना है कि प्रवेश कर अधिनियम 2007 की धारा-2(बी) में वे परिभाषित डीलर नहीं हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 अपीलकर्ता के द्वारा निर्मित चीनी की बिक्री के संबंध में प्रभावी नहीं है। फार्म-सी पर सकल एवं करयोग्य विक्रय धन तथा देयकर का विवरण उक्त देयकर सुहित जमा करने का उनका विधिक दायित्व नहीं है, अपितु धारा 7(बी) के अंतर्गत प्रपत्र "ई" ग्राहकों से प्राप्त करने की विवरणी प्रस्तुत करने का प्राविधान है। प्रवेशकर अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत ग्राहकों द्वारा प्रवेशकर की राशि जमा किये जाने हेतु शुगर मिल को देने का दायित्व है। यह एक कर्तव्य है, करदायित्व नहीं। कार्य-प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चीनी की शीघ्र एवं चीनी संबंधी प्रभावी रिलीज आर्डर की अवधि में बिक्री करने के लिए चीनी निर्माता कम्पनी "इंड्रेन्टिंग एवं आर्डर कलेक्टिंग एजेंट नियुक्त करते हैं, जिनके द्वारा बाजार में चीनी की मांग, बिक्रीकर दर आदि आधार पर शुगर मिल से अनुबंध (बारगेन) के अंतर्गत निश्चित भाव, भार, चीनी की श्रेणी एवं डिलेवरी की अवधि में बिक्री सुनिश्चित करने का प्रचलन है। अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा उक्त आई एण्ड ओसी एजेंट से प्राप्त डिलेवरी आर्डर में नामित ग्राहक चाहे वह प्रान्त भीतर के हों या प्रान्त बाहर के, को ग्राहक के नाम बिल

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द और अंक 'उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 8-घ' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से शब्द और अंक 'धारा 8 की उप-धारा (1)' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (सं. 8/2009) दिनांक 28.2.2009 द्वारा दिनांक 1.11.1999 से बढ़ाई गई।

एवं बिल्टी जारी करके, जिसमें कन्साईनी का नाम, चीनी की मात्रा, गन्तव्य स्थान, आदि का उल्लेख होता है, ट्रक ड्राईवर को लैटर ऑफ मूवमेंट के अंतर्गत बैली के रूप में प्राप्त कराते हैं एवं प्रवेशकर के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्रक चालक को स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं तथा उनसे यह आश्वासन लिया जाता है कि वह उक्त चीनी बिल्टी में उल्लिखित एक्स.यू.पी. स्थान तक पहुंचा कर नामित ग्राहक को सुपुर्द करेंगे। इसी प्रक्रिया के अनुसार अपीलकर्ता ने चीनी की बिक्री की है। संगत वर्ष 2010-11 में माह सितम्बर में दिनांक 26.7.2010 को वि.अनु.शा. इकाई द्वारा सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है 'एजेंटों से चीनी' विक्रय हेतु सोदा कर उनको बार्गेन नं. एलाट किया जाता है तथा उसी समय माल की कीमत तक का मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है। इसके पश्चात सुविधानुसार माल उठाने की अवधि तय कर ली जाती है। यदिमाल उठाने की तिथि में एवं मूल्य में कोई अंतर होता है, तब भी पुरानी कीमत ही मान्य होती है। इस प्रकार एजेंटों से किये गये अनुबंध की तिथि पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों उपस्थित होते हैं तथा माल के अंतरण हेतु भुगतान भी प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार वस्तु की बिक्री की अधिनियम के अंतर्गत शर्त पूर्ण हो जाती है। अतः एजेंटों से किये गये अनुबंध की तिथि को ही बिक्री पूर्ण होती है तथा प्रवेशकर अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत उक्त भांति एजेंटों द्वारा अन्य व्यापारी को की गयी बिक्री उपरोक्तानुसार सब्सीक्वेंट सेल है। ऐसे एजेंटों से निर्माता कम्पनी ने प्रवेश कर वसूल नहीं किया, इसलिए अर्थदण्ड की नोटिस जारी की गयी। अपीलकर्ता ने अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यह सीधे ग्राहकों को अन्तर्प्रान्तीय बिक्री है जिस पर प्रवेश कर वसूल नहीं किया जा सकता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी द्वारा के. जी. खोसला एण्ड कम्पनी बनाम डिप्टी कमिश्नर आदि निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना गया कि यह बिक्री मिल परिसर की नोमेंसलैंड में पूरी हो जाती है, इसलिए निर्माता कम्पनी को प्रवेश कर वसूल करना चाहिए था और उन्होंने प्रवेश कर वसूल न करके धारा 12(1) का उल्लंघन माना और धारा 12(3) में अर्थदण्ड आरोपित किया। प्रथम अपील अस्वीकार की गयी जिसके विरूद्ध व्यापारी ने द्वितीय अपील दायर की। अधिकरण ने अपील स्वीकार की। उन्होंने व्यापारी द्वारा बतायी गयी कर प्रणाली का उल्लेख करते हुए यह माना कि एजेंट की भूमिका केवल बाजार में चीनी के क्रेता ढूंढने और उनसे चीनी की उचित मूल्य पर बिक्री होने पर चीनी की बिक्री की राशि का भुगतान चीनी मिल को सुनिश्चित करने की रही है। इस चीनी के एजेंट किसी भी स्तर पर क्रेता नहीं हैं। सभी क्रेता प्रान्त के बाहर के हैं। चीनी की बिक्री सीधे क्रेताओं को की गयी है और इस बिक्री के क्रम में माल का संचरण चीनी की उत्पादन इकाई यानि व्यापारी के गोदाम से प्रान्त के बाहर किया गया है तथा बिल्टियों पर व्यापारी ने वाहन चालकों से यह अंडरटेकिंग ली है कि यह माल सुनिश्चित रूप से प्रान्त के बाहर जाएगा तथा प्रान्त के बाहर गन्तव्य स्थान पर माल को पहुंचाने की अपीलकर्ता द्वारा डिलीवरी भी सुनिश्चित की गयी है। इस अभिलेख से इस बिक्री के संव्यवहार अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के संव्यवहार प्रमाणित हैं जो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे अधिकरण ने धारा 2(डी) के संदर्भ में जिसमें स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा दी गयी है, यह मन्तव्य दिया कि "जिस स्थानीय क्षेत्र में चीनी की उत्पादन इकाई यानि फैक्ट्री स्थित है, फैक्ट्री के लिए वही स्थानीय क्षेत्र अधिनियम के अनुसार मान्य है। कोई भी फैक्ट्री गोदाम 'नोमैंस लैंड' नहीं है। व्यापारी द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र जिसमें चीनी की उत्पादन इकाई एवं उसका गोदाम स्थित है, के स्थानीय क्षेत्र से बाहर के किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के लिए एजेंट्स को अथवा किसी क्रेता को संबंधित चीनी की डिलीवरी नहीं दी गयी है, बल्कि यह डिलीवरी फैक्ट्री के स्थानीय क्षेत्र से सीधे प्रदेश के बाहर स्थित क्रेताओं को दी गयी है।"

इसी क्रम में अधिकरण द्वारा धारा-4 के प्राविधानों की व्याख्या करते हुए लिखा गया कि :-

"प्रस्तर 6. उ.प्र. प्रवेशकर अधिनियम की धारा-4 के प्राविधानों के अनुसार कर की देयता निर्धारित की गयी है। इन प्राविधानों के अनुसार राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उपयोग में विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में निविर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिए प्रवेश पर माल

के मूल्य के 3 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश कर की देयता किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उस सथानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उस क्षेत्र में माल के उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय के लिए प्रवेश कराने की होती है। किसी भी माल की खरीद-बिक्री के संव्यवहारों पर प्रवेशकर की देयता नहीं है। प्रवेश कर की देयता के लिए यह आवश्यक है कि किसी माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के स्थान से होना प्रमाणित हो। विचाराधीन मामले में व्यापारी द्वारा रू. 73,62,82,251.43 की चीनी का उत्पादन स्वयं व्यापारी ने किया है। उत्पादन के उपरान्त अपने बान्डिड गोदाम से इसकी बिक्री सीधे अन्तर्राज्यीय बिक्री के क्रम में प्रान्त के बाहर के क्रेताओं को की गयी है। इस प्रकार की चीनी को व्यापारी द्वारा अथवा क्रेताओं द्वारा एक स्थानीय प्रदेश के किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग, अथवा बिक्री के लिए प्रवेश नहीं कराया गया है। चीनी की बिक्री कराने वाले और क्रेताओं से भुगतान कराने वाले एजेंट्स अथवा एजेंट्स द्वारा माल की डिलेवरी लेने का कोई साक्ष्य किसी अभिलेख से प्रमाणित नहीं है। डिलेवरी प्रदेश के बाहर क्रेताओं द्वारा ली गयी है, इसलिए विचाराधीन संव्यवहारों पर उ.प्र. प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश कर की कोई देयता नहीं बनती है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 विनिर्माताओं के माध्यम से कर की वसूली सुनिश्चित करने के संबंध में है यानि धारा-12 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के लिए सर्वप्रथम प्रवेश कर की देयता सुनिश्चित होना आवश्यक है, क्योंकि कर की देयता उत्पन्न होने के उपरान्त ही निर्माता के माध्यम से कर की वसूली की जा सकती है। व्यापारी रू. 73,62,82,251.43 के संव्यवहारों के संबंधित चीनी पर उ.प्र. प्रवेश कर अनिधियम के अंतर्गत कोई कर की देयता नहीं बनती है तथा इस चीनी को निर्माता से खरीदने वाले प्रान्त के बाहर के क्रेताओं द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का कोई इरादा भी नहीं रखा गया है, बल्कि इस चीनी को प्रान्त के बाहर के क्रेता व्यापारी से अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में खरीद कर सीधे प्रांत के बाहर ले गये हैं, इसलिए किसी स्थानीय क्षेत्र में क्रेताओं की भी इस चीनी को लाने का इरादा किसी भी अभिलेख से प्रमाणित नहीं है। धारा-12 के प्राविधानों के अनुसार इस प्रकार अंतर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहारों के संबंध में न तो क्रेता व्यापारी द्वारा निर्माता-व्यापारी को किसी प्रकार के प्रवेश कर के भुगतान करने का उत्तरदायित्व बनता है और न ही इस माल की व्यापारी द्वारा क्रेता को डिलेवरी देने का किसी प्रकार का प्रतिबंध है।"

Mawana Sugar Works, Mawana, Meerut vs C.C.T., U.P., (2011) 16 VLJ 166 Tribunal

2. व्यापारी फिनिस्ड लैदर के निर्माण एवं बिक्री का कार्य करते हैं। प्रवेध कर'अधिनियम 2000 की धारा-4ए के सबक्लाज-(1) तथा (3) के अनुसार उनका दायित्व बिक्री करते समय प्रवेश कर वसूल करके जमा करने का है, जो नहीं किया गया। अतः अधिकारी ने उन पर प्रवेश कर आरोपित किया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गयी। उसे स्वीकार किया गया। अतः विभाग ने यह द्वितीय अपील दायर की। व्यापारी का कहना था कि धारा-4ए के अंतर्गत यह कहीं नहीं कहा गया है कि यदि क्रेता व्यापारी निर्माता से किसी वस्तु की खरीद करता है और उसे अन्य क्षेत्र में ले जाता है, किन्तु उपरोक्त खरीद पर प्रवेश कर अदा नहीं करता है, तब इस प्रवेश कर को जमा करने का उत्तरदायित्व निर्माता का होगा। इस संबंध में अधिकरण के कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया। अधिकरण ने धारा-4ए का उल्लेख करते हुए यह माना कि क्रेता व्यापारी निर्माता से माल खरीदते समय प्रवेश कर अदा करेगा और निर्माता इसे नियमानुसार विभाग में जमा करेगा। इस संबंध में *वेस्ट यू.पी. शुगर मिल एसोसिएशन एण्ड अदर्स बनाम उ.प्र. राज्य (2001 एनटीएन वाल्यूम-19 पृष्ठ-585)* के निर्णय का अध्ययन करते हुए भी अधिकरण ने यह मत स्थापित किया कि यदि निर्माता द्वारा प्रवेश कर क्रेता व्यापारी से प्राप्त नहीं किया

गया है तो विधि के प्राविधानों के अनुसार निर्माता व्यापारी के ऊपर उपरोक्त प्रवेश कर के जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है। विभागीय अपील स्वीकार की गयी।

C.C.T., U.P. vs Habib Tannery Pvt. Ltd., Kanpur, 2008 NTN (Vol. 38) 155 Tribunal

3. इस वाद में निर्माता ने प्रवेश कर वसूल नहीं किया था एवं न ही जमा किया गया था। अतः अर्थदण्ड आरोपित किया गया, जिसका समर्थन प्रथम अपील में किया गया, लेकिन अधिकरण ने यह अर्थदण्ड इस आधार पर छोड़ा कि धारा 12(1) में यह व्यवस्था है कि निर्माता द्वारा देय प्रवेश कर वसूल किया जायेगा एवं जब तक वह प्रवेश कर वसूल नहीं करेगा, वह क्रेता को डिलिवरी नहीं देगा। धारा 12(2) में यह व्यवस्था है कि धारा 12(1) वसूल किया गया कर जमा किया जायेगा एवं निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल किया जायेगा। धारा 12(3) में यह व्यवस्था है कि वसूल किया गया कर निर्माता द्वारा जमा नहीं किया गया है तो इसे ब्याज सहित जमा करेंगे तथा उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि निर्माता ने धारा 12(1) का पालन नहीं किया है और उसने प्रवेश कर वसूल नहीं किया है तब भी वे उसे अपने पास से जमा करेंगे। इस निर्णय के विरूद्ध विभाग ने पुनरीक्षण दायर किया, जिसे अधिकरण का निर्णय उचित मानते हुए अस्वीकार किया गया।

Commissioner, Commercial Tax, U.P. vs. Ashoka Flavors Pvt. Ltd. (2016) 30 VLJ 18

टिप्पणीः-प्रवेश कर अधिनियम 2007 में धारा-12 में वही व्यवस्था है, जो पुराने अधिनियम में धारा 4ए में थी,लेकिन धारा-12 में अब यह संशोधन कर दिया गया है कि यदि क्रेता व्यापारी या व्यक्ति प्रवेश कर नहीं दे रहा है तो निर्माता उसे माल की बिक्री नहीं करेगा।

धारा 13. [1]***उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना***—*उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा*

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित :-
"उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :.
(एक) धारा 3ग—विघटित फर्म आदि पर कर का दायित्व;
(दो) धारा 4ग—तैयार माल का भारत के बाहर निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत;
(तीन) धारा 6—अधिकारिता के प्रति आपत्ति;
(चार) धारा 7ख—कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित हो जाने पर कर निर्धारण;
(पांच) धारा 7ग—मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना;
(छः) धारा 7ङ—विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांकित करना;
(सात) धारा 7च—अल्प धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना;
(आठ) धारा 8—कर का भुगतान और उसकी वसूली;
(नौ) धारा 8ख—कतिपय मामलों में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण;
(दस) धारा 8खख—व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;
(ग्यारह) धारा 8ग—राजस्व की हित में प्रतिभूति;
(बारह) धारा 9—अपील;
(तेरह) धारा 10—अधिकरण;
(चौदह) धारा 10क—आज्ञा जिसके विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा;
(पन्द्रह) धारा 10ख—कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;
(सोलह) धारा 11—विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(शेष अगले पृष्ठ पर)....

आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन सभी व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :-

(एक)	*धारा 9–फर्म, व्यक्तियों के संघ और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का दायित्व;*
(दो)	*धारा 10–मृत व्यक्ति द्वारा देयकर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा;*
(तीन)	*धारा 11–नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति के मामले में कर का दायित्व;*
(चार)	*धारा 12–प्रतिपाल्य अधिकरण के मामले में दायित्व;*

(सत्रह) धारा 12–व्यापारियों द्वारा लेखा का रखा जाना;
(अठ्ठारह) धारा 12क–तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व;
(उन्नीस) धारा 12ख–अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;
(बीस) धारा 13–लेखों को प्रस्तुत करने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार;
(इक्कीस) धारा 13क–अभिग्रहण करने का अधिकार
(बाइस) धारा 13ख–पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति;
(तेइस) धारा 14–अपराध और दण्ड;
(चौबीस) धारा 14क–कम्पनियों द्वारा अपराध;
(पच्चीस) धारा 15–अपराधों का प्रशमन;
(छब्बीस) धारा 15क–कतिपय दशाओं में अर्थदण्ड;
(सत्ताइस) धारा 16–हानि रक्षा;
(अठ्ठाइस) धारा 17–कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;
(उन्तीस) धारा 18–पुर्नगठित अथवा नई फर्मों पर कर निर्धारण तथा साझा का बदला जाना;
(तीस) धारा 19–अल्पवयस्कों तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर निर्धारण;
(इकत्तीस) धारा 20–प्रतिपालक न्यायालय आदि का कर निर्धारण;
(बत्तीस) धारा 21–उस विक्रय धन पर कर निर्धारित करना जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो;
(तैंतीस) धारा 22–भूल का सुधार;
(चौंतीस) धारा 23–कुछ सूचनायें जो गोपनीय होंगी;
(पैंतीस) धारा 25–भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार;
(छत्तीस) धारा 28–जाँच चौकियों और नाको की स्थापना;
(सैंतीस) धारा 28क–घोषणापत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;
(अड़तीस) धारा 28ख–राज्य से होकर सड़क से माल के प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना;
(उन्तालीस) धारा 29–धनराशि की वापसी;
(चालीस) धारा 29क–किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;
(इकतालीस) धारा 30–कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति;
(बयालीस) धारा 32–कतिपय मामलों में शुल्क;
(तैतालीस) धारा 34–राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना;
(चवालीस) धारा 35–विवाद ग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;
(पैंतालीस) धारा 36–किस्त मंजूर करने का अधिकार;
(छियालीस) धारा 38–रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा;

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य के संदर्भ समझे जायेंगे।"

(पांच)	धारा 16—साबित करने का भार;
(छः)	धारा 19—राजस्व के हित में प्रतिभूति;
(सात)	धारा 21—व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाले लेखों और दस्तावेज;
(आठ)	धारा 29—कर निर्धारण से वंचित रह गये आवर्त का कर निर्धारण;
(नौ)	धारा 30—आवर्त, कर आदि को पूर्णांक करना;
(दस)	धारा 31—त्रुटियों का संशोधन;
(ग्यारह)	धारा 32—कर निर्धारण या शास्ति के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की शक्ति;
(बारह)	धारा 33—कर का संदाय और वसूली;
(तेरह)	धारा 36—नगण्य धनराशियों की वसूली या उनकी वापसी की उपेक्षा किया जाना;
(चौदह)	धारा 39—किस्त की सुविधा प्रदान करने की शक्ति;
(पन्द्रह)	धारा 40—वापसी और समायोजन;
(सोलह)	धारा 43—व्यवहारियों द्वारा कर के रुप में त्रुटिपूर्ण ढँग से वसूली की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;
(सत्रह)	धारा 45—लेखों, दस्तावेजों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और जब्त करने की शक्ति;
(अठ्ठारह)	धारा 48—माल अभिग्रहण करने की शक्ति;
(उन्नीस)	धारा 49—जाँच चौकियों और नाकों की स्थापना;
(बीस)	धारा 50—घोषणा-पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल का आयात;
(इक्कीस)	धारा 51—राज्य में रेल, वायुमार्ग, डाक नदी या रज्जुमार्ग द्वारा माल काआयात;
(बाइस)	धारा 52—राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल जाने के लिये प्राधिकार-पत्र (बहती) जारी करना;
(तेइस)	धारा 53—पुलिस से सहायता लेने की शक्ति;
(चौबीस)	धारा 54—कतिपय मामलों में शक्तियां;
(पच्चीस)	धारा 55—अपील;
(छब्बीस)	धारा 56—कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;
(सत्ताइस)	धारा 57—अधिकरण;
(अठ्ठाइस)	धारा 58—विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;
(उन्तीस)	धारा 59—कमिश्नर द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;
(तीस)	धारा 60—आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा;
(इकत्तीस)	धारा 61—अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;
(बत्तीस)	धारा 66—अधिकरिता के सम्बन्ध में आपत्ति;
(तैंतीस)	धारा 67—हानि रक्षा;
(चौंतीस)	धारा 68—कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;
(पैंतीस)	धारा 69—कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी;

(छत्तीस)	*धारा 71–रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा;*
(सैंतीस)	*धारा 72–कतिपय मामलों में शुल्क;*
(अड़तीस)	*धारा 73–राजस्व को कपटवंचित करने के लिये अन्तरण का शून्य होना;*
(उन्तालीस)	*धारा 74–अधिसूचना जारी करने की शक्ति;*
(चालीस)	*धारा 75–व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;*

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य के संदर्भ समझे जायेंगे।

धारा 14. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण के आगम का उपयोग–(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :.

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव;

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेतु व्यवस्था;

(ग) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन;

(घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव;

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रें में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख.रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राज-सहायता उपलब्ध कराना;

(च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(छ) खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थाओं को वित्त, सहायता अनुदान तथा राज-सहायता उपलब्ध कराना;

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्गृहीत एवं संग्रहीत प्रवेश कर उत्तर प्रदेश व्यापार कर विकास निधि में जमा किया जायेगा और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की सुविधा के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में उद्ग्रहीत धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समुचित लेखा शीर्षो में कर जमा करने की रीति एवं उद्ग्रहण की प्राप्तियों का एकमात्र उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेतु रीति विहित करेगी।

[(निधि नियमावली के नियम 3, 4 तथा 5]

धारा 15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्रावधान, जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो, बना सकती है जैसा कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं जारी किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये किसी उपबन्ध का वही प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम के अधिनियमित किया गया हो और ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे भूतलक्षी दिनांक से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व का न हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

धारा 16. नियम बनाने की शक्ति–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

धारा 17. विधिमान्यकरण–(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सभी कृत कार्य, कृत कार्यवाही, बनाये गये नियम, जारी अधिसूचना या करने, होने, बनाने या जारी करने के लिए तात्पर्यित तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2000 के अधीन उद्गृहीत, निर्धारित, संगृहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत दायित्व इस अध्यादेश के अधीन विधिमान्यः कृत, हुआ, बनाया हुआ, जारी, उद्गृहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत समझा जायेगा, मानो यदि यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था और किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रवेश कर की वापसी के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ अनुरक्षित या जारी नहीं होगी।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा उद्घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये प्रवेश कर की वापसी के दावे को उपधारा (1) के अन्तर्गत रोके जाने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा यदि कर का भार संक्रान्त न किया गया हो।

धारा 18. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 का निरसन और अपवाद–(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी।

धारा 19. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007 का निरसन और अपवाद–(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

धारा [1]19-क. निरसन और अपवाद (Repeal and saving)–*(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं. 1 सन् 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।*

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

---

1. उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (सं. 7/2008) द्वारा दिनांक 1.1.2008 से बढ़ाया गया।

अनुसूची

(समय समय पर यथा संशोधित)

[धारा 4(1) देखें]

1. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल (क्रूड आयल)।
2. *मशीन और मशीन के फालतू पुर्जे, जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो। (31.5.2009 तक)
3. प्राकृतिक गैस। [18.2.2010 तक]। [1]पुनः 29.6.2010 से
4. बिना लेवी की चीनी (1.9.2000 से)
5. [2-9]सिगरेट के रूप में तम्बाकू [31.3.2011 तक]
6. [3]सभी प्रकार के कागज।[$]
7. [4]तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटका)।
8. [5]सीमेन्ट (18.2.2010 तक)
9. [5]कोयला। (14.10.2015 तक)

   [6]*कोयला जिसके अन्तर्गत, कोक अपने सब रुपों में भी हैं।*

   [[5]तेन्दूपत्ता। (31.5.2008 तक)]

   [[5]मोम। (31.5.2008 तक)]

   [(क) [5]परिष्कृत चमड़ा (15.8.2003 तक)

   (ख) [7]तैयार चमड़ा (16.8.2003 से 31.5.2008 तक)]
10. [5]भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के, **चाहे वे किसी भी जाति के हों,** काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियाँ और बाँस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हों, या काट दी गई हो, या चीरी गई हो। (31.5.2009 तक)
11. [8]हाई स्पीड डीज़ल, लो सल्फर हाई स्पीड डीज़ल, अल्ट्रा लो सल्फ़र हाई स्पीड

---

* धारा 4(5) ध्यातव्य है।

1. विज्ञप्ति सं. 901 दिनांक 29.6.2010 द्वारा दिनांक 29.6.2010 से पुनः स्थापित किया गया।
2. विज्ञप्ति सं. 2586 दिनांक 23.8.2000 द्वारा दिनांक 1.9.2000 से प्रतिस्थापित।
3. विज्ञप्ति सं. 3338 दिनांक 30.10.2001 द्वारा दिनांक 1.11.2001 से बढ़ाया गया।

$ विज्ञप्ति सं. 2812 दिनांक 29.9.2008 द्वारा संशोधित अनुसूची में क्रमांक 6 पर "सभी प्रकार के कागज़" अंकित है, **जबकि विज्ञप्ति सं. 2757 दिनांक 29.9.2008 तथा विज्ञप्ति सं. 104 दिनांक 15.1.2009 में क्रमांक 6 पर कर की दर "लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज़, जिसमें समाचार पत्र का कागज़ सम्मिलित नहीं है।"** की दी गई है। इस मुद्दे पर विचारण अपेक्षित है।

4. विज्ञप्ति सं. 4380 दिनांक 7.10.2002 द्वारा दिनांक 11.10.2002 से बढ़ाया गया।
5. विज्ञप्ति सं. 2489 दिनांक 9.5.2003 द्वारा दिनांक 16.5.2003 से बढ़ाया गया।
6. विज्ञप्ति सं. 1421 दिनांक 14.10.20015 द्वारा दिनांक 15.10.2015 से प्रतिस्थापित।
7. विज्ञप्ति सं. 3839 दिनांक 14.8.2003 द्वारा दिनांक 16.8.2003 से बढ़ाया गया।
8. विज्ञप्ति सं. 159 दिनांक 15.1.2004 द्वारा दिनांक 21.1.2004 से बढ़ाया गया।
9. विज्ञप्ति सं. 422 दिनांक 31.3.2011 द्वारा विलोपित।

डीज़ल, लाइट डीज़ल आयल, सुपर लाइट डीज़ल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस ऑयल, रैज़िडुअल फ्यूअल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद; किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन ऑयल सम्मिलित नहीं है।

12. [10]क्लिंकर। (31.5.2009 तक)

13. [11]ट्रैक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर वैहिकिल्स एवं इनके चैसिस। (18.2.2010 तक)

14. [11-12]केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात। (दिनांक 15.1.2009 तक। तदनन्तर विज्ञप्ति सं. 104 दिनांक 15.1.2009 से तदनन्तर विज्ञप्ति सं. 422 दिनांक 31.3.2011 से तदनन्तर विज्ञप्ति सं. 643 दिनांक 16.5.2013 द्वारा यथासंशोधित)

15. [11]एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पाद, जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं है। (31.5.2009 तक)

16. [11]सभी प्रकार के केबिल्स। (31.5.2009 तक)

17. [10]लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरीफैरल्स, टी.वी., जिसमें एल.सी.डी.टी.वी. सम्मिलित है। (31.5.2009 तक)

18. [11]टायर एवं ट्यूब्स, जिसमें साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं पशुचालित वाहन के टायर एवं ट्यूब्स सम्मिलित नहीं हैं। (18.2.2010 तक)

19. [11]मार्वल पत्थर एवं इनके टाइल्स। (31.5.2009 तक)

20. [11]रेफ्रीजिरेटर, एयर कण्डीशनर एवं एयर कण्डीशनिंग प्लाण्ट्स। (31.5.2009 तक)

---

10. विज्ञप्ति सं. 2485 दिनांक 18.8.2005 द्वारा दिनांक 18.8.2005 से बढ़ाया गया।

11. विज्ञप्ति सं. 2812 दिनांक 29.9.2008 द्वारा बढ़ाया गया।

[टिप्पणी–निम्नलिखित माल, जो पहिली अनुसूची में सम्मिलित था (जिस पर कर की वसूली सदैव स्थगित रही), वर्तमान अधिनियम सं. 30/2007 के अन्तर्गत दी गई अनुसूची से आलोपित कर दिया गया था, किन्तु विज्ञप्ति सं. 2812 दिनांक 29.9.2008 द्वारा निम्नलिखित क्रमांक 1 तथा 6 पर अंकित वस्तुओं को कुछ परिवर्तित रूप में तथा क्रमांक 4 पर अंकित वस्तु को उसी रूप में अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है–

1. अल्यूमिनियम की कच्ची धातुएँ, धातु और स्क्रैप, और अल्यूमिनियम के रोल्ड उत्पाद तथा निष्कासन उत्पाद।
2. सभी प्रकार के रसायन।
3. कॉफ़ी
4. सभी प्रकार के मोटर वाहन, जिसमें इसकी चैसिस भी सम्मिलित है, किन्तु ट्रैक्टर्स को छोड़कर।
5. नाइलॉन सूत, पालिस्टर सूत और पालिस्टर स्टैपिल फाइबर।
6. रैफ्रीजिरेटर, एयर कण्डीशनर, ओवन, वाशिंग मशीन और टेलीविज़न।
7. पचास रुपये प्रति मीटर से अधिक कीमत वाले सभी प्रकार के कपड़े।
8. भारत में निर्मित विदेशी शराब (जो 29.5.2005 तक अनुसूची में सम्मिलित रही।]

12. विज्ञप्ति सं. 422 दिनांक 31.3.2011 द्वारा दिनांक 1.4.2011 से प्रतिस्थापित।